601
5-1-65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 16—सोमवार, 28 सितम्बर, 1964/6 आश्विन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
423	प्रतिरक्षा मंत्री की रूस की यात्रा	1593—95
424	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	1695—97
425	काश्मीर में राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक	1598—1603
426	तार	1603—06
427	सेना के जवानों के लिये परिवार पेंशन योजना	1606—09
428	राष्ट्रीय रक्षा कोष	1609—11
429	पूर्वी पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों से प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति	1611–12
430	ड्रेगन परियोजना	1613–14
431	कोयले की खानों के श्रमिकों को उधार	1614–15

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
432	बर्मा में भारतीय अध्यापक	1615–16
433	पश्चिम जर्मनी से तकनीकी सहायता	1616
434	युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन	1616–17
435	यूकैराइस्टिक कांग्रेस	1617
436	भारतीय स्थल सेना के अफसरों को उपदान लाभ	1617–18
437	सूचना अधिकारियों के लिये अमरीकी छात्रवृत्तियां	1618
438	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाना	1619
439	कोयला खान मजदूरों के लिये विशेष प्रकार के जूते	1619–20
440	एच-एफ-24 जैट विमानों का निर्माण	1620–21
441	बोनस आयोग का प्रतिवेदन	1621
442	चाय बागान मजूरी बोर्ड	1621–22
443	इलेक्ट्रोनिक संगणक	1622

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 16—Monday, September, 28, 1964/Asvina 6, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
423	Defence Minister's Visit to U.S.S.R.	1593—95
424	Wage Board for Working Journalists	1595—97
425	U.N. Observers in Kashmir	1598—1506
426	Telegrams	1503—06
427	Family Pension Scheme for Jawans	1606—09
428	National Defence Fund	1609—11
429	Migrants from Indian Enclaves in East Pakistan	1611-12
430	Dragon's Project	1613-14
431	Credit to Coal-Mine Workers	1614-15

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
432	Indian Teachers in Burma	1615-16
433	Technical aid from West Germany	1616
434	Violation of Cease-fire line	1616-17
435	Eucharistic Congress	1617
436	Gratuity benefits for Indian Army Officers	1617-18
437	U.S. Scholarships for Information Officers	1618
438	Firing by Pakistani Troops	1619
439	Special Type of Shoes for Coal Mine Workers	1619-20
440	Production of H.F.-24 Jets	1620-21
441	Bonus Commission Report	1621
442	Wage Board for Tea Plantations	1621-22
443	Electronic Computor	1622

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
444	पाकिस्तान से शिष्टमंडल	1623
445	विदेश मंत्री को पाकिस्तान का आमंत्रण	1623
446	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अफसरों की कटु आलोचना	1623–24
447	पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाना	1624
448	लद्दाख में चीनियों की सैनिक गतिविधियां	1624–25
449	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता में पाकिस्तानी नागरिक	1625

अतारांकित
प्रश्न संख्या

1326	महिला श्रमिकों को काम पर लगाना	1625
1327	उड़ीसा में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्ति	1626
1328	एवरो-748 के लिये विदेशी बाजार	1626
1329	आयुध कारखानों में पारी पद्धति	1626
1330	अस्पृश्यता पर फिल्म	1626–27
1331	पश्चिम बंगाल के रोजगार दफ्तरों में पंजीकरण	1627
1332	जे० सी० ओ० की सेवा निवृत्ति	1627
1333	पोस्ट मास्टर और डाकखानों के सुपरिन्टेन्डेन्ट	1627
1334	माल रोड, आगरा पर पट्टे पर भूमि	1628
1335	रायगढ़ ज़िले में संचार सुविधायें	1628–29
1336	चीन द्वारा कब्जे में किये गये लद्दाख क्षेत्र में सड़कों का निर्माण	1629
1337	विशेष टिकटें	1629–30
1338	भारतीय सेना द्वारा कथित गोली वर्षा	1630
1339	होटल तथा रेस्तरां श्रमिक	1631
1340	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना	1631
1341	जमशेदपुर के निकट कच्चा यूरेनियम ढलाई संयंत्र	1631–32
1342	आयुध कारखानों में कार्यभार	1632
1343	मानवी अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्र गोष्टी	1632–33
1344	आकाशवाणी से हिन्दी बुलेटिनों का प्रसारण	1633
1345	टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों का विस्तार	1633–34
1346	सबमैरीन युद्ध प्रशिक्षण	1634
1347	प्रतिरक्षा योजना	1634
1348	अहमदनगर के निकट विमान दुर्घटना	1634–35
1349	उड़ीसा में आर्मी सेन्टर	1635
1350	आकाशवाणी भवन में आग	1635–36
1351	होशियारपुर के निकट विमान दुर्घटना	1636
1352	कोयम्बटूर के निकट विमान दुर्घटना	1636

Starred Questions Nos.	SUBJECT	PAGES
444	Delegation to Pakistan	1623
445	Pakistan's Invitation to Foreign Minister	1623
446	Strictures against External Affairs Ministry Officer	1623-24
447	Firing By Pakistani Troops	1624
448	Military Activities of Chinese in Ladakh	1624-25
449	Pak. Nationals in Garden Reach Workshop, Calcutta	1625
Unstarred Questions Nos.		
1326	Employment of Women Workers	1625
1327	Persons Registered in Employment Exchanges in Orissa	1626
1328	Foreign Market for Avro-748	1626
1329	Shift System in Ordnance Factories	1626
1330	Film on Untouchability	1626-27
1331	Registration in West Bengal Employment Exchanges	1627
1332	Retirement of J.C.Os.	1627
1333	Post Masters and Superintendents of Post Offices	1627
1334	Lease of land at Mall Road, Agra	1628
1335	Communication facilities in Raigarh District	1628-29
1336	Roads constructed by Chinese in occupied Ladakh	1629
1337	Special Stamps	1629-30
1338	Alleged Firing by Indian Army	1630
1339	Hotel and Restaurant Workers	1631
1340	Influx of Refugees from East Pakistan	1631
1341	Uranium Ore Milling Plant near Jamshedpur	1631-32
1342	Work load in Ordnance Factories	1632
1343	U.N. Seminar on Humanitarian Rights	1632-33
1344	Broadcasting of Hindi Bulletins from A.I.R.	1633
1345	Expansion of Telephone & Telegraph Lines	1633-34
1346	Training in Submarine Warfare	1634
1347	Defence Plan	1634
1348	Air Accident near Ahmednagar	1634-35
1349	Army centre in Orissa	1635
1350	Fire in A.I.R. Building	1635-36
1351	Flying Accident near Hoshiarpur	1636
1352	Flying Accident near Coimbatore	1636

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1353	पूना में सैनिक अस्पताल	1637
1354	विशेष किस्म का प्लास्टिक	1637
1355	महिलाओं के लिये पहाड़ पर चढ़ने का कोर्स	1637–38
1356	ट्रंक डायलिंग सिस्टम	1638
1357	आइ० एफ० एस० के लिये पदोन्नति	1638–39
1358	एव्रो-748	1639
1359	मनाली होती हुई पठानकोट-लेह सड़क	1639
1360	पंजाब में सीमा सड़कें	1639–40
1361	कांगड़ा तथा हमीरपुर उप डाकघर	1640
1362	स्थानीय टेलीफोन 'काल' दर	1640–41
1363	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड	1641
1364	पाकिस्तान यात्रा के लिये पारपत्र	1641
1365	पठानकोट में हवाई अड्डे के लिये भूमि	1642
1366	कीनिया में भारतीय	1642
1367	सिंगापुर में दंगे	1642–43
1368	पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	1643
1369	यूनिट फंड	1643
1370	इण्डियन फारेन सर्विस (बी)	1643–44
1371	अनुसन्धान प्रयोगशालायें	1644–45
1372	नेपाल में हवाई अड्डों का निर्माण	1645
1373	लुभाचेरा क्षेत्र में पाकिस्तानी मजदूर	1645
1374	बम्बई गोदी में सामयिक श्रम पद्धति	1645–46
1375	भारत का कुल क्षेत्र	1646
1376	रूस से मिग विमान	1646–47
1377	प्रधान मंत्री की बीमारी पर बुलेटिन	1647
1378	प्रतिरक्षा स्थापनाओं में कैंटीन कर्मचारी	1647
1379	पेरिस में भारतीय दूतावास द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका	1648
1380	नौसेना हवाई जहाज का अनधिकृत प्रयोग	1648
1381	महंगाई भत्ता	1649
1382	डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों के निवास स्थान पर टेलीफोन	1649–50
1383	सैनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन	1650
1384	डाक तथा तार कर्मचारी	1650
1385	सेना अधिकारियों के लिये आवास कार्यक्रम	1650
1387	महिला श्रम	1651
1388	स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू पर पुस्तक तैयार करना	1651–52
1390	श्रम की ठेका पद्धति का उन्मूलन	1652

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1353	Military Hospital at Poona	1637
1354	Special type of Plastic	1637
1355	Climbing Course for Women	1637-38
1356	Trunk Dialling System	1638
1357	Promotions to I.F.S.	1638-39
1358	Avro-748	1639
1359	Pathankot Leh Road *via* Manali	1639
1360	Border Roads in Punjab	1639-40
1361	Kangra and Hamirpur Sub-Post Offices	1640
1362	Local Telephone Call Charges	1640-41
1363	Hindustan Aircraft Ltd.	1641
1364	Passports to visit Pakistan	1641
1365	Land for Airfield at Pathankot	1642
1366	Indians in Kenya	1642
1367	Riots in Singapore	1642-43
1368	Telephone Exchanges and P.C.Os. in Punjab	1643
1369	Unit Fund	1643
1370	Indian Foreign Service (B)	1643-44
1371	Research Laboratories	1644-45
1372	Construction of air fields in Neapal	1645
1373	Pakistani Labourers in Lubbacherra Area	1645
1374	Casual Labour System in Bombay Docks	1645-46
1375	Total Area of India	1646
1376	M.I.Gs. from U.S.S.R.	1646-47
1377	Bulletins on Prime Minister's Illness	1647
1378	Canteen Staff in Defence Establishments	1647
1379	Periodical brought out by Indian Embassy in Paris	1648
1380	Unauthorised use of Navy Plane	1648
1381	Dearness Allowance	1649
1382	Telephones at residences of P. & T. Officials	1649-50
1383	Acquisition of land for military purposes	1650
1384	P. & T. Employees	1650
1385	Housing Programme for Army Officers	1650
1387	Women Labourers	1651
1388	Book on Late Prime Minister Nehru	1651-52
1390	Abolition of Contract Labour System	1652

अतारांकित
प्रश्न संख्या

	विषय	पृष्ठ
1391	कोयला खान उद्योग .	1653
1392	खान यंत्रीकरण प्रशिक्षण संस्था	1653
1393	रामगुंडम में क्षेत्रीय अस्पताल	1653
1394	एम० ई० एस० सिरसा	1654
1395	नई मंत्रि-परिषद् . .	1654
1396	यूरेनियम के स्थान पर कोई अन्य पदार्थ	1654–55
1397	आपातकालिक भर्ती	1655
1398	ग्वालियर में रेडियो स्टेशन . .	1655–56
1399	"एवरो" हवाई जहाजों का निर्माण करने की परियोजना	1656
1400	श्रमिक निर्वाह-व्यय सूचकांक	1656
1401	सेना की वर्दियां .	1657
1402	सैनिक समाचार	1657–58
1403	नेपाल में राजदूत . .	1658
1404	लद्दाख में मारे गये जवानों का स्मारक .	1658
1404-क	तिब्बती शरणार्थियों के लिये विदेशी सहायता	1659
1404-ख	करीमगंज-पाकिस्तान सीमा .	1659

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . 1660–61, 1664

(एक) पिपरिया रेलवे स्टेशन पर फलों के एक पार्सल में प्रतिरक्षा नक्शों के पाए जाने के समाचार . . . 1660–61

श्री स० मो० बनर्जी . . 1660

श्री यशवन्तराव चव्हाण . . . 1660–61

(दो) पंजाब के मुख्य मंत्री के टेलीफोन सुनने की कथित घटना 1664

श्री हुकम चन्द कछवाय . . 1664

श्री सत्य नारायण सिंह 1664

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन की घटनाओं के बारे में वक्तव्य

श्री यशवन्तराव चव्हाण . . . 1662–63

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . 1664–65, 1668

सदस्य की दोषसिद्धि के बारे में सूचना 1665

करों की अस्थायी वसूली (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . 1665–66

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव 1666—85

श्री हेडा . . 1667–68

श्री जी० भ० कृपालानी 1668–69

श्री इन्द्रजीत गुप्त . . 1669—71

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1391	Coal Mining Industry	1653
1392	Mine Mechanisation Training Institute	1653
1393	Regional Hospital at Ramagundam	1653
1394	M.E.S. Sirsa	1654
1395	New Council of Ministers	1654
1396	Alternative to Uranium	1654-55
1397	Emergency Recruitment	1655
1398	Radio Station at Gwalior	1655-56
1399	'Avro' Plane Manufacturing Project	1656
1400	Workers' Cost of Living Index	1656
1401	Army Uniforms	1657
1402	Sainik Samachar	1657-58
1403	Ambassador in Nepal	1658
1404	Memorial for Jawans killed in Ladakh	1658
1404-A	Foreign Aid for Tibetan Refugees	1659
1404-B	Karimganj-Pakistan Border	1659
	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	1660—64
	(i) Reported discovery of defence maps in a fruit parcel at Pipariya Railway Station ;	1660-61
	(ii) Alleged tapping of telephone of Chief Minister of Punjab.	1664
	Statement re : Cease-fire violations	
	Shri Y. B. Chavan	1662-63
	Papers laid on the Table	1664, 1665,1668
	Intimation re : conviction of Member	1665
	Provisional collection of Taxes (Amendment) Bill—introduced	1665
	Motion re : International situation.	1666—85
	Shri Heda	1667-68
	Shri J.B. Kripalani	1668-69
	Shri Inderjit Gupta	1669—71

विषय	पृष्ठ
श्रीमती रेणुका राय	1671–72
श्री हेम बरुआ	1672—74
श्री जोकीम आल्वा	1674–75
श्री उमानाथ	1675–76
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद	1676–77
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	1677–78
श्री उस्मान अली खां	1678–79
श्री स्वैल	1679–80
श्री बड़े	1680–81
डा० राम मनोहर लोहिया	1681
श्री कृष्ण मेनन	1681—85
श्री स्वर्ण सिंह	1685
सभा के कार्य के बारे में	1666–67

	PAGES
Shrimati Renuka Ray	1671—72
Shri Hem Barua	1672--74
Shri Joachim Alva	1674--75
Shri Umanath	1675-76
Shri Brajeshwar Prasad	1676-77
Dr. L. M. Singhvi	1677-78
Shri Osman Ali Khan	1678-79
Shri Swell	1679-80
Shri Bade	1680-81
Dr. Ram Manohar Lohia	1681
Shri Krishna Menon	1681—85
Shri Swaran Singh	1685
Re : Business of the House	1666--67

यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

399(Ai)LSD—1

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 28 सितम्बर, 1964/6 आश्विन, 1886 (शक)

Monday, September 28, 1964/Asvina 6, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उतर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Defence Minister's Visit to U.S.S.R.

+

*423 **Shri Jagdev Singh Sidhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Yashpal Singh :
Shri P.C. Borooah:
Shri Rameshwar Tantia :
Shri D.C. Sharma :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether he recently visited the U.S.S.R. to negotiate the military assistance programme with the Government of that country ; and

(b) if so, the nature of assistance which that Government has agreed to offer ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) जी, हां ।

(ख) 21 सितम्बर, 1964 को सदन में दिए गए वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Modern arms will be supplied to Indian Army under this agreement. May I know whether Russian trainers will come to India for training our army personnel in their operation and technique or Indian Army personnel will be sent to Russia for the purpose ? Has any scheme been formulated in this regard ?

डा० द० स० राजू : जी, हां ; कुछ प्रविधिज्ञों के रूस से आने की सम्भावना है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यहां पर हमारे लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

डा० द० स० राजू : जी, हां ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : How many technicians have been called here from Russia, America etc. who are imparting training or doing some other work in ordnance factories or other such factories where military equipments are manufctured and how many are likely to be called further ?

Mr. Speaker : How America comes in this ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Under "etc".

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : आयुध कारखानों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में उन्हें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि इन सब देशों में प्रशिक्षित कराने की एक विशिष्ट योजना है ।

Shri Prakash Vir Shastri : In the last week the hon. Defence Minister gave a statement on Russian and American assistance in which he gave detailed information regarding Army and Air Force but no specific reference was made about Navy. May I know whether any negotiations are going on with those countries for getting assistance for the expansion of our Navy and if so, what are its details ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यदि मुझे ठीक ठीक याद है तो नौसेना की अपनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हम ने रूस में क्या क्या किया इसका उल्लेख मैंने किया था ; मैंने अमेरिका में हुई बातचीत के बारे में भी बताया था । मजगांव गोदी में फ्रिगेटों के निर्माण और मजगांव गोदी के विस्तार के सम्बन्ध में इंगलैंड सरकार से जो प्रस्ताव किये गये थे उनकी स्वीकृति का मैंने विशेषरूप से उल्लेख किया था ?

Shri Yashpal Singh : It is not clear trom the statement of our hon. Defence Minister as to which of the sub-marines which great Britain and Russia are prepared to give us are cheaper and which of them are preferred by our Government ?

Shri Y.B. Chavan : This is still to be looked into and this point is to be considered. Decision can only be taken after we have seen the British offer.

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सैनिक सहायता के उपयोग के बारे में रूस ने कुछ शर्तें रखी हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सोवियत संघ से ये खरीद दीर्घ-कालीन आधार पर, वस्तु-विनिमय आधार पर और रुपये में भुगतान के आधार पर की जायेंगी ? यदि हां, तो इन विभिन्न मदों के लिये किस किस प्रकार से भुगतान किया जायेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सामान्यतया, रुपयों में भुगतान की व्यवस्था यह होती है कि भुगतान निर्यात व्यापार द्वारा करना होता है ।

श्री रंगा : क्या हम यह समझलें कि यह देखने के लिये कार्यवाही की जा रही है कि रूस अमेरिका और इंगलैंड से हम जितने भी प्रतिरक्षा उपकरण प्राप्त कर सकते हैं उन के उपयोग और अन्तर्विनिमय में पर्याप्त समन्वय हो और यह कि प्रत्येक स्तर के हमारे सैनिक कर्मचारी युद्ध के समय अल्प सूचना पर ही बिना कोई परेशानी उठाये उनका उपयोग कर सकें ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां ; आवश्यक समन्वय तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी ध्यान रखा जाता है । हम यह भी ध्यान में रखते हैं कि दोनों देशों की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य से यह पता चलता है कि रूस में निर्मित संयंत्र और मशीनों तथा औजारों आदि का जो कि मिग कारखानों के विकास के लिये आवश्यक हैं नवीनतम करार के अन्तर्गत सम्भरण किया जायेगा । अगस्त, 1962 में जब इस से पहला करार किया गया था तो क्या उस समय हमारी सरकार यह समझती थी कि स्वदेशी निर्माणकर्ता इन वस्तुओं का सम्भरण कर सकेंगे और इसीलिये करार में उन वस्तुओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और यदि हां, तो इसकी वजह से कारखानों की स्थापना में कितना विलम्ब हुआ ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यहां पर ऐसा समझा गया था कि सम्भवतया हम इन में से कुछ वस्तुओं, जिग्स और औजारों का अपने देश में ही निर्माण कर सकेंगे । परियोजना प्रतिवेदन का अध्ययन करने के पश्चात् हम ने यह देखा कि इतना सब कुछ सम्भव नहीं था । इसी कारण यह आवश्यक समझा गया कि एक सहायक करार किया जाये ।

Shri M. L. Dwivedy: Will the military assistance, we would be getting, as a result of the hon. Defence Minister's visits to U.S.S.R. and America, be more and better in terms of value and quality from America or U.S.S.R ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि यह तुलना उचित तथा आवश्यक नहीं है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड

\+

*424. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम जीवी तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए बनाये गए मजूरी बोर्ड ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले बोर्ड ने कोई अन्तरिम सहायता दिये जाने की सिफारिश की है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवैया): (क) जी, हां ।

(ख) श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रश्नावलि 15 अप्रैल, 1964 को विभिन्न अखबारी अप्रतिष्ठानों तथा श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों को भेज दी गई थीं और उनसे 15 जुलाई, 1964 तक उत्तर भेजने के लिए कहा गया था । समयावधि को बढ़ाने के लिए अनेक प्रार्थनाएं आने पर बोर्ड ने 30 सितम्बर, 1964 तक प्राप्त सभी उत्तरों पर विचार करने का फैसला किया है । 15-4-1964 को श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 10 (2) के अन्तर्गत अखबारी प्रतिष्ठानों आदि को प्रतिवेदन भेजने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था । बोर्ड की अभी तक चार बैठकें हुई ।

गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्डों द्वारा अनुमोदित प्रश्नावलि भी भेज दी गई है और इस सम्बन्ध में उत्तर 15 नवम्बर, 1964 तक प्राप्त होने हैं। बोर्ड की अभी तक 5 बैठकें हुई हैं ।

(ग) जी नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या श्रमजीवी तथा गैर-श्रमजीवी दोनों ही प्रकार के पत्रकारों ने तुरन्त अन्तरिम सहायता दिये जाने की मांग की है और क्या उनको अन्तरिम सहायता देने के लिये सरकार ने मजूरी बोर्डों को कोई अनुदेश जारी किये हैं ?

श्री संजीवैया : जहां तक श्रमजीवी पत्रकारों का सम्बन्ध है भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने सरकार से यह प्रार्थना की थी कि अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये । यह प्रार्थना अप्रैल में की गई थी और उनकी यह मांग मजूरी बोर्ड को मई में भेज दी गई थी। श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड इस प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मामले में यह प्रार्थना सीधी मजूरी बोर्ड से की गई थी और मजूरी बोर्ड उस पर विचार कर रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं और निर्वाह व्यय देशनांक में सामान्य रूप से वृद्धि हुई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यथासम्भव शीघ्र अन्तरिम सहायता देने के लिये मजूरी बोर्डों को आवश्यक अनुदेश जारी करेगी ?

श्री संजीवैया : यही बात तो मैं पहिले बता चुका हूं, परन्तु दोनों मजूरी बोर्डों की बैठक 22 और 23 सितम्बर को बम्बई में हुई थी और उन्होंने इस प्रश्न पर आगे विचार करने की बात 20 अक्तूबर के लिये स्थगित कर दी है । कदाचित् उनकी बैठक देहली में होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी: क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि मुझे यह सूचना मिली है कि कुछ मालिक लोग यह चाहते थे कि यह अन्तरिम सहायता न दी जाये ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश देगी कि प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व वे अन्तरिम सहायत के इस पहलू पर विचार करे और इसमें इस कारण से विलम्ब न करें कि मालिक लोग इसका विरोध कर रहे हैं ?

श्री संजीवैया : यह मामला हमने मजूरी बोर्ड को सौंप दिया है इस बात से ही यह प्रकट होता है कि हम श्रमजीवी तथा गैर -श्रमजीवी पत्रकारों को किसी प्रकार की अन्तरिम सहायता

प्रदान करने के इच्छुक हैं, परन्तु श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड की जो बैठक हाल ही में बम्बई में हुई थी उसमें प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने इस उद्योग की भुगतान करने की क्षमता का प्रश्न उठ दिया । वे यह चाहते थे कि इस बात की जांच की जाये ।

जहां तक गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड का सम्बन्ध है, वे यह जानना चाहते थे कि क्या इस बोर्ड को इस प्रश्न पर विचार करने का अधिकार है । इस सम्बन्ध में उन्होंने सरकार को लिखा है ।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से मुझे यह पता चलता है कि श्रमजीवी तथा गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड प्रश्नावलियों और उन के उत्तरों के कर्मचक्र में जकड़े हुए हैं और मैं समझता हूं कि निर्णय को स्थगित करने की यह एक अत्युत्तम विधि है । क्या सरकार को ऐसा कोई अधिकार है कि इस कार्य को शीघ्र करने की अत्यावश्यकता तथा विद्यमान ऊंचे मूल्यों को देखते हुए वह मजूरी बोर्डों की सिफारिशों की बिना उपेक्षा के ही कार्यवाही करे ?

श्री संजीवय्या : प्रश्नावलियों को जारी करने और उत्तरों को प्राप्त करने का यह कायकर्म तो सभी प्रकार के मजूरी बोर्डों के लिये एक जैसा ही है । श्रमजीवी और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्डों के मामले में यह भिन्न प्रकार का नहीं हो सकता । हम यह देखेंगे कि इन मामलों में यथासम्भव शीघ्र कार्यवाही पूरी हो जाये ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार का और भी कोई मजूरी बोर्डों को स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो किन किन उद्योगों के लिये और क्या वे उद्योग सरकारी क्षेत्र के होंगे अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के ?

श्री संजीवय्या : यह एक आम प्रश्न है । तथापि, इसका उत्तर मैं दूंगा । पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के लिये एक मजूरी बोर्ड इंजीनियरी उद्योगों के लिये भी एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह मजुरी बोर्ड कब स्थापित किया गया था और उसके प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने की निर्धारित तिथि क्या थी और

अध्यक्ष महोदय : इतना ही पर्याप्त है ।

श्री संजीवय्या : श्रमजीवी पत्रकारों का मजूरी बोर्ड 12 नवम्बर, 1963 को स्थापित किया गया था और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों का मजूरी बोर्ड 25 फरवरी, 1964 को स्थापित किया गया था । उनके प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

श्री काशीनाथ पांडे : अन्तरिम सहायता भी मजूरी का ही एक अंग है और इसलिये क्या इस प्रश्न को भी बोर्ड को सौंपने का मंत्रालय का विचार है ?

श्री संजीवय्या : मैं पहले ही बता चुका हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के सम्बन्ध में यह मामला उन के बोर्ड को सौंपा जा चुका है और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के मामले में बोर्ड को सीधे ही अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

U. N. Observers in Kashmir

\+

*425. **Shri Prakash Vir Shastri:**
Shri Yashpal Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Bishan Chand Seth :
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Dhaon:
Shri B. P. Yadav:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the progress made towards increasing the number of U.N. observers in Kashmir ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon): U.N. authorities have further increased the number of U.N. observers by five and have provided a Carribean plane to the team of observers. It is expected that this plane will facilitate much the movement of U.N. observers.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know the total number of cases in which Pakistan has been held guilty by the existing U.N. observers in Jammu and Kashmir since their arrival there as also the penalty imposed on Pakistan for them.

Mr. Speaker: This point has already been discussed here many times. No penalty is imposed consequent to their being found guilty. Simply a record is maintained. A reference may be made when this question is raised in the Security Council.

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether any penalty is imposed on Pakistan or something else is proceeded when the U.N. Observers held that actually there was an agression from Pakistani side.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों का यह कार्य नहीं है । वे केवल यही देखते हैं कि युद्ध-विराम रेखा का ठीक प्रकार से पालन किया जा रहा है और यदि उसका कोई उल्लंघन होता है तो वे उस पर ध्यान देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब वे यह निर्णय देते हैं कि कोई देश युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघ करने का दोषी है तो क्या उस पर आगे कोई कार्यवाही की जाती है या उसका रिकार्ड ही रखा जाता है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाती ।

Shri Prakash Vir Shastri: 400 Pakistani soldiers had recently made an attack on India in a planned manner. Have the U.N. observers taken notice of it and if so, what opinion has been expressed by them in this matter ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): प्रश्न काल समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् ही मैं इन मामलों पर एक वक्तव्य दूंगा । यदि माननीय सदस्य बाद में इस पर प्रश्न पूछना चाहें तो अधिक अच्छा होगा क्योंकि मैं सभी जानकारी दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उस समय कदाचित मैं अनुमति न दूं । श्री यशपाल सिंह ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वह युद्ध विराम-रेखा के उल्लंघनों के सम्बन्ध में होगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघनों के बारे में वक्तव्य देंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां। उल्लंघनों के बारे में एक और भी विशेष प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री एक वक्तव्य देंगे । गत कुछ दिनों में जो सूचनायें मुझे भेजी गयी हैं उन्हें मैं एकत्रित करता रहा हूं और जिन जिन सदस्यों ने सूचनायें भेजी हैं उन सभी को मैं प्रश्न पूछने का अवसर दूंगा ।

Shri Yashpal Singh: What is the total length of this cease-fire line and how many U.N. observers in all are working there. Is it a fact that those observers do not take any action when there is a violation of cease-fire line in an attack on our side, but they do take action only when Pakistani troops start firing on these observers' jeeps ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : युद्ध-विराम रेखा 570 मील लम्बी है और वहां पर 39 पर्यवेक्षक हैं ।

श्री रंगा : हम उत्तर नहीं सुन सके । वह इतना तेज़ बोलती हैं जैसे कि पंजाब मेल गाड़ी जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : पंजाब मेल गाड़ी इतना तेज नहीं चलती जितना कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : युद्ध-विराम रेखा 570 मील लम्बी है और 1 सितम्बर, 1964 को वहां पर 39 पर्यवेक्षक थे ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Has this increase in the number of U.N. observers been demanded by the Government of India and if so, why ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि करने की मांग भारत सरकार ने की है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमने इसके लिये प्रार्थना नहीं की ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने कुछ संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के कार्यकलापों के बारे में शिकायत की थी और यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी जांच की है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मुझे इसके लिये विधिवत् निश्चित सूचना दी जाये ।

श्री कपूर सिंह : क्या संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि से सामान्यतया युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघनों में वृद्धि होती है अथवा घटोतरी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री शिवाजीराव शंव्देशमुख ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि का युद्ध-विराम रेखा पर विसैन्यीकृत क्षेत्र में विस्तार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जी, नहीं ।

श्री हेम बरुआ : यद्यपि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अभी अभी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि के लिये भारत ने कभी भी प्रार्थना नहीं की, माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने इसी सदन में बताया था कि भारत ने वृद्धि की प्रार्थना की थी इत्यादि; अब वह चाहे जो कुछ भी हो, पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम के उल्लंघनों में वृद्धि को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि करने की अत्यावश्यकता को समझती है और यदि हां, तो हमारी सरकार ने सुरक्षा परिषद् का ध्यान इस बात की ओर दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : संयुक्त राष्ट्र दल ने कुछ महीने पूर्व भारत का दौरा किया था तब युद्ध-विराम रेखा का निरीक्षण करने के पश्चात्....

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी यह विचार है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने यह बात कही थी ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सच है कि वास्तव में हमने यह सुझाव दिया था । जब श्री बंच ने भारत का दौरा किया था तब उनके सामने भी मैंने यह सुझाव रखा था । मैं अपने उस कथन की पुष्टि करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह स्वीकार नहीं किया गया था ? **(अन्तर्बाधा)** ।

श्री रंगा : महिला मंत्री ने दूसरा ही उत्तर दिया था ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न पर मेरी यह प्रार्थना है कि इस औचित्य प्रश्न को उठाने के लिये आप मुझे क्षमा करें । प्रतिरक्षा मंत्री ने अभी यह स्वीकार किया था कि उन्होंने वृद्धि की प्रार्थना की थी और उसी के मुकाबले में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने यह कहा है कि संख्या में वृद्धि के लिये भारत ने कभी प्रार्थना नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री का कथन ठीक नहीं था और वह ठीक कर दिया गया है । अब और वह क्या चाहते हैं ?

श्री रंगा : एक मंत्री एक बात कहता है, कोई विशेष बात, तो दूसरा मंत्री उससे दूसरी ही बात । जब हमने एक मंत्री से पूछा तो उसने उसका उत्तर नकारात्मक दिया । क्या इसी ढंग में इस सरकार का कार्य चल रहा है ? क्या इस तरह के कथनों को हमें यहां पर स्वीकार कर लेना चाहिये ? मैं यह तो नहीं जानता कि किस मंत्री का यह कार्य है परन्तु इतना निश्चित है कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि ऐसे गलत कथनों के लिये वह क्षमायाचना करे । **(अन्तर्बाधा)**

श्री हेम बरुआ : इस बात से देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और इसलिये मंत्रियों के विभागों में कुछ समन्वय तो होना ही चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सदन में यह जो भी कुछ कार्यवाही हुई है उसको मंत्रियों ने ध्यान में रखा है अथवा उसका ध्यान रखेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रतिरक्षा मंत्री ने अपना कथन समाप्त नहीं किया कि उसी बीच में उसमें अन्तर्बाधा डाल दी गई थी । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह कथन ठीक कर दिया गया है ।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है । मैंने बताया कि 'हां', प्रेक्षकों की संख्या में पांच की वृद्धि कर दी गई है । यह वृद्धि हमारी सरकार के सुझाव पर नहीं की गई थी । हमने इसके लिये प्रार्थना नहीं की थी । यह बात मैंने बताई है । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । कई माननीय सदस्य खड़े हुए हैं । अब वे कृपया बैठ जायें । हम प्रश्न पर आगे चल रहे हैं ।

श्री रंगा : यह निश्चित है कि उन्हें अपना उत्तरदायित्व उचित रूप में समझते हुए ही अपने उत्तर देने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रत्येक से शान्ति रखने के लिये कहा है । परन्तु माननीय सदस्य अब भी खड़े हुए हैं और अपनी बात पर जोर दे रहे हैं; क्या वह चाहते हैं कि मैं भी उनके जैसा ही करूं अथवा वह मुझे आगे कार्यवाही चलाने देंगे ?

श्री रंगा : श्रीमन्, मैं भी यह चाहता हूं कि कार्यवाही आगे चले ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत ही अच्छा है, इस प्रकार के साथ से मैं बहुत प्रसन्न हूं । प्रश्न यह है....

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : श्रीमन्, क्या मैं भी कुछ निवेदन कर सकता हूं ? मेरा विचार है कि जब भी कभी हम कोई गलती करें हमें उसे तुरन्त ही स्वीकार कर लेना चाहिये । कुछ दिन पहिले मैंने भी एक बात कही थी जिसमें मैंने पंडित जवाहर-लाल नेहरू के इच्छापत्र के विषय में कहा था और फिर मैंने सदन में अपने कथन की शुद्धि की । कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य-मंत्री किसी फाइल विशेष को देख नहीं पाता । सम्बन्धित मंत्री उसे स्वयं ही निपटा चुका होता है । इस मामले के सम्बन्ध में यह बात सच है कि हमने संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि वे प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि करें और इसके लिये वे शीघ्र ही राजी हो गये । इस कार्य में उन्हें कुछ देर लगीं । जैसा कि श्रीमती मेनन ने बताया है अब पांच और प्रेक्षक आ गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु श्रीमती मेनन ने तो यह कहा था कि प्रेक्षक की संख्या में वृद्धि हमारी प्रार्थना पर नहीं की गई ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसीलिये तो मैंने सोचा कि मैं निश्चित बात बता दूं और मैं उठ खड़ा हुआ । मेरे इस कथन को आप सही समझें ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : इतने सदस्य एक साथ खड़े न हों । मैं माननीय सदस्यों से पुनः प्रार्थना करता हूं कि जब किसी एक सदस्य को पुकार लिया जाये तो अन्य सदस्यों को तुरन्त ही बैठ जाना चाहिये । तभी हम अपनी कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चला सकते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, क्या प्रतिरक्षा मंत्री ने इन उल्लंघनों को न होने देने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिक सैनिक टुकड़ियों को रखने की मांग की सम्भावना पर कभी विचार अथवा चर्चा की है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जी, नहीं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हमने अधिक संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों की मांग की है तो क्या उनकी संख्या में वृद्धि के साथ साथ ही युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न पूछा जा चुका है और मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी ।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसे प्रेक्षकों को रखने से क्या लाभ है, यह मेरी समझ में नहीं आता । इन प्रेक्षकों का विशेष कार्य क्या है ? क्या यह सच है कि उनकी संख्या में वृद्धि के साथ साथ ही युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघनों की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है और वे प्रेक्षक कुछ भी कर सकने में असमर्थ हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता । प्रेक्षकों का काम है प्रेक्षण करना । यदि वे स्थान पर नहीं होते तो जो देश असंतुष्ट महसूस करे उसे प्रेक्षकों को इसके बारे में सूचना देनी होती है । प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि होने से वे अधिक चौकियों पर उपलब्ध हो सकेंगे । क्या वे अतिक्रमणों और अन्य अपराधों की संख्या घटा सकते हैं यह संभव नहीं है ।

श्री शिंकरे : चूंकि पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विराम अतिक्रमणों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और विशेषत: युद्ध-विराम रेखा का महत्व नहीं समझा जाता है, क्या सरकार अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय के विचार में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप बिना ही कोई सीधी कार्यवाही करना संभव है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा तो सदैव ही होता है; बहुत से मामलों में हम पर भी अभियोग लगाये जाते हैं ।

Shri Rameshwaranand: May I know the number of times Pakistan and India have violated the Cease-Fire line, separately, since the arrival of the observers in Kashmir ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

Shri K. D. Malaviya: Does the Govt. not think that the proposal to keep army in place of observers is very much against our interest ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): That is why the Defence Minister has said that we do not at all want this.

Shri Y. B. Chavan: I said that we never asked for this.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : एक बार हमने संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षकों की संख्या घटाने के लिये कहा था, और संख्या घटा दी गई थी । हमने यह भी आग्रह किया था कि वहां पर अमरीका का कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए । अब स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अमरीका का कोई कर्मचारी नहीं है । जिन देशों के प्रतिनिधि हैं उनके नाम ये हैं : आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कैनेडा, चिल्ली, डेनमार्क, फिन्लैन्ड, इटली, न्यूजीलैंड, नारवे, स्वडेन और उरुगुए ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा प्रश्न यह था कि एक समय हमने स्वयं प्रेक्षकों की संख्या घटाने और अमरीका के प्रेक्षकों को वापस लेने के लिये कहा था । अब स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है । अब हम अधिक प्रेक्षक क्यों चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अतिक्रमणों की संख्या बढ़ गई थी और हम .....

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्योंकि अतिक्रमणों की संख्या बढ़ गई है, क्या इसलिये हमने प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि अब प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिये क्यों कहा गया है जब कि पहले हमने संख्या घटाने के लिये कहा था ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : संयुक्त राष्ट्र संघने स्वयं अपने प्रतिनिधि भेजे थे और प्रेक्षकों की संख्या बढ़ाना आवश्यक समझा गया था ; इसलिये इसे बढ़ाया गया था ।

Telegrams

\+

*426. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shrimati Savitri Nigam:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri Kajrolkar:
Shri Solanki:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a scheme for transmitting all telegrams on wire in the quickest possible time instead of sending them by post;

(b) if so, the broad outlines thereof and the results achieved; and

(c) whether Government contemplate to participate in the Global Satellite Communications System, and if so, what will be its benefits ?

The Deputy Minister in the Department of Communication (Shri Bhagavati) (a) No. Formutation of a new scheme is not necessary since the objective of the telegraph service is to transmit all telegrams on wire in the quickest possible time. The disposal of telegrams by post is resorted to occasionally when normal Communication links fail and are not restored within a reasonable time.

(b) Does not arise.

(c) The proposal is under consideration. The Global Satellite Communications System is expected to provide improved international telecommunications facilities and greater traffic handling capacity.

Shri M. L. Dwivedi: May I know the nature of difficulties so far experienced in transmitting telegrams to foreign countries ? What more facilities are likely to accrue as a result of the improved technique and what are their details ?

श्री भगवती : इस समय भारत का समुद्रपार का समस्त संचार यातायात 'हाई फ्रिकोन्सी रेडियो सर्किट द्वारा संभाला जाता है। 24 देशों के साथ हमारा सीधा रेडियो तार सेवा का संपर्क है, 8 देशों के साथ हमारा सीधा रेडियो फोटो सेवा का संपर्क है और 4 देशों के साथ हमारा सीधा टेलेक्स सेवा का संपर्क है। इसके अतिरिक्त अन्य देशों के साथ भी हमारे 'स्विच्ड सर्विस' के संपर्क हैं, परन्तु मांगों को पूरा करने के लिये यह अपर्याप्त है। मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और, इसलिये, विश्व उपग्रह संचार पद्धति में और राष्ट्रमण्डल पनडुब्बी समुद्रीतार पद्धति में भाग लेने का विचार है।

Shri M. L. Dwivedi: May I know the names of the countries with whom talks have been held by Government for establishing Satellite Service ? Have any talks been held with U.S.S.R. or U.S.A. ? By what time shall we be able to avail of this facility ?

श्री भगवती : 24 जुलाई, 1964 को अमरीका में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें एक करार किया गया था। इस करार पर इंगलैंड, कैनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, इटली, स्विटजरलैंड, जर्मनी, अमरीका और कुछ अन्य देशों ने हस्ताक्षर किये हैं। इस करार के अन्तर्गत उन सभी देशों को, जो इस उद्यम में भाग लेना चाहते हैं, पूंजी लागत में अंश लेने के लिये 19 अगस्त, 1964 से 6 महीने का समय दिया गया है। भारत इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। आशा है कि 2 या 3 वर्ष में यह पद्धति लागू हो जायेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : जो तार तार के द्वारा नहीं भेजे जा सकते थे उन्हें साधारण डाक द्वारा भेजा जाता है अथवा एक्सप्रेस डाक से ? अमरीकी पनडुब्बी समुद्रीतार पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री भगवती : जब उपरली लाइनें प्राकृतिक आपदों अथवा अन्य कारणों से खराब हो जाती हैं, तो हमें साधारण डाक का सहारा लेना पड़ता है। डाक द्वारा भेजे जाने वाले तारों की संख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही है। ऐसे तारों की संख्या भेजे जाने वाले कुल तारों की अपेक्षा केवल 1 प्रतिशत है हाल में इनकी संख्या और भी कम हो गई है।

श्री रंगा : वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रश्न यह था कि इसे साधारण अथवा एक्सप्रेस डाक द्वारा भेजा जाता है।

श्री भगवती : साधारण डाक द्वारा भेजा जाता है।

श्रीमती सावित्री निगम : एक्सप्रेस डाक द्वारा क्यों नहीं भेजा जाता है ?

श्री भगवती : हम इस पर विचार करेंगे। इस समय इसे केवल साधारण डाक द्वारा ही भेजा जाता है।

श्री दी० चं० शर्मा : तार के पहुंचने में कम समय लगे इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्योंकि मैं देखता हूं कि कभी कभी पत्र तार से पहले पहुंच जाते हैं।

श्री भगवती : सरकार इसके लिये अनेक उपाय कर रही है।

श्री दी० चं० शर्मा : उन उपायों का क्या परिणाम निकला है ?

श्री भगवती : मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय; बहुत सारे आंकड़े नहीं; वह पटल पर एक विवरण रख सकते हैं । वह यह भी कह सकते हैं कि क्या कोई सुधार हुआ है ।

श्री भगवती : कुछ सुधार हुआ है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्योंकि हम पृथ्वी पर उपग्रहों के होने के विरुद्ध हैं, फिर पृथ्वी से दूर उपग्रहों की खोज करने का शौक क्यों कर चढ़ा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझ सका वह पृथ्वी पर हैं अथवा आकाश में ?

श्री भगवती : क्योंकि इससे बहुत सुधार होगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय इससे अवगत हैं कि उन मामलों में जबकि तार डाक द्वारा भेज दिये जाते हैं तो तार के पैसे तार भेजने वाले को डाकखाना अपने आप वापस नहीं करता बल्कि केवल उसके प्रार्थनापत्र देने पर ही पैसे लौटाये जाते हैं और यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री भगवती : जब तार भेजने वाले से कोई शिकायत आती है तो हम पैसा लौटा देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि प्रार्थना किये बिना ही पैसा स्वयं लौटा दिया जाना चाहिये ।

श्री भगवती : यह व्यवहार्य नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह व्यवहार्य क्यों नहीं है ? प्रत्येक कार्यालय हिसाब रखता है ।

श्री भगवती : हमने इस प्रश्न की जांच की है और यह देखा है कि यह व्यवहार्य नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे खेद है । जब मैंने शिकायत की तो पैसा मिलने में लगभग 3 मास लग गये थे । जब कोई अन्य व्यक्ति शिकायत करता है उसे शायद 6 मास या इससे अधिक समय तक के लिये इंतजार करना पड़ता है । स्थिति में सुधार होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कामत से सहमत हूं । परन्तु, शायद अन्य मामलों में इतना समय नहीं लगता जितना श्री कामत के मामले में लगता है ।

Shri K. N. Tiwary: May I know the total number of telegrams sent by post due to failure or breakdown in the lines ?

श्री भगवती : 1963–64 में 24, 98, 87, 588 तारों में से 14,92,498 तार डाक द्वारा भेजे गये, अर्थात्, केवल 0.5 प्रतिशत ।

Shri Onkar Lal Berwa: While urgent telegrams are sent by telegraph system, the ordinary telegrams are always sent by post. Why is it so ?

श्री भगवती : ऐसा नहीं है । साधारण और तुरत तारों के आंकड़े मैं पहले ही बता चुका हूं ।

Shri Rameshwaranand: The telegrams sent in English reach earlier than those sent in Hindi. Why this discrimination ?

श्री भगवती : जी नहीं ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस से अवगत है कि दिल्ली और चण्डीगढ़ से जगराओं को साधारण तार हमेशा ही साधारण डाक से भी बाद पहुंचते हैं, यदि हां, तो सरकार जगराओं तारघर को बन्द क्यों नहीं कर देती ?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है । माननीय मंत्री इस पर विचार करें ।

श्री लीलाधर कटकी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि डाक द्वारा भेजे गये तारों के पैसे लौटाना व्यवहार्य नहीं है । क्या सरकार इस प्रश्न पर जांच करना चाहती है जिससे कि जब तार डाक द्वारा भेजे जायें तो उनके पैसे वापस कर दिये जायें ?

श्री भगवती : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं । स्वयं माननीय मंत्री के कहने पर, इस प्रश्न पर हाल ही में जांच की गई थी, परन्तु यह देखा गया था कि कुछ हिसाब की और अन्य प्रकार की कठिनाइयां हैं । अतः हमने हिदायतें जारी की हुई हैं कि जब भी कोई शिकायत आये तो शीघ्र भुगतान कर दिया जाये ।

सेना के जवानों के लिये परिवार पेंशन

\+

*427. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने सेना के जवानों के लिये एक नयी परिवार पेंशन योजना चालू की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० रा० राजू) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रतिरक्षा (सेवाओं) में पुरस्थापित, साधारण कुटुम्ब पेन्शन की नई योजना के मुख्य लक्षण यह हैं, जहां तक इस का जवानों (जूनियर कमीशण्ड अफसरों और अवर श्रेणी-सैनिकों) से सम्बन्ध है :—

पेन्शन का लाभ उन जवानों की विधवाओं और बच्चों के लिये स्वीकार्य है, जो 1-1-1964 को सेवा कर रहे थे या उसके पश्चात् सेवा में जाएंगे और जो सेवा करते करते काम आये या सेवाविमुक्ति अथवा सेवा द्वारा जनित अथवा बिगाड़े गए कारणोंवश निर्योग्यता पेन्शन सहित रिटायर होंगे । मृत्यु अथवा निर्योग्यता के समय जवानों का कम से कम एक वर्ष की लगातार सेवा करना आवश्यक है । ऐसे व्यक्तियों की हालत में यह योजना लागू नहीं होती जो 1-1-1964 से पहले रिटायर हो गए हों, अगर वह उस तिथि को अथवा उसके पश्चात् सेवा के लिए पुनः नियुक्त किये गये थे/जाएं या बुलाए जाएं ।

(2) पेन्शन के दर वेतन का 30 प्रतिशत है जिसकी कम से कम सीमा 25 रुपये मासिक है, अगर मृतक का अन्तिम प्राप्त वेतन 200 रुपये हो, और वेतन का 15 प्रतिशत जो अधिकारिक 96 रुपये और कम से कम 60 रुपये प्रतिमास अगर वेतन 200 रुपये अथवा उस से अधिक, परन्तु 800 रुपये मासिक से कम हो ।

(3) कुटुम्ब पेन्शन विधवा को उसकी मृत्यु अथवा पुनर्विवाह तक दी जाएगी, जो भी पहले घटे, और उसके पश्चात् अल्पवयस्क लड़कों को जब तक वह 18 वर्ष के न हो जाएं, और अविवाहित लड़कियों को जब तक वह 21 वर्ष की न हो जाएं या विवाह न करलें, जो भी पहले घटे ।

(4) जवानों को 15 वर्ष की अर्हक सेवा सम्पूर्ण कर लेने पर, साधारण पेन्शनों के अतिरिक्त एक विशिष्ट उपदान भी दिया जाएगा, जो दो मास के वेतन के बराबर होगा । विवाहित सेविवर्ग की हालत में इस उपदान की अदायगी नहीं की जाएगी, परन्तु उनके कुटुम्ब, कुटुम्ब पेन्शन पाने के अधिकारी हो जाएंग ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह नई पेंशन पुरानी परिवार पेन्शन से, जो 1 जनवरी, 1964 से पहले लागू थी, कुछ बड़ी होगी, यदि हां, तो इसमें कितना अधिक पैसा मिलेगा और इस अतिरिक्त वृद्धि से राष्ट्रीय राजकोष पर कितना भार पड़ेगा ?

डा० द० स० राजू : नई परिवार पेन्शन योजना पुरानी योजना से निश्चय ही अच्छी है । वर्त्तमान योजना की सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि जवान, सैनिक सेवा से अतिरिक्त किसी कारण से मर जाते हैं तो भी उनके परिवारों को पेंशन मिलेगी ; पहले ऐसा होता था कि केवल सैनिक सेवा से संबंधित कारणों से मरने पर ही उनके परिवारों को पेंशन मिलती थी । दूसरे जब तक विधवा स्त्रियां पुन: विवाह न करें उनको शेष जीवन तक पेंशन मिलती रहेगी ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हम इन सब बातों को जानते हैं । क्या पेंशन में वास्तव में कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी , 2 रु० 3 रु० या 4 रु० ?

डा० द० स० राजू : कुल राशि के बारे में तो मुझे पता नहीं है, परन्तु इतना अवश्य पता है कि पेंशन की राशि 25 रु० से लेकर 150 रु० तक है । कुल राशि के बारे में मैं नहीं कह सकता । इस में निश्चय ही वृद्धि हुई है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : कितनी ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में वह नहीं जानते ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या उन जवानों के विधवा/विधुर/वृद्ध माता पिता इस नई पेंशन के लिये पात्र होंगे, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डा० द० स० राजू : परिवार का अर्थ है पत्नी और बच्चे । इस में अन्य व्यक्ति शामिल नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रीमन्, विवरण में यह दिया गया है कि जो जवान 1–1–64 को अथवा उसके बाद सेवा में थे, वे इस पेंशन के लिये पात्र होंगे । इसमें यह भी दिया गया है कि जो जवान 1–1–64 से पहले सेवानिवृत्त हो गये, उनको पुन: भरती होने पर भी वह योजना उन पर लागू नहीं होगी । क्या मैं इसका अर्थ यह समझूं कि वे सभी जवान, जो 1-1-64 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गये और बाद में सेवा में नहीं आये, इस पेंशन के लिये पात्र होंगे ?

डा० द० स० राजू: वे पात्र नहीं हैं। जो व्यक्ति 1-1-64 से पहले मर गये उन पर यह योजना लागू नहीं होती। इस पेन्शन के लिये पात्र होने के लिये 1-1-64 को और इसके बाद उनका सेवा में होना आवश्यक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: सेवा निवृत्त।

Shri Kashi Ram Gupta: Are Government considering to pay the amount of pension in the form of land in the villages so that they may be able to earn their livelihood by cultivating the land ?

Mr. Speaker: This is a suggestion for action. The hon. Member desires that they may be given land.

Shri Kashi Ram Gupta: I want to know whether this point has been considered.

Mr. Speaker: It has been considered a number of times.

Shri Yashpal Singh: What separate amounts have been sanctioned for the three categories, *viz.*, those who lost their lives on the battle field, those who are at present in service and those who have retired ?

डा० द० स० राजू: मुझे इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी: विवरण से प्रतीत होता है कि पेंशन के ये लाभ उन व्यक्तियों की विधवाओं और बच्चों को मिलेंगे जो 1-1-1964 को सेवा में थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि चीनी आक्रमण के दौरान मारे गये जवानों के परिवारों को क्या दिया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जिनकी अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1962 में मृत्यु हुई थी।

डा० द० स० राजू: जिन लोगों की वास्तविक क्षेत्र सेवा स्थिति में मृत्यु होती है, उसको अपने पेंशन के लाभ मिलते हैं।

डा० सरोजिनी महिषी: इस परिवार पेंशन योजना को लागू करने के संदर्भ में प्रादेशिक सेना में जवानों की क्या स्थिति है?

डा० द० स० राजू: यह योजना सभी अस्थायी कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों, इ० सी० ओ० और अन्य सेवा कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों पर, यदि वे विवाहित हैं, लागू होती है। यदि वे विवाहित नहीं हैं, तो यह योजना उन पर लागू नहीं होती।

श्री रा० ग० दुबे: क्या मैं जान सकता हूं कि जब कि प्रतिरक्षा दलों के पदाधिकारियों को अपने पेंशन लाभ आदि में वृद्धि करने के लिये विशेष पदोन्नतियां दी जाती हैं, क्या जवानों और जे० सी० ओ० के बारे में भी ऐसा ही है?

डा० द० स० राजू: विशेष पदोन्नति हमेशा ही दी जाती है।

Shri Sheo Narain: I want to know whether something was given to the families of Jawan killed during the Chinese aggression, if so, the details thereof ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : युद्ध-क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों के लिये विशेष सुविधाएं हैं। यह योजना उन लोगों पर लागू होती है जो सेवा में रहते हुए सामान्य रूप से मरते हैं। युद्ध-क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को हमने भुगतान कर दिया है।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

+

*428. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बागड़ी :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष में अब तक कुल कितनी धनराशि जमा हो चुकी है; और

(ख) उसमें से कितनी धनराशि अब तक व्यय की जा चुकी है ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री ललित सेन) : (क) राष्ट्रीय रक्षा कोष के केन्द्रीय खाते में 19 सितम्बर, 1964 तक 57.98 करोड़ रुपये जमा हो चुके थे ।

(ख) अभी तक कुल मिला कर क़रीब 33 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में गड़बड़ी की है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच कर ली है और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इसकी धनराशि कितनी है और इस बारे में वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री ललित सेन : प्रधान मंत्री को समय समय पर गड़बड़ी की विभिन्न शिकायतें मिली हैं। क्योंकि इस कोष में धन-संग्रह की जिम्मेवारी पूर्णतः राज्य सरकारों की है, इन सब शिकायतों को आवश्यक कार्यवाही के लिये उनके पास भेज दिया जाता है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कोष योजना को जारी रखेगी ?

श्री ललित सेन : जी, हां ।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the items on which the amount from the National Defence fund is mostly spent ?

Shri Lalit Sen : So far a sum of Rs. 27 crores is spent for the purchase of defence equipment and a Sum of Rs. 35 lakhs has been spent for providing amenities for the troops and the welfare of their families.

Shri Bagri : Whether the Government have discontinued practically the defence fund as is evident from the fact that only 11 members of this house contribute towards the fund as others have stopped to contribute.

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : There is no such proposal to discontinue this fund. But generally we are of the opinion that persons may contribute of their own accord and there should be no drive to collect money as was before. We had also stated our opinions to the chief Ministers. Persons may contribute of their own accord.

Shri J. P. Jyotishi : May I know the number of complaints regarding misappropriation of the National Defence fund received by the central Government so far and whether the central Government issued instructions to the state to take stern action against the corrupt persons.

Shri Lal Bahadur Shastri : I cannot give the figures but we have written strongly to the state Governments for investigation and taking necessary action.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की गयी समूची धनराशि का लेखा-परीक्षण किया जा चुका है और यदि हां, तो क्या किसी त्रुटि का पता लगा ?

श्री ललित सेन : दिसम्बर, 1963 में सभी राज्यों को एक परिपत्र भेजा गया था कि सभी पुरानी रसीद बुकें वापस ले ली जायें और एकत्र किये गये सभी धन के बारे में लेखा परीक्षा करायी जाये । जहां तक हमें पता है वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : In reply to a supplementary it has been stated that certain complaints regarding misappropriation were received. I want to know the amount involved therein and the amount contributed by the Indians in foreign countries towards this fund.

Shri Lal Bahadur Shastri : This is not the thing that we assess the amount of misappropriation from the complaints received. But the responsibility lies with the State Governments. They themselves got the receipt books printed and distributed. It was already made clear to them that responsibility for collecting money and any shortfall therein lies with them. So this has been left to them. As Shri Lalit Sen has stated, action is being taken.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the amount received from the Indians in foreign countries?

Shri Lalit Sen : These figures are not with me .

श्री हिम्मतसिंहजी : क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष में कुल कितना सोना एकत्र हुआ है ?

श्री ललित सेन : कुल 23402372483 $^{1}/_{2}$ ग्राम ।

श्री सोलंकी : इसमें से कितना सोना हथियारों और गोला बारूद खरीदने के लिये व्यय किया गया है ?

श्री ललित सेन : जैसा मैं पहले ही बता दूं प्रतिरक्षा सामग्री खरीदने के लिये 27 करोड़ रुपये दिये गये हैं ।

Shri R.S. Pandey : May I know, that keeping in view the Chinese attacks when these sources are much needed and there is great need for money, the reasons for slackness in the machinery of collecting money ?

Mr. Speaker : Hon. members are discussing This is the Government Policy.

श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या इस निधि से व्यय करने के बारे में कोई नियम बनाये गये हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, हां, इस बारे में नियम हैं ।

Shri Rameshwara nand : May I know whether it is a fact that there was some brass mixed with the gold that was given by the former chief Minister fPunjab equal to the weight of the late Prime Minister.

Mr. Speaker : Shri Indrajit Gupta

Shri Kapur Singh : This question should be replied to.

Mr. Speaker : The reply to this question is difficult as every body can not be a jeweller.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अभी प्रधान मंत्री जी ने बताया था कि केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में निदेश दिये हैं कि कोई प्रत्यक्ष आन्दोलन न चलाया जाये । सरकार का उन मामलों में क्या रवैया है जहां रविवार को, अतिरिक्त समय में, अतिरिक्त पारी आदि में काम करने को सहमत व्यक्तियों द्वारा रक्षा कोष में अप्रत्यक्ष रूप से दान दिया जाता है ? उनके मामले में क्या यह स्वैच्छिक होगा अथवा वे यदि चाहें तो अपना काम पहले की तरह सामान्य रूप से कर सकते हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि यह स्वैच्छिक है तो यह उन पर है कि वे इसे जारी रखें या न रखें। इस का बड़ा स्वागत किया जायेगा । यदि वे इसे जारी नहीं रखना चाहते तो सरकार उन्हें किसी प्रकार भी विवश नहीं करेगी ।

पूर्वी पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों से प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति

\+

*429. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बड़े :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 6 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 917 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान स्थित भारतीय बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति वहां पर अपनी जान तथा माल सुरक्षित न समझने के कारण अब भी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं ; और

(ख) पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को राज्य स्तर पर जो कड़ा विरोध पत्र भेजा गया था उसका उसने क्या उत्तर दिया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां। 22 मार्च से 31 अगस्त, 1964 तक की अवधि में पूर्वी पाकिस्तान की भारतीय बस्तियों से पश्चिमी बंगाल में 1886 व्यक्ति चले आए हैं। लेकिन खबर है कि अब उन बस्तियों में स्थिति शांतिपूर्ण है।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने इस आरोप से इन्कार किया है कि भारतीय बस्तियों में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने परेशान किया।

Shri Yashpal Singh : Whether the Government would tell the number of daily migrants from Pakistan into India.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन अब स्थिति सामान्य है और इन बस्तियों से और लोग नहीं आ रहे हैं।

Shri Yashpal Sjngh : Whether the Government knows that these migrants feel much difficulty in getting identification cards, visa and permit etc. and at they have to wait for long in the offices and if so, the arrangements made .by the Government in this respect.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यद्यपि पूर्व शरणार्थी नहीं हैं फिर भी उनको पूर्वी पाकिस्तान के अन्य शरणार्थियों की तरह ही सहायता और पुनर्वास सुविधा दी जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब कि ये भारतीय बस्तियां हैं, भारतीय प्रदेश है तो यदि आवश्यक हो तो उन क्षेत्रों में अपनी सेना अथवा सुरक्षा बल भजने में क्या बाधा है ताकि वहां के निवासियों को किसी प्रकार परेशान न किया जा सके।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : माननीय सदस्य को याद होगा कि पाकिस्तान में भारतीय बस्तियों और भारत में पाकिस्तानी बस्तियों की अदला बदली सम्बंधी एक करार है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। आवश्यक कानून पास हो गया है। हम सीमांकन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि तिथि निश्चित की जा सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा प्रश्न बस्तियों की अदला बदली के बारे में नहीं है बल्कि भारतीय क्षेत्र में निवासियों की सुरक्षा के बारे में है, जिनको परेशान किया जा रहा है। हम प्रत्यक्ष रूप से उनके संरक्षण के बारे में कदम क्यों नहीं उठा सकते जब कि यह हमारा प्रदेश है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : कठिनाई इस कार्य के लिये पाकिस्तान हो कर भारतीय बस्तियों में जाने की है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

Shri Prakash Vir Shastri : I request that question No. 444 may be taken up now as it is very important and in connection with the Pakistan tour of Shri Jai Prakash Narain.

Mr. Speaker : It is difficult for me. I generally go according to the order.

डूंगन परियोजना

श्री हेम राज :
*430. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 2 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 389 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डूंगन परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू): (क) जी हां। स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा जांच सम्पूर्ण हो चुकी है ।

(ख) चार मामलों के संबंध में स्पेशल पोलीस एस्टेब्लिशमेंट से अन्तिम रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं। शेष मामलों में तीन अफसरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री हेम राज : इसमें कितने पदाधिकारी दोषी पाये गये हैं ?

डा० द० स० राजू : चौथे मामले में जिसमें जांच पूरी हो गयी है पदाधिकारी हैं ले० कर्नल के० पी० पी० नायर ...

अध्यक्ष महोदय : उनकी संख्या क्या है ?

डा० द० स० राजू : जी, पांच ।

श्री हेम राज : इन पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है ?

डा० द० स० राजू : अभी तब इनको निलम्बित किया गया है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच पूरी हो गयी है उनको क्या और कितना दंड दिया गया है ?

डा० द० स० राजू : इस बारे में विभागीय समिति कार्रवाई करेगी और दंड देगी ।

श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस जांच समिति का प्रतिवेदन अथवा इसका संक्षिप्त ब्योरा सभा पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या इसको कम से कम प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जायेगा क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि इन लोगों ने क्या अपराध किये हैं और किन परिस्थितियों में किये हैं। तस्कर परियोजना की जांच करने के लिये भी एक समिति बनी हुई है ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): ये समितियां नहीं हैं। यह तो पुलिस जांच है। मैं नहीं समझता कि पुलिस जांच की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्री रंगा : इन जांच प्रतिवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है । टस्कर परियोजना के बारे में भी जांच हो रही है । करोड़ों रुपयों का गबन हो रहा है । इसीलिये मैंने कहा था कि यह प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति के समक्ष रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर विचार करें।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं समझता हूं कि ड्रैगन परियोजना भूटान सड़क निर्माण परियोजना है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दोषी पाये गये पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के बाद भूटान की इस सड़क निर्माण परियोजना में और जल्दी हो गयी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चित ही। स्वभावत: इन जांच-कार्यों का निर्माण, सम्बन्धित व्यक्तियों के उत्साह और ईमानदारी पर अच्छा असर पड़ा।

कोयले की खानों के श्रमिकों को उधार

\+

*431. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों को उचित मूल्य वाली दुकानों से वस्तुयें उधार खरीदने की सुविधा प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य औद्योगिक श्रमिकों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं देने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवय्या) : (क) **विदलीय समझौते** में ऐसे उपभोक्ता सहकारी भंडार या उचित मूल्य की दुकानें खोलने की व्यवस्था है, जहां से श्रमिकों को उधार सामान खरीदने की सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस समय कोयला क्षेत्रों में 10 **उचित** मूल्य की **दुकानें** और 166 उपभोक्ता सहकारी **भंडार** हैं। उचित मूल्य की इन 10 दुकानों में, जो कि हाल ही में खोली गई हैं, **उधार** की सुविधाओं की व्यवस्था **नहीं** है, परन्तु उपभोक्ता सहकारी भंडारों में सामान्यत: इन सुविधाओं की व्यवस्था है।

(ख) उक्त समझौता ऐसे सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें 300 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हों।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खाद्यान्न के अतिरिक्त कोयला-खान क्षेत्रों में दुकानों पर और क्या वस्तुएं दी जा रही हैं ?

श्री संजीवय्या : जहां तक उचित मूल्य वाली दुकानों का सम्बन्ध है, वहां चावल, गेहूं, गेहूं उत्पात और चीनी बिकती है लेकिन उपभोक्ता स्टोर ख ना पकाने के सामान, कपड़ा आदि जैसे अन्य अनेक सामान बेचते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि इन उचित मूल्य वाली दुकानों अथवा स्टोरों को आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में दी जाये ?

श्री संजीवय्या : उचित मूल्य वाली दुकानों को संभरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उपभोक्ता सहकारी भंडार बाजार से खरीदते हैं; बाज दफ़ा, उनको भी उचित मूल्य वाली दुकान माना जाता है जब कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा संभरण किया जाता है।

Shri Yashpal Singh : Whether in all the Public sector Projects in Delhi consumer cooperative stores are there or some projects are still left.

Mr. Speaker : You have gone too far.

Shri Yashpal Singh : This relates to part (b).

श्री संजीवय्या : दिल्ली में ऐसे उप संस्थान हैं जिनमें 300 और 300 से अधिक श्रमिक हैं जिनमें से मौजूदा उपभोक्ता सहकारी भंडारों की संख्या 15 है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नवम्बर 1963 में त्रि-पक्षीय सम्मेलन में एक यह निर्णय किया गया था कि 300 या 300 से अधिक श्रमिक वाले सभी औद्योगिक एकक उपभोक्ता सहकारी समितियां बनायेंगे, क्या यह सच है कि केवल कुछ को छोड़ कर किसी भी बड़े उद्योगपति ने अपने श्रमिकों के लिये उपभोक्ता सहकारी समितियां नहीं बनायी हैं; और यदि हां, तो इस करार का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ।

श्री संजीवय्या : जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, 50 प्रतिशत से अधिक संस्थानों ने इस प्रार्थना को मान लिया है और सरकारी क्षेत्र में यह 70 प्रतिशत से अधिक है । जो भी हो इस बारे में कानून बनाया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद इलियास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को भारतीय चैम्बर ऑफ़ कामर्स और बंगाल चेम्बर ऑफ़ कामर्स के एक परिपत्र का पता है जिसमें उनके सदस्यों को कारखानों में उपभोक्त उचित मूल्य वाली दुकानें अथवा सहकारी भंडार खोलने के त्रिपक्षीय निर्णय को न मानने को कहा गया है और इसलिये कारखानों में श्रमिकों में बड़ा क्षोभ है ? सरकार इस निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिये क्या कार्रवाई करेगी ?

श्री संजीवय्या : यह मुझे अभी बताया गया है । हम निश्चय ही इन नियोजक सं नों से कहेंगे कि वे इस त्रिपक्षीय समझौते से न फिरें । जो भी हो, जैसा मैं बता चुका हूं, शीघ्र ही कानून लागू किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बर्मा में भारतीय अध्यापक

*432. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में बर्मी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाषा के शिक्षण को निषिद्ध करार करने के बर्मा की क्रान्तिकारी सरकार के निर्णय के पश्चात् वहां पर कितने भारतीय अध्यापक बरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या ये अध्यापक भारत आ गये हैं; और

(ग) उनमें से कितनों को भारत में रोजगार मिल गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिनेश सिंह): (क) बर्मा के स्कूलों और कालिजों में केवल बर्मी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बना देने के परिणामस्वरूप करीब 110 अध्यापक बेरोज़गार हो गये हैं ।

(ख) उनमें से 49 अभी तक भारत वापस लौट हैं ।

(ग) भारत में जितने लोगों को काम मिल गया है उनकी संख्या ज्ञात नहीं है। भारत सरकार के पास कुछ ही लोगों ने रोज़गार के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे हैं जिन्हें शिक्षा संस्थाओं के पास भेज दिया गया है और कहा गया है कि वे इन प्रार्थना-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। राज्य सरकारों से भी प्रार्थना की गई है कि बर्मा से लौटने वालों को भारत में किसी और तरह का रोज़गार दिलाने में वे उनकी सहायता करें।

पश्चिमी जर्मनी से तकनीकी सहायता

*433. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदशिक-कार्य** मंत्री 13 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1025 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग तथा कृषि को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकन पीस कोर के समान पश्चिम जर्मनी सरकार ने भारत के लिए एक कार्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) जर्मन के **विकास सवा कार्यक्रम** के अधीन जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने कुछ जर्मन स्वयंसेवकों को भारत भेजने की पेशकश की है। भारत सरकार ने अभी आठ स्वयंसेवकों की सेवाओं का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इन स्वयंसेवकों को कृषिकार्य में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कराया जायेगा और वे हिमाचल प्रदेश में कार्य करेंगे।

यह कार्यक्रम दोनों सरकारों के बीच एक प्रक्रियात्मक समझौते के अंतर्गत होगा जिस पर अभी बातचीत हो रही है और ऐसी प्रत्याशा है कि उसे निकट भविष्य में अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

*434. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री हेम राज :
श्री स्वैल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन के कितने मामलों में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों ने पाकिस्तान को दोषी ठहराया है; और

(ख) युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन के कितने मामलों में भारत को दोषी ठहराया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). मई, जून तथा जुलाई, 1964 महीनों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रेक्षक ने युद्ध-विराम उल्लंघन के पाकिस्तान के विरुद्ध 59 और भारत के विरुद्ध 51 फैसले दिये।

यूकैराइस्टिक कांग्रेस

*435. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री यु० सिं० चौधरी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत में रोमन कैथोलिकों की युकैराइस्टिक कांग्रेस होने वाली है;

(ख) भारत में कांग्रेस का अधिवेशन करना सरकार ने किन कारणों से स्वीकार किया; और

(ग) क्या सरकार को इसके विरुद्ध कोई विरोध पत्र मिले हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय म राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) जी हां। ईसाई धर्म सम्मेलन (यूकैराइस्टिक कांग्रेस) 28 नवम्बर से 6 दिसम्बर, 1964 तक बम्बई में होगी।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय ईसाई धर्म सम्मेलन बारी-बारी से पांच वर्ष में एक बार आयोजित होता है। बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन समय-समय पर भारत में होते रहते हैं। कैथोलिक चर्च के प्रमुख ने 1964 के ईसाई धर्म सम्मेलन के लिए भारत को चुनकर ठीक ही भारत की धर्म निरपेक्षता की नीति को मान्यता दी है जिसके अनुसार सभी धर्मों के लोगों के प्रति समानता का बर्ताव किया जाता है।

(ग) जी हां। भारत में इस सम्मेलन को आयोजित करने के विरुद्ध सरकार को दो पत्र प्राप्त हुए हैं।

भारतीय स्थल सेना के अफसरों को उपदान लाभ

436. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना के जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा सैनिकों को पूरा सेवाकाल समाप्त करने पर भी कोई उपदान नहीं मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सभी कमीशन प्राप्त अफसरों तथा प्रतिरक्षा सेनाओं के मुख्य कार्यालयों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों को सरकार द्वारा लागू किये गये पेंशन एवं उपदान नये नियमों के अधीन उपदान मिलता है ; और

(ग) यदि हां, तो जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों को यह लाभ न देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० द० स० राजू) : (क) सेवा की पूर्ण अवधि सम्पूर्ण कर लेने के पश्चात् अपनी सेवाविमुक्ति/रिटायरमेंट के समय भारतीय सेना के जूनियर कमीशंड

अफसरों और अवर श्रेणि सैनिकों की अर्हक सेवावधि (1) 15 वर्ष से कम हो सकती है या (2) 15 वर्ष और उस से अधिक। पहली हालत में वह सेवा उपदान के अधिकारी हैं अगर उनकी कम से कम सक्रिय सेवा 5 वर्ष हो। दूसरी हालत में वह सेवा-विमुक्ति मेपेंन्शन के अधिकारी हैं। इस के अतिरिक्त, 1 जनवरी 1964, से नई साधारण कुटुम्ब पेन्शन योजना सम्बन्धी, नए आदेशों के अधीन वह एक स्पेशल उपदान के भी अधिकारी बना दिए गए हैं जो दो मास के वतन के बराबर होगा। यह स्पेशल उपदान विवाहित सेविवर्ग को नहीं दिया जाता परन्तु, सेवा से असम्बद्ध कारणों से, मृत्यु के मामलों में उनके कुटुम्ब, कुटुम्ब पेन्शन के अधिकारी हो जायेंगे।

(ख) स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त अफसरों को जिन्होंने 20 वर्ष से कम अहर्क सेवा की हो, सैनिक नियमों (नई पेन्शन संहिता) के अधीन सेवा-विमुक्ति उपदान दिया जा सकता है, अगर उन की कम से कम अर्हक सेवा 10 वर्ष की हो। अगर उन की अर्हक सेवा 20 वर्ष या इस से अधिक हो, तो वह सेवानिवृत्ति पेन्शन के अधिकारी हैं, जिसके अतिरिक्त उन्हें कोई उपदान देय नहीं है। सशस्त्र सेवाओं में काम करने वाले स्थायी असैनिक कर्मचारी पेन्शन के अतिरिक्त मृत्यु तथा रिटायमेंट उपदान भी प्राप्त करते हैं, जो केन्द्रीय सरकार के असैनिक सेवकों के लिए 1950 से जारी किए गए, उदारीकृत पेन्शन के नियमों के अन्तर्गत, घटे दर पर है।

(ग) जे० सी० ओ० (जैसे कि अवर श्रेणी सैनिक और कमीशंड अफसर भी) इन उदारीकृत पेन्शन नियमों द्वारा नहीं, बल्कि सैनिक नियमों द्वारा शासित हैं, जिनके अन्तर्गत पेन्शन की दर में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई है। तदनुसार मत्यु तथा रिटायरमेंट का लाभ उन्हें दिया गया है।

सूचना अधिकारियों के लिये अमरीकी छात्रवृत्तियां

*437. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन के मंत्रालय के कुछ सूचना अधिकारियों को अमरीकी छात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतीय पत्रकारों को अमरीका भेजने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सूचना सेवा के अफ़सर, जिन्हें हमारी सूचना व्यवस्था की विभिन्न और बढ़ती हुई आवश्यकतायें पूरी करनी हैं, जन-सम्पर्क की टेकनीकों से पूरी जानकारी रखें इस सेवा के गठन से लेकर अब तक, इसके अफ़सरों ने विदेशों में, जहां इन टेकनीकों का तेज़ी से विकास हुआ है, कोई ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की है। अतः इंडो-यू० एस० टेकनीकल कोआपरेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत यूनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फार इन्टरनेशनल डेवलपमेंट से प्राप्त जन-सम्पर्क में 4 शिक्षा-वृत्तियों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 4 अफ़सर लगभग 9 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दिये गये हैं।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाना

*438. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 सितम्बर, 1964 को नौशरा (जम्मू) के पश्चिम में भारतीय चौकियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार तथा मशीनगनों से गोलियां चलाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो यदि कुछ व्यक्ति हताहत हुए हैं तो कितने ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं कि पाकिस्तान सरकार ऐसे अवैध प्रवेशों को न होने दे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों ओर से कोई हताहत नहीं हुआ ।

(ग) युद्ध विराम रेखा के निकट सशस्त्र असैनिक की कार्यवाइयों की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सैनिक प्रेक्षक ने कुछ सुझाव रखे हैं । इस के अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार ने, भारत सरकार का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, कि इस क्षेत्र में शान्ति की स्थापना के लिए, दोनों देशों को युद्ध-विराम रेखा के आर-पार घटनाओं की रोक-थाम करने के लिए, उपायों और उपक्रमों पर विचार करना चाहिये । पाकिस्तान सरकार ने कराची में स्थित, भारतीय उच्चायुक्त से मामले पर बातचीत करने की रज़ामंदी प्रकट की है ।

SPECIAL TYPE OF SHOES FOR COAL MINE WORKERS

*439. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Mohan Swarup :
Shri Y. D. Singh :
Shri S.M. Banerjee
Shri Yogendra Jha :
Shri Jasavant Mehta :
Shri Y.S. Chaudhary :
Shri Gulhan :
Dr Ranen Sen :
Shri Pottekkatt :
Shri Alvares :
Shri Daji :
Shri Buta Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri Sivamurthi Swami :
Shri H. P. Chatterjee :
Shri Rameshwaranand :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a contract for manufacturing a special type of shoes for labourers working in coal mines has been given to a firm in Calcutta;

(b) if so, the name of that company and its proprietor;

(c) whether it is also a fact that tenders were also invited by Government in this connection;

(d) if so, the number of tenders received and the rates thereof; and

(e) if no tenders were invited, the basis on which the contract was given to the particular firm?

The Minister of Labour and Employment (Shri Sanjivayya) : (a) No. Only Messrs Bata Shoe Co. of Calcutta along with Messrs Cooper Allen & Co. of Kanpur have prepared a few samples of shoes and boots under the direction of the Technical Committee on Miners' Boots which is drawing up specification of shoes and boots for miners.

(b) to (e). Do not arise.

एच० एफ०—24 जैट विमानों का निर्माण

*440. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 7 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 और उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एच० एफ०—24 जैट विमानों के विकास तथा निर्माण के लिये कोई ठोस योजना अन्तिम रूप से बना ली गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी तकनीकी अथवा विशेषज्ञ सहायता मिली है और स्वीकार कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो किन देश अथवा देशों से तथा किस प्रकार की ; और

(घ) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) एच० एफ०—24 मार्क 1 को पहले से विकासित किया गया है, और इस मार्क के लिए उत्पादन योजना की अन्तिम रूपरेखा तैयार कर ली गई है। तदपि इस से अच्छ संस्करणों का विकास हस्तगत है।

(ख) और (ग) यह विमान, एस०ए०एल० द्वारा काम पर लगाए गए, जर्मन विशेषज्ञों के एक दल की सहायता से भारत में ही अभिकल्पित और विकासित किया गया है। अभिकल्पन कार्य में विदेशों की सहायता का विचार मन में नहीं लाया गया तदापि एच० एफ०—24 मार्क 2 के विकास और उन के उत्पादन की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ विदेशों से सहायता आवश्यक होगी। परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त अरब गणराज्यों के अधिकारियों से पहले बातचीत हो चुकी है और इस समय भी स्पेशल सैक्रटरी (प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग) के अधीन, एक प्रतिनिधिमण्डल काहिरा में बातचीत के लिए गया हुआ है। उत्पादन की संख्या बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से सहायता मांगी गई है।

(घ) इस योजना के सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान में रखी गई हैं :—

(1) कारखाने की उत्पादन क्षमता में योजनाबद्ध वृद्धि ।

(2) एच० एफ०—24 के उन्नत संस्करणों का लगातार विकास ।

(3) जभी विकासित हो पाए, उन्नत संस्करण के उत्पादन के लिए अन्तरण ।

बोनस आयोग का प्रतिवेदन

*441. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस आयोग के प्रतिवेदन पर पहले लिये गये निर्णयों में फेर बदल करने के बारे में हाल में सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का ; और

(ग) क्या फेरबदल किए जायेंगे ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवय्या): (क) से (ग) उस संकल्प की प्रतियां, जिस में आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णयों की घोषणा की गई है, 7 सितम्बर, 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में सभा की मेज पर रख दी गई थीं । श्रम मंत्री द्वारा 18 सितम्बर, 1964 को दिए गए वक्तव्य में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार द्वारा स्वीकृत बोनस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बनाए जाने वाले कानून में उचित व्यवस्था की जायएगी जिस से यह सुनिश्चित हो जाय कि मजदूर वर्तमान आधार पर या नये फार्मूले के आधार पर, जो भी लाभ-दायक हो, बोनस लाभ प्राप्त कर सकेंगे ।

चाय बागान मजूरी बोर्ड

*442. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चाय बागान मजूरी बोर्ड ने चाय मजदूरों की मजूरी में और अन्तरिम वृद्धि करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) कब तक आशा है कि बोर्ड अपना अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर देगा ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) मज़दूरी बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशों और सरकार द्वारा उन की स्वीकृति के सम्बन्ध में संकल्प की प्रतियां 7 सितम्बर, 1964 को सभा की मेज पर रख दी गई थीं ।

(ग) इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि इस सम्बन्ध में बोर्ड कब तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट देगा ।

इलैक्ट्रानिक संगणक

*443. **श्री प्र० के० देव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही बम्बई की टाटा इंस्टिट्यूट आफ फन्डामेन्टल रिसर्च में इलेक्ट्रानिक संगणक (एशिया में सबसे बड़ा) स्थापित किया गया है ;

(ख) उसके मुख्य कृत्य क्या हैं ;

(ग) क्या देश के वैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक संगठन अपनी समस्याओं को हल करने के लिये इसका प्रयोग कर सकेंगे ; और

(घ) देश में औद्योगिक विकास की प्रगति में इस से कितनी सहायता मिलेगी ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ) पूर्ण सूचना सहित एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

टाटा मूल अनुसंधान संस्थान, बम्बई में जो संगणक (कम्पयूटर) लगाया गया है वह कन्ट्रोल डेटा कारपोरेशन मिन्नीपोलिस, मिनिसोटा, अमरीका द्वारा निर्मित सी डी सी 3600 पद्धति का है तथा संसार में सब से अधिक विकसित संगणकों (कम्पयूटरों) में से एक है । यह एक स्टोर्ड प्रोग्राम वाली सामान्य धंधी आंकिक संगणना पद्धति है जिसकी हाई स्पीड मेमोरी क्षमता 32,000 शब्दों से भी अधिक है। इसका डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि भविष्य में इसमें ऐसे 8 मेमोरी ब्लाक प्रयोग में लाये जा सकेंगे ।

इस संगणक का मुख्य कार्य ऐसी अभिगणनाओं को हल करना है जो इतनी बड़ी तथा जटिल होती हैं कि उन्हें सामान्य मानवीय श्रम द्वारा पटल गणकों या छोटे संगणकों की सहायता से भी हल नहीं किया जा सकता । ऐसी अभिगणनायें विभिन्न क्षेत्रों, उदाहरणार्थ वैमानिकी, ऋतु विज्ञान, रिऐक्टर टेक्नोलाजी, अर्थशास्त्र तथा विशुद्ध विज्ञान के विभिन्न अंगों जैसे मौलिक कण भौतिकी, कास्मिक किरणों, स्फाट विज्ञान आदि में हल करनी होती है ।

इस संगणक द्वारा अनुसन्धान कार्य के उन पहलुओं को बहुत सहायता मिलेगी जिनमें बड़ी मात्रा में तथा तेज गति से अभिगणनाओं को हल करना आवश्यक होता है । इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह संगणक देश के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा । यह संगणक योजना आयोग के कार्य में भी महत्वपूर्ण सहायता दे सकेगा ।

(ग) जी, हां । इसका पहले ही इस प्रकार प्रयोग हो रहा है ।

Delegation to Pakistan

*444. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a delegation under the leadership of Shri Jaya Prakash Narayan had gone to Pakistan with the consent of Government ; and

(b) if so, whether some directions were also given to the delegation for initiating talks with the Government of Pakistan?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) The visit of the delegation was private, though it was within the knowledge of the Government.

(b) Does not arise.

विदेश मन्त्री को पाकिस्तान का आमन्त्रण

*445. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उनके दौरे की कोई तारीख निश्चित कर दी गई है ; और

(घ) किन मुख्य बातों पर विचार होगा ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) यह जवाब दे दिया गया है कि विदेश मंत्री को पाकिस्तान की यात्रा करके प्रसन्नता होगी ।

(ग) जी नहीं

(घ) वहां पहुंच जाने पर तमाम भारत-पाकिस्तान समस्याओं पर बातचीत होगी ।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय के अफसरों की कटु आलोचना

*446. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 14 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 536 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के स्पेशल जज ने मास्को में भारतीय दूतावास के केशियर को गबन के मामले में सजा देने का फैसला देते हुए उक्त दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी, जो इस समय वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में अधिकारी हैं ; के आचरण की कटु आलोचना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाना

*447. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 सितम्बर, 1964 को जम्मू तथा काश्मीर के युद्ध विराम रेखा के मेंघर क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों ने मशीनगनों से कई हजार गोलियां चलाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो गोली चलाने के कारण कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 12 सितम्बर, 1964 को मेंघर क्षेत्र में भारी गोलाबारी हुई थी । मेंघर क्षेत्र में हमारी चौकियों पर युद्धविराम रेखा के उस पार से पाकिस्तानी सैनिकों ने हल्की मशीनगनों और मीडियम मशीनगनों से गोलियां चलाई । आत्मरक्षा में इसके उत्तर में गोली चलाई गई थी ।

(ख) एक भी नहीं ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों से युद्धविराम उल्लघन सम्बन्धी शिकायतें कर दी गई थीं । युद्धविराम रेखा के इस ओर अपनी तरफ उपयुक्त एहतियाती उपाय किए गए हैं ।

लद्दाख में चीनियों की सैनिक गतिविधियां

*448. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :
श्री शशिरंजन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनाक 28 जुलाई, 1964 के एक नोट के द्वारा लद्दाख में लगातार हो रही सैनिक गतिविधियों के विरुद्ध चीन से विरोध प्रकट किया था ;

(ख) यदि हां, तो नोट में किन सैनिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया था तथा ये गतिविधियां किस अवधि से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) उस पर चीन सरकार ने क्या उत्तर दिया था ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार का 28 जुलाई का जो नोट प्रेस को दे दिया गया है, उसमें मुख्यत: इस घटना का जिक्र है कि लद्दाख में फुकचे के निकट क्षेत्र में सात हथियार बन्द चीनी सैनिक घुस आए थे। यह क्षेत्र कोलम्बो प्रस्तावों में उल्लिखित 20 किलोमीटर के विसैन्यीकृत क्षेत्र में आता है। लद्दाख में कोंगका ला, जारा ला, और चांग ला के निकट इस तरह की सैनिक कार्यवाइयां देखी गई, जहां छोटी चीनी गश्ती सैनिक टुकड़ियां भारतीय प्रदेश में घुस आई थीं ।

(ग) चीन सरकार ने 1 सितम्बर को इस नोट का उत्तर दिया है जिसमें उन्होंने इससे इन्कार किया है कि उन्होंने विसैन्यीकृत क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियां की थीं ।

गार्डन रीच वर्कशाप कलकत्ता में पाकिस्तानी नागरिक

*449. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता में कुछ पाकिस्तानी नागरिक नियुक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या हाल में ही उनमें से किसी ने अथवा कुछ ने अपना त्यागपत्र दिया था ; और

(घ) क्या वह स्वीकार कर लिया गया था ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) (क) जी, हां।

(ख) इस समय 48 ।

(ग) जनवरी से जून, 1964 तक 35 पाकिस्तानियों ने त्याग-पत्र दिए थे ।

(घ) जब कि पहले पहल सभी स्वीकृत कर लिए गए थे, एक क्लर्क को अपना त्यागपत्र वापस लेने की इजाजत दे दी गई थी क्योंकि उसे उधार देने वाली समिति का भारी ऋण देना था, यह इस विचार से भी, कि कई भारतीय राष्ट्रिकों का हित सुरक्षित रहे, जिन्होंने उसकी जमानत दी थी ।

महिला श्रमिकों को काम पर लगाना

1326. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1964 को उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितनी महिलायें पंजीकृत थीं ; और

(ख) जनवरी से 30 जून, 1964 की अवधि में ऐसी कितनी महिलाओं को रोजगार दिलाया गया ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : (क) 2477 ।

(ख) 707 ।

उड़ीसा में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत व्यक्ति

1327. श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 1964 को उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में कितने व्यक्ति, प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित, पंजीकृत थे ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : 81,718 ।

Foreign Market For Avro—748

1328. Shri Veerappa : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are facing difficulties in finding a foreign market for the sale of India-manufactured Avro-748 aircraft; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Defence Producction in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) The Government is not at present pursuing any foreign market for Avro-748 Aircraft.

(b) Does not arise.

आयुध कारखानों में पारी पद्धति

1329. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन किन आयुध कारखानों में (1) एक पारी ; (2) दो पारियां ; और (3) तीन पारियां हैं ; और

(ख) क्या उन में से कोई एक कारखाना पूर्ण क्षमता के अनुसार काम करता रहा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) रासायन तथा विस्फोट कारखानों में, जिनमें निरन्तर काम होता रहता है, तीन पारियां हैं । अन्य सभी आयुध एवं शस्त्र कारखानों में दो, दो पारियां हैं ।

(ख) सभी कारखाने पूर्ण क्षमता के अनुसार काम करते रहे हैं ।

अस्पृश्यता पर फिल्म

1330. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963-64 तथा 1964-65, अब तक की अवधि में उड़िया भाषा में अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी एक फिल्म बनाने के लिए उड़ीसा सरकार को कोई सहायता दी गई है या देने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गयी है या देने का विचार है और उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के रोजगार दफ्तरों में पंजीकरण

1331. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 30 जून, 1964 को पश्चिम बंगाल के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित कितने व्यक्ति पंजीकृत थे ?

श्रम और रोजगार मन्त्री (श्री संजीवैया) : 4,88,787 ।

जे० सी० ओस० की सेवा निवृत्ति

1332. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना की ए० एस० सी० (एस० डी०) पदाली के जे० सी० ओस० को 55 वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व ही सेवा निवृत्त होने पर बाध्य किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) जे० सी० ओस० की सेवा निवृत्ति सम्बन्धी शर्तें अन्य सैनिकों के समान ही हैं । सूबेदार और जमादार है क्लर्क ए० एस० सी० (एस० डी०) 28 वर्ष निवृत्तिवेतन सेवा पूरी करने पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं जब कि सूबदार मेजर क्लर्क्स ए० एसभे सी० (एस० डी०) सूबेदार मेजर के तौर पर 5 वर्ष या 32 वर्ष की सेवा पूरी करके, जो भी पहले हो, सेवा निवृत्त हो जाते हैं ।

जे० सी० ओस० ए० एस० सी० (एस० डी०) को, जो मूलत: आई० ए० सी० सी० के थे, वर्ष 1942 के पश्चात् यह वरणाधिकार दिया गया कि वे या तो 55 वर्ष की आयु होने तक सेवा करते रहें या 30 वर्ष की सेवा पूरी करें, इन दोनों में से जो भी पहले हो । जिन्होंने यह वरणाधिकार स्वीकार किया था केवल उन्हीं को सेवा करते रहने दिया गया है चाहे उनका सेवाकाल कुछ भी हो ।

Post Master and Superintendents of Post Offices

1333. **Shri Sidheswar Prasad** : Will the Minister of **Comunications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2532 on the 28th April, 1964 and state:

(a) whether the question of amalgamation of the cadres of Postal Superintendent's service Class II and Post Master's service Class II has since been finalised; and

(b) if not, the reasons for the delay and the steps Government propose to expedite this matter?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri B. Bhagavati) : (a) and (b). The question of amalgamation of the cadres of Postal Superintendents' Service, Class II and Postmasters' Service Cass II has since been dropped.

माल रोड, आगरा पर पट्टे पर भूमि

1334. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति के अनुसार प्रतिरक्षा मंत्रालय ने 1 नवम्बर, 1963 को बर्मा शैल कम्पनी के नाम प्लाट के पट्टे के समाप्त होने पर, महात्मा गांधी रोड और माल रोड, आगरा, के चौराहे के निकट प्लाट का पट्टा पेट्रोल भरने के स्टेशन के लिये इंडियन आयल कम्पनी को देने का प्रस्ताव किया है और इंडियन आयल कम्पनी द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पट्टे को इंडियन आयल कम्पनी द्वारा इस कारण कार्य रूप नहीं दिया गया चूंकि बर्मा शैल कम्पनी ने उस प्लाट को खाली नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां, तो बर्मा शैल कम्पनी से उस प्लाट को खाली करवा कर उसे इंडियन आयल कम्पनी को देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). 295.41 वर्ग फुट का प्लाट जो छावनी बोर्ड, आगरा, के प्रबन्धाधीन है 5 वर्ष के लिये बर्मा शैल कम्पनी को पट्टे पर दिया गया था जो 31 मार्च, 1957 को समाप्त हो गया। पट्टे की अवधि समाप्त होने पर उस कम्पनी ने पट्टे की अवधि अग्रेतर 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिये कहा। जांच करने पर सरकार को मालूम हुआ कि समवाय ने जिस भूमि क्षेत्र के लिये आवेदन किया वह वास्तव में मैसनरी कयस्क के कब्जे में था, एक पाइप लाइन थी और एक पेट्रोल पम्प था। सरकार ने महसूस किया कि बीच वाली भूमि के टुकड़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसलिये समवाय को राय दी गयी कि वह उसी प्लाट के लिये आवदन करे जो ठोस हो और जिसमें वह भूमि जो उन के पास है वह भी सम्मिलित हो, जिसमें बीच वाली भूमि भी हो और भूमि का वह भाग भी शामिल हो जिसका प्रयोग मुख्य सड़क से पेट्रोल पम्प तक सम्पर्क सड़क के रूप में हो सके। पुनरीक्षित आवेदन 2 फरवरी 1962 को प्राप्त हुआ जिस में अतिरिक्त क्षेत्र भी शामिल था। छावनी बोर्ड ने 1 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1967 तक उस भूमि के पट्टे पर देने की सिफारिश की। पट्टे के विनियमन पर विचार करते समय छावनी बोर्ड से इंडियन आयल कम्पनी के स्थानीय प्रतिनिधि की राय लेने के लिये कहा गया ताकि यह देखा जाय कि कहीं वह इसमें दिलचस्पी तो नहीं रखते। इंडियन आयल कम्पनी की राय 31 जुलाई, 1963 को मांगी गयी और उन्होंने 26 दिसम्बर, 1963 को बताया कि वह उस प्लाट में दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने उसके लिये आवेदन पत्र भी भेजा। इसलिये छावनी बोर्ड ने सिफारिश की कि मेसर्स बर्मा शैल एन्ड कम्पनी को पट्टा 31 मार्च, 1964 तक दिया जाय और उसके पश्चात् इंडियन आयल कम्पनी को। इस पट्टे सम्बन्धी शर्तों और पट्टे की अवधि पर अभी विचार किया जा रहा है ।

मैसर्स बर्मा शैल का उस भूमि पर कब्जा अनाधिकृत नहीं है इसलिये उसे उनसे खाली करवाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इंडियन आयल कम्पनी को भूमि के पट्टे पर दिये जाने के प्रश्न को कार्य रूप तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक मैसर्स बर्मा शैल एन्ड कम्पनी के लिये पट्टे की अवधि संबंधी निर्णय न हो जाय।

रायगढ़ जिले मे संचार सुविधायें

1335. **श्री वि० भू० देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रायगढ़ जिले के ब्लाक केन्द्रों को रायगढ़ में जिला मुख्य कार्यालयों से नहीं मिलाया गया है ;

(ख) क्या इस पिछड़े हुए क्षेत्र में अपर्याप्त परिवहन एवं संचार सुविधाओं की दृष्टि से रायगढ़ जिले की जशपुरनगर एवं अन्य तहसीलों को जिला मुख्य कार्यालयों से टेलीग्राफ तथा टेलीफोन लाईनों द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा चालू योजना की अवधि में किया जायेगा या अगली योजना की अवधि में ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) दो ब्लाकों के मुख्य कार्यालयों का रायगढ़ से टेलीफोन एवं टेलीग्राफ द्वारा सम्पर्क है और एक का सम्पर्क केवल टेलीफोन द्वारा है। ब्लाक मुख्य कार्यालयों में टेलीफोन और टेलीग्राफ के उपबन्ध दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3255/64]**

(ख) चार में से तीन तहसीलों में पहले ही टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं। जशपुरनगर को रायगढ़ से टेलीग्राफ तथा टेलीफोन द्वारा मिलाने का एक प्रस्ताव है।

(ग) इस कार्य को तीसरी योजना में ही पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा।

चीन द्वारा कब्जे में किये गये लद्दाख के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

1336. श्री मानवेन्द्र शाह : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जे में किये गये लद्दाख के क्षेत्र में स्थापित सात चौकियों को सड़कों द्वारा मिला दिया है ; और

(ख) क्या चीन की सरकार को इस विषय में विरोध पत्र भेजा गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी और सितम्बर, 1962 के बीच चीन सरकार को भेजे गये विभिन्न नोटों में भारत सरकार ने लद्दाख में चीन द्वारा कब्जे में किये गये क्षेत्र में उनकी अवैध गतिविधियों के लिये विरोध प्रकट किया था, जिनमें सड़कों का निर्माण भी शामिल है। संसद के समक्ष रखे गये श्वेत पत्र में यह नोट प्रकाशित किये गये हैं।

विशेष टिकटें

**1337. { श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष 1965 में विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो उन टिकटों के बारे में विस्तृत ब्योरा क्या है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1965 में जिन टिकटों के जारी किये जाने की घोषणा की गयी है उन का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	टिकट जारी करने का उपलक्ष	जारी करने की तिथि
1	लाला लाजपत राय ––जन्म शताब्दी .	28 जनवरी 1965
2	बीसवीं कांग्रेस––अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल	फरवरी 1965
3	जमसेतजी एन० टाटा––(125 वां वर्ष)	मार्च 1965
4	राष्ट्रीय समुद्रीय दिवस .	5 अप्रैल 1965
5	अब्राहम लिंकन (100 वीं वर्ष गांठ) .	15 अप्रैल 1965
6	अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ––(आई० टी० यू०)–– शताब्दी . .	मई 1965
7	अन्तर्राष्ट्रीय सहकार वर्ष आई०सी०वाई .	तिथि की घोषणा बाद में की गयी।
8	विद्यापति––मिथिला के कवि	तिथि की घोषणा बाद में की गयी।

भारतीय सेना द्वारा कथित गोलीवर्षा

1338. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्व नाथ पाण्डय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारतीय सेना पर काश्मीर के पाकिस्तानी क्षेत्र में फिरोजबन गांव में असैनिकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है और एक निश्चित तिथि बताये बगैर ही एक नागरिक के मारे जाने की खबर दी है और काश्मीर युद्ध-विराम रेखा के उल्लंघन के बारे में भारत और पाकिस्तान संबंधी संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षक दल के पास शिकायत दर्ज की है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों के पास यह शिकायत दर्ज कराई है कि 3 जून, 1964 को भारतीय सैनिकों द्वारा फिरोजबन के पश्चिम में लगभग 1000 गज की दूरी पर एक स्थान में एल०एम०जी० का एक बर्स्ट और चार गोलियां चलाई गई। किसी असैनिक के मारे जाने का उल्लेख उस में नहीं था।

(ख) ऐसी कोई घटना नहीं हुई इसलिये किसी के मारे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुख्य सेना प्रेक्षक ने पाकिस्तानी शिकायत को खारिज कर दिया है।

होटल तथा रेस्तरां श्रमिक

1339. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के होटलों, ढाबों और रेस्तरां में काम करने वाले व्यक्तियों को दिल्ली दूकान तथा संस्थान अधिनियम 1954 के अन्तर्गत साप्ताहिक छुट्टियां नहीं दी जातीं ; और

(ख) यदि हां, तो उस उपबन्ध को हटाने के लिये अधिनियम का संशोधन करने का विचार है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) ऐसे व्यक्तियों को छुट्टियां मिलती हैं जो होटल मालिक केवल एक रसोईया और एक भंगी रखते हैं उन को छूट दी गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना

1340. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री 1 जून 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 190–फ के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शरणार्थियों के पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने के कारणों का अध्ययन करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग द्वारा भेजे जाने वाले दल के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग द्वारा की जाने वाली जांच के बारे में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया जायगा। जैसा कि सभा को 1 जून 1964 को सूचित किया गया था अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग से कुछ प्रारंभिक पत्र व्यवहार हुआ था। बाद में हमें मालूम हुआ कि वह जांच नहीं कर सकते।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जमशेदपुर के निकट कच्चा यूरेनियम ढलाई संयंत्र

1341. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर के निकट जादूगूडा में एक कच्चा यूरेनियम ढलाई संयंत्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी अन्य देश से सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की और किस देश से सहायता प्राप्त करना आवश्यक है ;

(घ) इस संयंत्र की प्रति दिन क्षमता क्या होगी ; और

(ङ) इस पर कुल अनुमानित व्यय क्या होगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क), (घ) और (ङ). जी हां । 1000 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक यूरेनियम कारखाना जमशेदपुर के निकट जादूगुणा में स्थापित किया जा रहा है, जिस का भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा और जिस की अनुमानित लागत 4.29 करोड़ रुपया होगी।

(ख) और (ग). इस कारखाने का निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा ही किया जा रहा है और इस के लिये विदेशी तकनीकी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

आयुध कारखानों में कार्यभार

1342. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखानों में कार्यभार काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) क्या यह काम में कमी इस कारण हुई है कि कई मदें व्यापारिक सार्थों को दे दी गयी हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

मानवी अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी

1343. श्री रा० गि० दुब :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवी अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र गोष्ठी मई 1964 में काबुल में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अफगानिस्तान सरकार के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा संगठित विकासशील देशों में मानव अधिकार संबंधी गोष्ठी 12 मई से 25 मई 1964 तक काबुल में हुई थी।

(ख) गोष्ठी का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है। परन्तु सचिवालय द्वारा बनाये गये प्रतिवेदन के प्रारूप में निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :—

(1) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को मानव अधिकार संबंधी आयोग तथा महिला

के स्तर संबंधी आयोग के अगले अधिवेशन में इस गोष्ठी का प्रतिवेदन रखना चाहिए ;

(2) विकासशील देशों में मानव अधिकारों से संबंधित विशेष समस्याओं का मानव अधिकार आयोग को यथासंभव शीघ्र अध्ययन करना चाहिए जिससे विशेष समस्याओं का हल मालूम हो सके।

Broadcasting of Hindi Bulletins from A.I.R.

1344. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) whether a proposal is under consideration that all the four Hindi Bulletins should be broadcast from all A.I.R. stations ;

(b) if so, the nature of decision taken thereon :

(c) whether any programme has been drawn up for popularising Hindi which is to become the main official language by 1965 ; and

(d) if so, the main features thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d). All Stations situated in the Hindi-speaking areas devote their transmission time principally to programmes reflecting the best in Hindi language and literature and interpreting all important national and international events in that language. Stations in non-Hindi speaking areas also put out a number of items in Hindi. This is a continuous process and forms an important part of AIR's policy and approach in regard to popularising Hindi. In the past English was the medium for the exchange of programmes but now Hindi is the medium for this purpose.

Expansion of Telephone & Telegraph Lines

1345. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S.C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the steps being taken for increasing the number of teleprinter, telephone and telegraph lines ;

(b) the proposed outlay for the expansion of the above services during the current Plan ; and

(c) the expansion proposed to be taken up during the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) Consistent with financial and material resources, provision has been made in the Third Five Year Plan for increasing the number

of teleprinters, telephones and telegraph lines. During the first three years of the Third Plan 1018 teleprinters, 2,03,951 telephone sets and 878 new telegraph offices were added. During the remaining two years of the Third Plan it is programmed to instal 250 teleprinters, 1,46,100 telephone sets and open 1,100 new telegraph offices. The Third Five Year Plan provides for addition of 2,500 Voice Frequency Telegraph Channels. 1282 channels have already been installed during the first three years and about 1600 channels are expected to be installed during the remaining two years.

(b) The proposed outlay for the three items during the Third Plan is :

Rs. crores

(i) Teleprinters	1·50
(ii) Telephones	44·00
(iii) Telegraph Services	5·60

(c) The Fourth Five Year Plan for expansion of these services is still under preparation and no proposal for scheme has been finalised yet.

सबमैरीन युद्ध प्रशिक्षण

1346. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना का विचार सबमैरीन युद्ध पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) . जी हां । सबमैरीन युद्ध की कुछ बातों का अभी भी भारत में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

प्रतिरक्षा योजना

1347. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६४ में भारत की पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना की सहायता के सम्बन्ध में अमरीका से बातचीत हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) अमरीका सरकार से हुई बातचीत के परिणामों को बताने वाला एक वक्तव्य २१ सितम्बर, १९६४ को लोक सभा में दिया गया है ।

अहमदनगर के निकट विमान दुर्घटना

1348. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ जून, १९६४ को अहमदनगर के निकट एक विमान दुर्घटना में

एक विमान चालक मारा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी जांच न्यायालय के आदेश दिए हैं ;

(ग) क्या सरकार को जांच प्रतिवेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां। पूना के निकट, खडकवासला २३ मील अहमदनगर के दक्षिण में।

(ख) जी हां।

(ग) अभी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में आर्मी सेंटर

1349. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा राज्य में एक नया आर्मी सेंटर स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक, किस स्थान पर ; और

(ग) इस पर कितना धन व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ग). नई आर्मी यूनिटें बनाने का तथा उनको विभिन्न राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अभी ब्यौरे बताना सम्भव नहीं हैं क्योंकि ये प्रस्ताव अभी अस्थाई हैं तथा सरकार को अभी अन्तिम निर्णय करना है।

Fire in A.I.R. Building

1350. **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Yashpal Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fire broke out in a room in the building of All India Radio, Delhi on the 22nd May, 1964 and several files of the publications department were burnt ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the loss in terms of money as a result of fire ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir. A few files of minor importance relating to the Wire Broadcasting Service were destroyed in the fire.

(b) An electric sigri Left burning appears to have caused the fire.

(c) Rs. 4,150/- approximately.

होशियारपुर के निकट विमान दुर्घटना

1351. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १५ मई, १९६४ को होशियारपुर के निकट विमान दुर्घटना में कुछ अधिकारी मर गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां। १४-९-१९६४ को अतारांकित प्रश्न संख्या ५०८ के उत्तर में ब्यौरे बता दिए गए हैं।

(ख) जांच न्यायालय द्वारा दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका। न्यायालय की यह राय है कि विमान में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही को उन्होंने सम्भव नहीं माना है। न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया था कि कहीं दुर्घटना विमान पर से नियन्त्रण हट जाने के कारण न हुई हो। परन्तु विमान के टूटे हुए हिस्सों को देखने पर न्यायालय ने राय दी थी कि सम्भव है नियन्त्रण न रहा हो।

कोयम्बटूर के निकट विमान दुर्घटना

1352. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ मई, १९६४ को कोयम्बटर के निकट एक विमान दुर्घटना में 'नेवल एयर स्क्वाड्रन' के लैफ्टिनेंट जपाल मारे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध साक्ष्य से मालम होता है कि दुर्घटना का कारण यह था कि विमान चालक १००० फीट की ऊंचाई पर 'डमी डाइव' करते समय दोबारा विमान चलाने में सफल नहीं हुए थे।

पूना में सैनिक अस्पताल

1353. { श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोलीबार, मैदान पूना में छाती के रोगों का विशेष उपचार करने के लिये एक सैनिक अस्पताल स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इस पर कितना धन व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) (एक) अस्पताल के कर्मचारियों को निवास स्थान दिलाने की परियोजना को क्रम 1 पर काम किया जा रहा है तथा आशा है कि 15 अक्तूबर, 1965 तक काम पूरा हो जायेगा । अनुमानित व्यय 40.975 लाख रुपया है ?

(दो) वार्डस, तकनीकी तथा कार्यालय आवास बनाने का क्रम 2 सरकार के विचाराधीन है । आशा है कि यह तीन वर्ष में पूरा हो जायेगा । अनुमानित व्यय लगभग 112.78 लाख रुपये है ।

विशेष किस्म का प्लास्टिक

1354. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला में एक विशेष किस्म का यूरे थोन प्लास्टिक फोम बनाया गया है जिसका ऊंचाई पर झोंपड़े बनाने के लिये इस्तैमाल होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्लास्टिक फोम का बड़े पैमाने पर तथा अन्य कार्यों के लिये उपयोग करना सम्भव होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशाला दिल्ली देश में उपलब्ध सामग्री का इस्तैमाल करके यूरेथोन फोम के निर्माण के लिये अनुसन्धान कार्य कर रहा है। अब तक के परिणाम सन्तोषजनक हैं । इस फोम का प्रतिरक्षा उपकरण के लिये इस्तैमाल इसके भौतिकी भागों पर आधारित है और जिनका अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) क्योंकि अनुसन्धान कार्य अभी भी प्रयोगात्मक स्थिति में हैं इसलिये यह नहीं बताया जा सकता है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाना सम्भव हो सकेगा या नहीं ।

महिलाओं के लिये पहाड़ पर चढ़ने का कोर्स

1355. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी महिलाओं ने हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में पहाड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तथा उनको पहाड़ पर चढ़ने के अभियानों में शामिल करना ठीक समझ लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : हिमालयन माउन्टेनियरिंग इंस्टिट्यूट दार्जिलिंग में दो प्रकार के कोर्स होते हैं :— बेसिक तथा एडवान्स । बेसिक कोर्स में 105 महिलाओं

को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 22 महिलाओं को एडवान्स कोर्स दिया गया है। 13 महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने वाले अभियानों में शामिल करना ठीक मान लिया गया है।

ट्रंक डायलिंग सिस्टम

1356. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामहरख यादव :
श्री दे० जी० नायक :
श्री छ० म० के दरिया :
श्री धर्मलिंगम :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने नगरों के बीच अंशदाता ट्रंक डायलिंग सिस्टम लागू हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में ऐसा सिस्टम किन किन नगरों के बीच लागू हो जायेगा ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) दिल्ली-आगरा, लखनऊ-कानपुर तथा दिल्ली-जयपुर के बीच अंशदाता ट्रंक डायलिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। तीसरी योजना के अन्त तक निम्नलिखित नगरों के बीच इसके लागू हो जाने की आशा है :

दिल्ली–कानपुर

दिल्ली–लखनऊ

दिल्ली–मेरठ

आगरा–कानपुर

आगरा–लखनऊ

कानपुर–वाराणसी

(ख) चौथी योजना में एस टी डी सुविधा के लिये आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज जहां-जहां पर है उन नगरों में इस सिस्टम को लगाने का है। परन्तु योजना आयोग द्वारा चौथी योजना के लिये वित्तीय आवंटन करने पर ब्यौरेवार प्रस्ताव बताये जायेंगे।

आई०एफ०एस० के लिये पदोन्नति

1357. महाराजकुमार विजय आनन्द : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री 1 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सूचना सेवाओं में काम करने वाले कितने व्यक्तियों को पदोन्नत करके आई० एफ० एस० बनाया गया है ; और

(ख) इस प्रकार की गई पदोन्नतियों और आई० एफ० एस० (बी०) से की गई पदोन्नतियों के बीच अनुपात क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) पांच ।

(ख) 1 : 3.4 ।

एव्रो—748

1358. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के कारखाने में एव्रो–748 तथा ग्लाइडरों के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रकार के निर्माण से प्रतिरक्षा आवश्यकतायें किस सीमा तक पूरी होंगी ; और

(ग) क्या सरकार देश के अन्य किसी भाग में इसी प्रकार का निर्माण करने सम्बन्धी किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि वर्तमान आपातकाल के समय उत्पादन के कार्य में तेजी लाई जा सके ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय म प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अब तक चार एव्रो–748 विमान बन कर तैयार हो चुके हैं और छः अन्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । अब तक 52 ग्लाइडर बनाये जा चुके हैं और 25 अन्य ग्लाइडर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ख) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उठाये गये कदमों से प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें काफी सीमा तक पूरी होने की आशा है ।

(ग) जी, नहीं ।

मनाली होती हुई पाठनकोट-लेह सड़क

1359. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनाली होती हुई पठानकोट लेह सड़क का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा यह कार्य राज्य-लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा या सीमा सड़क संगठन द्वारा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :(क) मनाली से लेह तक सड़क निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है ।

(ख) 50 मील के एक टुकड़े के अतिरिक्त जिसका निर्माण कार्य पंजाब लोक निर्माण विभाग को सौंप गया है । शेष सड़क का निर्माण सीमा सड़क महा निदेशक द्वारा किया जाएगा ।

पंजाब में सीमा सड़कें

1360. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या पंजाब सरकार ने लाहोल के सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने के हेतु सीमा सड़क संगठन से बुलडोजर मांगें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मांग किस सीमा तक पूरी की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा०द० स०राजू) : (क) जी, हां। पंजाब लोक निर्माण विभाग की एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ख) सीमा सड़क संगठन की ओर से पंजाब सरकार द्वारा राज्य में निर्माण की जाने वाली सड़कों के लिये राज्य लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य में प्रयोग करने के लिये तीन बुलडोजर उन चार बुलडोजरों के अतिरिक्त जो उन्हें पहले दिये जा चुके हैं, दिये गये हैं।

कांगड़ा तथा हमीरपुर उपडाकघर

1361. **श्री हेम राज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने कांगड़ा और हमीरपुर उपडाकघरों को मुख्य डाकघर तथा मंडी डाकघर को कांगड़ा पोस्टल डिवीजन में पोस्टल डिवीजन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां।

(ख) हमीरपुर उपडाकघर को मुख्य डाकघर बनाने तथा मंडी जिले में एक पोस्टल डिवीजन स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया गया तथा वर्त्तमान विभागीय स्तर के अनुसार प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया। कांगड़ा उपडाकघर को मुख्य डाकघर बनाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

स्थानीय टेलीफोन 'काल' दर

1362. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय टेलीफोन 'काल' दरें क्षेत्रवार निर्धारित की जाती हैं ;

(ख) 'काल' दरें किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं ;

(ग) क्या ये दरें कलकत्ता, बम्बई तथा धनवाद में भारत में सब से ऊंची दरें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) स्थानीय 'काल' दरें टेलीफोन क्षेत्र-वार निर्धारित की जाती हैं।

(ख) टेलीफोन 'काल' दरें निम्नलिखित मुख्य आधार पर निर्धारित की जाती हैं :

(एक) विनियोजित पूंजी पर वार्षिक आवर्ती व्यय और संधारण तथा संचालन व्यय।

(दो) टेलीफोन 'कालों' से प्राप्त होने वाला राजस्व।

(ग) भारत में अन्य भागों की अपेक्षा कलकत्ता तथा बिहार कोयला खान क्षेत्रों में टेलीफोन 'काल' की दरें ऊंची हैं।

(घ) कलकत्ता : पहले की मानव चालित एक्सचेंज पद्धति के स्थान पर आधुनिक स्वचालित एक्सचेंज पद्धति लगाने की अधिक लागत के कारण वार्षिक आवर्ती व्यय अधिक था। कलकत्ता में टेलीफोन 'काल' की दर बहुत कम पायी गयी थी। व्यय को राजस्व के साथ संतुलित करने के लिये कलकत्ता में टेलीफोन 'काल' की दर 15 पैसे निर्धारित की गयी।

बिहार कोयला खान क्षेत्र :

यह टेलीफोन पद्धति एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। एक्सचेंज तथा जंक्शन प्लांट का आवर्ती व्यय अधिक है इसलिये इस टेलीफोन प्रणाली के लिये भी टेलीफोन 'काल' का शुल्क बढ़ा कर 15 पैसे प्रति काल निर्धारित किया गया।

स्थानीय 'काल' शुल्क 1960 में निर्धारित किये गये थे। 1965 में इनका पुनर्विलोकन करने का विचार है।

Hindustan Aircraft Ltd.

1363. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Mysore Government wants to withdraw Rs. 67 lakhs invested by it in the Hindustan Aircraft Ltd.;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) how this money was invested ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) Yes, Sir. The amount is Rs. 60,08,300.

(b) Presumably, to invest this amount in the State Government enterprises.

(c) 58,333 Equity Shares	. .	58,33,300
1 750 Bonus Shares	. . .	1,75,000
	Rs.	60,08,300

पाकिस्तान यात्रा के लिये पारपत्र

1364. **श्री दलजीत सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1963-64 में भारतीय नागरिकों से पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्रों के लिये कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और कितनों को पारपत्र दिये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जनवरी, 1963 से जुलाई, 1964 तक की अवधि में भारतीय नागरिकों से पाकिस्तान जाने के लिये पारपत्रों के लिये 1,84,208 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए और इसी अवधि में 1,43,388 पारपत्र दिये गए।

इन आकड़ों में अन्दमान राज्य संघ क्षेत्र की सूचना शामिल नहीं है। वहां की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

पठानकोट में हवाई अड्डे के लिये भूमि

1365. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पठानकोट में हवाई अड्डा बनाने के लिये कितनी भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) क्या हवाई अड्डा सैनिक प्रयोग के लिये बनाया जा रहा है अथवा असैनिक प्रयोग के लिये ;

(ग) कितने उद्योगों तथा उन स्थानों में रहने वालों को वहां से हटना पड़ेगा ;

(घ) क्या स्वामित्व लेने से पहले भूमि अर्जन संबंधी कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (ङ). भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन पठानकोट में 402 एकड़ भूमि क्षेत्र अर्जित किया गया है। भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 378 एकड़ भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है।

भूमि का अधिग्रहण इसलिये किया गया क्योंकि भारतीय वायु सेना के लिये भूमि का तत्काल स्वामित्व प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इस 402 एकड़ भूमि के अर्जन के कारण 32 परिवारों को हटाना पड़ा। इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं थे। अधिग्रहण की गई भूमि से हटाये गये उद्योगों तथा व्यक्तियों के बारे में इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है।

कीनिया में भारतीय

1366. **श्री प्र० के० देव :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीनिया की "अफ्रीकीकरण" नीति के कारण हाल में ही बड़ी संख्या में भारतीयों को कीनिया से वापस आना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी वास्तविक संख्या कितनी है ; और

(ग) वे इस देश में कहां पर बसाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). कीनिया में सरकारी सेवाओं में काम करने वाले कुछ भारतमूलक व्यक्ति हाल में वहां से वापिस आये हैं। यद्यपि उनकी वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं है, तथापि उनकी संख्या लगभग 3,000 होने का अनुमान है।

(ग) वापिस आने वाले लोग जहां चाहें वे इच्छानुसार बसने के लिये स्वतन्त्र हैं। जिनको सहायता की आवश्यकता है सरकार उन्हें सहायता भी दे रही है।

सिंगापुर में दंगे

1367. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री गुलशन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जुलाई, 1964 को सिंगापुर में अन्तर्जातीय दंगे हुए जिस से कई लोग हताहत हुए ; और

(ख) क्या कोई भारतीय भी दंगों की लपेट में आया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं । हमें किसी भारतीय के लपेट में आने का समाचार नहीं मिला है ।

Telephone Exchanges and P.C.Os. in Punjab

1368. Shri Bagri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of telephone exchanges and Public call offices which will be set up in Punjab during 1964-65 and names of places where they will be set up ; and

(b) whether any expansion would be effected in the existing exchanges ?

The Deputy Minister in the Department of Communications (Shri Bhagavati) : (a) Number of telephone exchanges programmed : 35

Number of P.C.Os. : 19

List of places attached. **[Placed in Library *See.* No. LT-3256/64]**

(b) Yes.

Unit Fund

1369. Shri Bagri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unit fund is collected in the Army and soldiers are forced to subscribe to this fund ; and

(b) the reasons for collecting this fund and the purposes for which it is being spent ?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : (a) The various unit funds are subscribed on a voluntary basis by all ranks in the Army. The subscription though voluntary are in practice contributed by all persons as a custom of service.

(b) The funds are intended for various porposes calculated to improve the corporate life of the personnel. There are Benevolent Funds maintained by certain arms and services, such as Artillery Benevolent Fund, Madras Engineer Group Benevolent Fund, etc. for financial assistance in deserving cases to servings and ex-serving personnel and their families as well as Child Welfare, Sports and Temple (Mandir, Gurdwara or Mosque) Funds maintained by various battalions for the purposes indicated by the names of these funds. The Officer Commanding concerned ensures that each of these funds is spent for the purpose for which it is collected in accordance with the prescribed rules on the subject.

इण्डियन फारेन सर्विस (बी)

1370. श्री रिशांग किशिंग :
श्री बड़े :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फारेन सर्विस (बी) के गठन के समय भारत के सभी राज्यों से कर्मचारी लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से लिये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या में भेद-भावपूर्ण वर्ताव क्यों किया गया ; और

(ग) प्रत्येक राज्य से कितने अधिकारी लिय गए ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इंडियन फारेन सर्विस (बी) के गठन के समय सभी राज्यों के सरकारी कर्मचारियों से प्रार्थनापत्र मांगें गए थे। प्रार्थनापत्रों पर चुनाव बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा बोर्ड ने जिन कर्मचारियों को योग्य पाया उन्हें विभिन्न पदक्रमों में नियुक्त कर दिया गया ।

(ख) उम्मीदवारों का चुनाव उनकी योग्यता पर किया गया था। भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के आधार पर चुनाव नहीं किया गया।

(ग) इंडियन फारेन सर्विस (बी) के प्रारम्भिक के समय सेवा में आने वाले अधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है :

1. आंध्र प्रदेश	13
2. आसाम	7
3. बिहार	10
4. बम्बई	5
5. हिमाचल प्रदेश	2
6. जम्मू तथा काश्मीर	1
7. केरल	7
8. मध्य प्रदेश	4
9. मद्रास	15
10. मैसूर	5
11. पांडिचेरी	3
12. पंजाब	15
13. त्रिपुरा	2
14. उत्तर प्रदेश	14
15. पश्चिम बंगाल	7

Research Laboratories

1371. Shri Prakash Vir Shastri: Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the extent of progress made in the programmes undertaken by the Research Laboratories under his Ministry ;

(b) whether any of these programmes has resulted into the saving of foreign exchange ;

(c) whether any experiment has been made on the army or army personnel as a result of these researches ; and

(d) if so, the extent of progress made so for ?

The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A.M. Thomas) : (a) This has been briefly outlined in the Ministry of Defence Report for 1963-64, copies of which have been already furnished to the House.

(b) Yes, Sir.

Considerable saving in foreign exchange has been effected.

(c) All equipments designed and developed by the R & D Organisation are subjected to extensive user and troops trials, before these are adopted into Service.

(d) Answered against para (a)

नेपाल में हवाई अड्डों का निर्माण

1372. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सहायता मिशन द्वारा नेपाल में हवाई अड्डों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है और कितना काम अभी किया जाना शेष है ; और

(ख) यह काम कब तक समाप्त हो जायगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3257/64]

लुभाचेरा क्षेत्र में पाकिस्तानी मजदूर

1373. **श्री स्वैल** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में खासी-जेनतिया पहाड़ी क्षेत्र के लुभाचेरा क्षेत्र में सीमा के हमारी ओर पाकिस्तानी मजदूर अब भी आते हैं और काम करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । पाकिस्तानी चाय बागान श्रमिक ग्राउंड रूल्स के उल्लंघन में संयुक्त खासी-जेनतिया पहाड़ी क्षेत्र में लुभाचेरा में चाय बागान के साथ किये गये क्षेत्र में कई बार अवैध रूप से घुस आये हैं ।

(ख) भारतीय प्लाटून कमांडर तथा कम्पनी कमांडर द्वारा, ग्राउंड रूल्स के अन्तर्गत, इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिये अपने पाकिस्तानी समानाधिकारियों से मिलने के प्रयत्न किये गये हैं, परन्तु पाकिस्तानी कमांडर ऐसी बैठकों से बचते रहे हैं ?

बम्बई गोदी में सामयिक श्रम पद्धति

1374. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई गोदी में सामयिक श्रम पद्धति पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बीच सरकार द्वारा सीधे रूप में कुल कितने सामयिक मजदूर खपाए गए ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) बम्बई गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) योजना, 1956 के अन्तर्गत आने वाले बम्बई गोदी के स्टीवेडोर श्रमिकों का पंजीयन कर दिया गया है और उन्हें असामयिक घोषित कर दिया गया है। बम्बई अपंजीकृत गोदी श्रमिक (रोजगार विनियमन) योजना, 1957 के अन्तर्गत आने वाले चिपिंग तथा पेंटिग श्रमिकों, कोयला श्रमिकों तथा खाद्यान्न श्रमिकों को सूचीबद्ध कर दिया गया है परन्तु उन्हें अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा असामयिक घोषित नहीं किया गया है।

(ख) 1 जनवरी, 1964 पंजीकृत स्टीवेडोर श्रमिकों तथा सूचीबद्ध श्रमिकों की कुल संख्या क्रमशः 4730 और 3090 थी।

भारत का कुल क्षेत्र

1375. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के गवेषणा विभाग द्वारा प्रकाशित भारतीय श्रम आंकड़े 1964 में भारत का कुल क्षेत्र 12,28,402 वर्ग मील दिखाया गया है जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गवेषणा तथा निर्देश शाखा की निर्देश नियमावलि में दिखाई गई संख्या से 33,195 वर्ग मील कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या ठीक है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां।

(ख) 'भारतीय श्रम आंकड़े' 1964 में प्रकाशित संख्या केवल उन क्षेत्रों को दर्शाती है जहां 1961 जनगणना की जा चुकी थी, जबकि 'भारत 1963' में दिखाई गई संख्या समस्त देश के बारे में थी जिसमें जम्मू तथा काश्मीर का वह क्षेत्र भी जो विदेशी कब्जे में है, शामिल है, जहां 1961 में जनगणना नहीं की जा सकी थी।

रूस से मिग विमान

1376. **श्री बृजराज सिंह---कोटा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत में मिग विमानों के निर्माण किये जाने से पहले रूस से ऐसे 38 मिग विमान खरीदने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जैसा कि 21 सितम्बर, 1964 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य में बताया गया है, रूस से कुछ मिग-21 विमान खरीदे जा रहे हैं। उन विमानों तथा अगस्त 1964 समझौते के अन्तर्गत दिये गये समान की सहायता से हमारी तीन फाइटर स्क्वेड्रनों को मिग-21 विमानों से सुसज्जित किया जा सकेगा।

(ख) उपरोक्त खरीद का भुगतान रुपयों में किया जायगा। उस धनराशि से रूस सरकार वर्तमान समझौतों के अनुसार भारत में सामान की खरीद कर सकेगी।

प्रधान मंत्री की बीमारी पर बुलेटिन

1377. श्री बड़े :
श्री बृजराज सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की अभी हाल में हुई बीमारी पर कोई मैडिकल बुलेटिन जारी नहीं किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में समाचार पत्रों को जानकारी देने के लिये कौन जिम्मेदार था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) बीमारी इतनी गम्भीर नहीं थी जिससे कि मैडिकल बुलेटिन जारी करने की आवश्यकता होती । फिर भी, प्रधान मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभ में सरकार की ओर से दिन में दो बार समाचार-पत्रों को जानकारी दी गई और बाद में दिन में एक बार ।

(ग) प्रधान मंत्री की बीमारी के दौरान समाचार पत्रों को समाचार प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा दिये गये ।

प्रतिरक्षा स्थापनाओं में कैंटीन कर्मचारी

1378. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा स्थापनाओं में जिनमें आयुद्ध तथा कपड़ा कारखाने भी शामिल हैं कैंटीन कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी मानने के प्रश्न पर कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि महानिदेशक, आयुद्ध कारखाने, कलकत्ता इससे सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मामले को अन्तिम रूप देने के बारे में सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

पेरिस में भारतीय दूतावास द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका

1379. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेरिस में हमारा दूतावास "नूवेल डे लिंडे" ("Nouvelles de l' Inde") नामक एक पत्रिका निकालता है ;

(ख) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर गया है कि वह अनियमित रूप से निकलती है, मासिक प्रकाशन बहुधा महीने के बाद में निकलता है ;

(ग) क्या उनका ध्यान अप्रैल, 1964 (संख्या 25) के "नूवेल डे लिंडे" में प्रकाशित भारत की परिस्थितियों , हमारे साक्षरता आंकड़ों, हमारी फिल्म के स्तर तथा फिल्म टेक्नीशियनों के बारे में गलत तथा अपमानजनक वक्तव्यों की ओर गया है ; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले की अच्छी तरह जांच करने का विचार है ताकि ये त्रुटियां ठीक की जा सकें ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (क) जी हां, यह एक मासिक पत्रिका है ।

(ख) पत्रिका निकालने में कई बार देरी हुई है परन्तु स्थिति में सुधार करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) संभवतया माननीय सदस्य का निर्देश श्री पाल ग्युरिन, सुविख्यात फिल्म आलोचक, के हस्ताक्षरित लेख की ओर है, जो पत्रिका के अप्रैल मास के प्रकाशन में निकला था । लेख में की गई आलोचना निर्माणकारी स्वरूप की है और उसका सामान्य उद्देश्य सहानुभूति तथा मामले को समझने की कोशिश करना है ।

(घ) दूतावास के प्रचार कार्य सम्बन्धी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Unauthorised use of Navy Plane

1380. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a certain unauthorised person took off in an aircraft belonging to the Indian Navy from Madras resulting in total loss of the aircraft ;

(b) if so, the cost of the aircraft ;

(c) whether any enquiry has been made into this incident ; and

(d) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Defence (Shri Y.B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 9,86,500.

(c) Yes, Sir.

(d) The proceedings of the Board of Inquiry have just been received and are under review.

Dearness Allownce

1381. Shri Tan Singh : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is much difference between the dearness allowances of civil and defence employees ;

(b) the causes of this difference ; and

(c) the steps taken to remove this anomaly ?

The Minister of Defene (Shri Y. B. Chavan) : (a) Commissioned Officers of the Defence Services, as well as Junior Commissioned Cfficers of the Army and Warrant Officers/Master Warrant Officers of the Air Force holding honorary ranks as Commissioned Officers, are given dearness allowance at the same rates and under the same conditions as applicable to corresponding civil Government servants. Defence Services personnel below commissioned rank are given dearness allowance under the same conditions as applicable to corresponding civilians but at 2/3rd of the civilian rates rounded off to the nearest rupee.

(b) The reason for grant of dearness allowance at reduced rates to Defence Services personnel below commissioned rank is that they are not affected to the same extent as civilians by the rise in the cost of living, as they receive certain concessions in kind (or monetary allowances in lieu) free as a condition of their service (*viz.*, rations, accommodation, clothing, hair cutting/hair cleaning and washing services, and conservency).

(c) There is no proposal to alter the existing position.

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों के निवास-स्थान पर टेलीफोन

1382. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में काम कर रहे डाक तथा तार विभाग के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के निवास स्थानों पर लगाये गये टेलीफोनों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन टेलीफोनों पर बाहर की जाने वाली कालों को बुक करने के लिये मीटर की व्यवस्था नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उनका दुरुपयोग तथा बाहर के स्थानों के लिये सीधे ट्रंक काल न करने देने के लिये क्या व्यवस्था अपनाई गई है ; और

(घ) दिल्ली तथा नई दिल्ली में जनता की टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये निवास स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में कमी करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ।

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) 477

(ख) और (ग). समस्त ट्रंक काल बुक की जाती हैं और उनके बिल बनाए जाते हैं । सरकारी काम के लिये की गई कालों को प्रमाणित किया जाता है, जबकि निजी कार्य के लिये की गई कालों का भुगतान करना होता है । सभी स्थानीय कालों तथा सभी सब्स-क्राइबर डायल्ड ट्रंक कालों पर मीटर की व्यवस्था है परन्तु बिल तैयार नहीं किये जाते ।

(घ) टेलीफोन सेवा के हित में टेलीफोन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, अर्थात् विभिन्न डाक तथा तार सेवाओं के संचालन, उन्हें बनाये रखने, उनके प्रशासन, आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, टेलीफोनों की मंजूरी दी जाती है।

सैनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन

1383. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में बोरधा में अथवा उसके निकट सैनिक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक तथा तार कर्मचारी

1384. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अगस्त, 1964 को उनके पटना के दौरे के समय डाक तथा तार कर्मचारियों की ओर से उनको कोई ज्ञापन पेश किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3258/64]**

सेना अधिकारियों के लिये आवास कार्यक्रम

1385. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सेना अधिकारियों तथा जे० सी० ओस० के लिये जिनके परिवार हैं बड़े पैमाने पर आवास कार्यक्रम चालू करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन कौन से स्थान चुने गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) और (ख). सरकार की यह नीति है कि वह धीरे धीरे उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रख कर विवाहित अधिकारियों तथा जवानों के लिये उनके अधिकारों के अनुसार मकानों का निर्माण करे। ऐसी परियोजनायें विभिन्न स्थानों पर चालू की गई हैं। उन स्थानों के बारे में जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा।

महिला श्रम

1387. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1964 को भारत के महिला श्रम बल की कुल संख्या क्या है; और

(ख) इस दिशा में संसार के गतिशील देशों की स्थिति महिला श्रम के मामले में तुलनात्मक दृष्टि से क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री(श्री संजीवय्या) : (क) 1-6-64 तक की स्थिति के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हो सके। 1961 वर्ष की संख्या 594 लाख है।

(ख) अन्य देशों से प्राप्त जानकारी निम्न प्रकार है :—

देश	वर्ष	आर्थिक रूप से सक्रिय जन संख्या (मिलियनज़ में) कुल	महिला श्रम
फ्रांस	1958	19.8	6.6
जर्मनी (पश्चिप)	1961	25.8	9.5
ब्रिटेन	1951	23.2	7.1
रूस . . .	1959	109.0	56.6
कनेडा .	1962	6.6	1.8
अमरीका	1962	74.7	24.5

स्रोत—अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की 1963 श्रम आंकड़ों की वर्ष पुस्तक

स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री नेहरू पर पुस्तक तैयार करना

1388. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में कोई पुस्तक निकालने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य अंग क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री(श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) और (ख) (1) इस मंत्रालय की ओर से स्वर्गीय प्रधान मंत्री की स्मृति में हिन्दी और अंग्रेजी में एक पुस्तक

जिसका नाम, "जवाहरलाल नेहरू---श्रद्धान्जली" है प्रकाशित कर चुकी है। उसकी अनुक्रमणिका निम्न प्रकार है :--

1. जवाहरलाल का देहावसान
2. जीवन प्रसंग
3. महात्मा गांधी ने उन्हें क्या कहा ?
4. भारतीय नेताओं की श्रद्धान्जलियां ,
5. विश्व राजनीतिज्ञों द्वारा श्रद्धान्जलियां
6. भारतीय प्रेस की श्रद्धांजलियां
7. विश्व प्रेस की श्रद्धान्जलियां
8. उनके सिद्धान्त
9. वसीयत के उद्धरण

क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करण भी तैयार हो रहे हैं।

(1) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से जो श्रद्धाञ्जलियां प्रस्तुत की गई उसकी भी एक पुस्तक "श्रद्धाञ्जलियां—प्रकाशन" नाम से प्रकाशित करने का विचार है ;

(2) प्रकाशन विभाग के 1964–65 के कार्यक्रम में श्री जवाहरलाल जी की निम्न पुस्तकों को प्रकाशित किया जाना सम्मिलित है :--

(1) आयोजन पर श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण

(2) स्वतन्त्रता दिवसों पर श्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण

(3) श्री जवाहरलाल के भाषण खंड 5

(4) बच्चों का नेहरू

श्रम की ठेका पद्धति का उन्मूलन

1390. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या इंजीनियरिंग मजदूर संघ ने दिल्ली के इंजीनियरिंग एककों में से श्रम की ठेका पद्धति को समाप्त करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्तध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) सरकार को इस तरह की किसी मांग का कोई पता नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खनन उद्योग

1391. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खनन उद्योग के मजूरी बोर्ड द्वारा कब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है, और

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) मजूरी में अन्तरिम वृद्धि कर देने के सम्बन्ध में बोर्ड अपनी सिफारिशें कर चुका है : निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि किस दिन तक अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(ख) आशा है कि कोयला खान क्षेत्रों में निरीक्षण सम्बन्धी दौरों और सुनवाइयों का कार्यक्रम इस महीने के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

खान यंत्रीकरण प्रशिक्षण संस्था

1392. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लमपल्ली, आंध्र प्रदेश, में एक खान यंत्रीकरण प्रशिक्षण संस्था खोलने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) यह सम्पूर्ण प्रश्न अभी तक भारत सरकार के विचाराधीन है ।

रामगुंडम में क्षेत्रीय अस्पताल

1393. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामगुंडम, आंध्र प्रदेश, में क्षेत्रीय अस्पताल के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा सीमेन्ट और इस्पात के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था कर दी गई है क्योंकि भवन के निर्माण का कार्य रुका हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में इनका संभरण किया गया है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) भवन की नींव में कंक्रीट भर दी गई है और बुनियाद में चिनाई का कार्य चल रहा है ।

(ख) और (ग) 47.70 मीट्रिक टन सीमेन्ट की व्यवस्था की गई है । निर्माण कार्य के लिये आवश्यक इस्पात और सीमेन्ट की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

एम० ई० एस० सिरसा

1394. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० ई० एस० उड़ीसा में सीमेन्ट के कई हजार बोरों में सीमेन्ट जमा हुआ पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) इसमें कितने रुपये की हानि हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) मार्च, 1964 में स्टाक की पड़ताल करते समय 459.95 मीट्रिक टन सीमेन्ट आंशिक रूप से जमा हुआ पाया गया था।

(ख) एक जांच न्यायालय को इसके लिये उत्तरदायित्व नियत करने के लिये कह दिया गया है। उसकी कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(ग) अनुमानतः लगभग 60,000 रुपये की हानि हुई है।

New Council of Ministers

1395. **Dr. Ram Manohar Lohia:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether any meeting of the Cabinet has taken place since the constitution of the new Council of Ministers headed by him and if so, the number of meetings held so far; and

(b) on how many days each Member of the new Council of Ministers remained in the Capital since its inception till now?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): (a) Yes; during the period from 9th June 1964 to 25th September 1964, seventeen meetings of the Cabinet have been held.

(b) A statement giving the required information for the period from 9th June 1964 to 31st August 1964, is attached. **[Placed in Library See No. LT—3259/64.**

यूरेनियम के स्थान पर कोई अन्य पदार्थ

1396. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि समस्त संसार को यूरेनियम के निक्षेप समाप्त होते जा रहे हैं, सरकार हमारे अणुशक्ति संयंत्रों में उपयोग के लिये यूरेनियम के स्थान पर अन्य कोई उपयुक्त पदार्थ खोजने का प्रयत्न कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) भारत में यूरेनियम के ज्ञात भण्डार अणु शक्ति क्षमता को चलाने के लिये इतने है कि उनसे 90 लाख किलोवाट से अधिक बिजली तैयार हो सकती है जो कि पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के भी अन्त त क पूर्वकल्पिक विद्युत् से कहीं अधिक है। संसार में थ्योरियम के सबसे अधिक निक्षेप भारत में है और सरकार का दीर्घकालिक उद्देश्य यह है कि हमारे देश का अणुशक्ति कार्यक्रम थ्योरियम पर

आधारित हो । यह कार्यक्रम तीन प्रक्रमों में होगा, प्रथम प्रक्रम में रिएक्टरों को प्राकृतिक यूरेनियम के ईंधन से गरम किया जायेगा, जिससे कुछ प्लुटोनियम का उत्पादन होगा, दूसरे प्रक्रम के रिएक्टरों में इस प्लुटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा और थ्योरियम से कुछ यूरेनियम 233 का उत्पादन होगा और तीसरे प्रक्रम में ब्रीडर रिएक्टर थ्योरियम-यूरेनियम 233 सायक्ल पर चलाये जायेंगे । अन्तिम प्रक्रम के इन रिएक्टरों में, जितनी खण्डनीय सामग्री उनमें जलाई जायेगी उससे अधिक का उत्पादन होगा और प्रजनन प्रयोजनों के लिये उनके लिये केवल कुछ टन थ्योरियम की ही आवश्यकता होगी । राजस्थान में राणा प्रताप सागर पर 200 मेगावाट के बिजलीघर के निर्माण के प्रारम्भ हो जाने से और प्राकृतिक यूरेनियम रिएक्टरों पर आधारित अतिरिक्त अणुशक्ति की प्रस्तावित स्थापना से प्रथम प्रक्रम का कार्य प्रारंभ हो गया है । जैसा कि सदन को ज्ञात है, उपयोग किये हुए ईंधन का शोधन करने और उससे अति-मूल्यवान खण्डनीय सामग्री प्लुटोनियम निकालने का एक संयंत्र तैयार हो गया है और अणुशक्ति संस्थान, ट्राम्बे में चलाया जा रहा है । यह वह पदार्थ है जिसकी सहायता से हम अणुशक्ति से विद्युत् जनन के लिये थ्योरियम का उपयोग कर सकेंगे ।

आपातकालिक भर्ती

1397. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इमरजेन्सी कमीशनों के अंतर्गत भर्ती अब बन्द कर दी गई है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1962 में चीनी आक्रमण के समय से लेकर अब तक इमरजेन्सी कमीशनों के अन्तर्गत कितने अधिकारी भर्ती किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) जी, हां; सभी आर्म्स और सर्विसेज़ में सिवाय आर्मी मेडीकल कोर्स और रिमाउन्ट्स तथा वेटेरिनरी कोरस् के । इमरजेन्सी कमीशन में भरती किये गये सेना छात्रों का अन्तिम जत्था अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और उन्हें जनवरी 1965 में कमीशन दे दिया जायेगा ।

(ख) इन आर्म्स तथा सर्विसेज़ में आपातकालिक भरती का लक्ष्य पूरा हो गया है । इसके पश्चात् स्थायी नियमित कमीशन तथा अल्प सेवा नियमित कमीशन देकर सामान्य रूप से भर्ती की जायेगी ।

(ग) आर्मी मेडिकल कोर्स तथा रिमाउन्ट्स और वेटेरिनरी कोर्स को छोड़ कर 8439.

Radio Station At Gwalior

1398. **Shri Surya Prasad:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a radio station is under construction at Gwalior (Madhya Pradesh); and

(b) if so, when it is likely to be completed and commissioned?

The Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) and (b). An auxiliary centre with a 5 KW transmitter and a re-

ceiving unit was commissioned into service at Gwalior on the 15th August, 1964. Programmes from Bhopal Station are relayed from this centre. There is no proposal at present to set up a full-fledged radio station at Gwalior with studies for original programmes.

'एवरो' हवाई जहाजों का निर्माण करने की परियोजना

1399. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एवरो' हवाई जहाजों का निर्माण करने की परियोजना के सम्मुख कुछ कठिनाइयां आई हैं जिनसे कि परियोजना की अग्रेत्तर प्रगति रुक गई है ;

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं ; और

(ग) परियोजना को इन कठिनाइयों से मुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी, नहीं । तथापि, एवरो 748 विमान का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम है ।

(ख) और (ग). एयरोनौटिक्स् इंडिया लिमिटेड इस समय अपने कानपुर डिवीजन की क्षमता की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं और आशा की जाती है कि उत्पादन की दर को बढ़ाने के लिए वे शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्रमिक निर्वाह-व्यय सूचकांक

1400. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, बंगाल, बिहार और उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों में श्रमिक निर्वाह व्यय देशकांक 1964 के प्रारम्भ से निरन्तर बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष में प्रत्येक मास के अन्त में सूचकांक क्या था; और

(ग) इस अवधि में प्रत्येक क्षेत्र में श्रमिकों की मजूरी में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विभिन्न केन्द्रों में जनवरी से लेकर जून, 1964 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960–100) दिखाये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3260/64]** ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सेना की वर्दियां

1401. **श्री बृजराज सिंह-कोटा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी प्रतिरक्षा गवेषणा संगठन अथवा संस्था ने स सम्बन्ध में गवेषणा की है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के पहनने के लिए किस प्रकार की वर्दियां सबसे अधिक उपयुक्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सशस्त्र सेनाओं के उपयोग के लिये वर्दियों और अन्य विशेष कपड़ों के डिजाइन तैयार करने और उन्हें अधिक समय तक चलने योग्य बनाने के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा संस्थानों में निरन्तर अनुसन्धान तथा विकास कार्य किया जा रहा है ।

(ख) अनुसन्धान इससे सम्बन्धित है कि विभिन्न जलवायुओं में, जैसे कि अति ठंडी, हल्की ी और उष्ण जलवायु में, किस प्रकार की वर्दियां उपयुक्त हैं ?

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सैनिक समाचार

1402. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक समाचार में अनुवादकों के पद का नाम सहायक पत्रकार रख दिया गया है और उनके वेतन-मान में सं ोधन करके उसे सहायक पत्रकारों (असिस्ेन्ट जरनलिस्ट्स) के बराबर कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रैस इन्फारमेशन ब्यूरो में सहायक पत्रकारों का वेतन-क्रम 270—485 रुपये है जब कि सैनिक समाचार में सहायक पत्रकारों का ेतन 210—425 रुपये ही है, और

(ग) क्या सैनिक समाचार के सहायक पत्रकारों के वेतन-क्रम को प्रैस इन्फारमेशन ब्यरो के सहायक पत्रकारों के समान नियत करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) सैनिक समाचार के अनुवादकों के पद का नाम बदलकर सहायक पत्रकार रख दिया गया और उनके वेतन-मानों में (जो स्नातकों के लिये 150—10—290—द० रो०—15—380 रुपये और गैर-स्नातकों के लिए 130—5—160—8—200—द० रो० —8—256—8—280 रुपये थे) । परिवर्तन किया गया और उन्हें 210—10—290—15—320—द० रो०—15—425 रुपये पर निर्धारित किया गया जिससे कि उनका वेतन-मान उस वेतन मान के समान हो सके जो कि केन्द्रीय

सूचना सेवा (सैन्ट्रल इन्फारमेशन सर्विस) के निर्माण से पहले प्रैस इन्फारमेशन ब्यूरो में सहायक पत्रकारों के लिये मंजूर किया गया था :

(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा के बनने पर, प्रैस इन्फारमेशन ब्यूरो के सहायक पत्रकार, सावधानी-पूर्वक छान-बीन के पश्चात्, उस सेवा के ग्रेड चतुर्थ में 270—10—290—15—485 रुपये के वेतन मान पर सम्मिलित कर लिये गये थे।

(ग) क्योंकि केन्द्रीय सूचना सेवा के श्रेणी चतुर्थ के अधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सैनिक समाचार के सहायक पत्रकारों से अधिक हैं अतः उन दोनों के वेतन-मानों को बराबर करना उचित नहीं होगा। वास्तव में तो केन्द्रीय सूचना सेवा के श्रेणी चतुर्थ के अधिकारियों के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को 'सैनिक समाचार' के उप-सम्पादकों के बराबर ठहराया गया है। और तदनुसार बाद वाले अधिकारियों के वेतन-मान को पुनरीक्षित करके उसे पहले वाले अधिकारियों के बराबर कर दिया गया है।

नेपाल में राजदूत

1403. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में राजदूत का पद अब बहुत अवधि से रिक्त पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पद को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह पद 20 मई, 1964 से रिक्त है।

(ख) पद को शीघ्र भरने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। तथापि, यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि राजदूत की नियुक्ति में समय लगता है।

लद्दाख में मारे गये जवानों का स्मारक

1404. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे उन बहादुर जवानों की याद में लद्दाख में कोई स्मारक बनाये गये हैं जो कि चीनियों के साथ गत युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं; और

(ग) यदि अभी तक ऐसे कोई स्मारक नहीं बनाये गये हैं तो क्या अब उनकी योजना बनाने का कार्य हाथ में लिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) लद्दाख युद्ध में हमारे जो जवान मारे गये थे उनके लिए कोई स्मारक नहीं बनाया गया है। कुमायूं रेजिमेंट के सैनिकों के लिये एक स्मारक बनाया गया है।

(ख) उपर्युक्त लिखित स्मारक का निर्माण रेज़िंग ला में 282 रु० 59 पैसे की लागत पर हुआ है और इसके लिये पैसा कुमायून् रेजिमेन्टल फंड से दिया गया है। इस स्मारक के लिये संगमरमर का एक पत्थर राजस्थान की मारबल एसोसियेशन ने भेंट किया था। इस स्मारक का संधारण कुमायून् रेजिमेंट करेगी।

(ग) कुछ समय पूर्व दिल्ली में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था परन्तु आपातकाल के जारी रहने के कारण वह कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

तिब्बती शरणार्थियों के लिये विदेशी सहायता

1404-क. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती शरणार्थियों तथा अन्य धर्मार्थ कार्यों के लिये सहायतार्थ भारत को भेजे गये सामान के रास्ते में भारी मात्रा में गुम हो जाने से सम्बन्धित लन्दन में प्रकाशित उन समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिनमें यह कहा गया है कि जहाज द्वारा भेजे गये माल का दो तिहाई भाग अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचा; और

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां । सन्डे टाइम्स (लन्दन) के दिनांक 13 सितम्बर, 1964 के अंक का समाचार बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है और उस में स्थिति का गलत चित्रण किया गया है । तिब्बती शरणार्थियों के लिये विदेशों से प्राप्त भेंट परेषणों में से मुश्किल से ही कोई माल गुम हुआ होगा । अगस्त, 1963 से लेकर मार्च, 1964 तक की अवधि में बम्बई पत्तन से परेषणों को उठाने में कुछ बिलम्ब हुआ था परन्तु इसके परिणामस्वरूप कोई विशेष हानि नहीं हुई ? केन्द्रीय सहायता समिति (भारत) तथा तिब्बती शरणार्थियों को सहायता देने वाली अधिकांश स्वयंसेवी संस्थाओं में संडे टाइम्स के इस समाचार का खंडन किया है ।

(ख) केन्द्रीय सहायता समिति (भारत), जो कि भारत में तिब्बती शरणार्थियों के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलने वाली सहायता की प्राप्ति तथा उसके वितरण का समन्वय करती है, के साथ इस मामले पर बातचीत की गई थी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि समाचार बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है और सहायता का अधिकतम उपयोग करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

करीमगंज-पाकिस्तान सीमा

1404-ख. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीम गंज-पाकिस्तान सीमा पर पकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों के लिये हाल ही में सीमा-पर्ची-पद्धति लागू की गई है जिस से कि पाकिस्तानियों के अवैध रूप से भारत में घुस आने को रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OE URJENT PUBLIC IMPORTANCE

पिपरिया रेलवे स्टेशन पर फलों के एक पार्सल में प्रतिरक्षा सम्बन्धी नक्शों के पाये जाने के समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें, अर्थात् :—

"पिपरिया रेलवे स्टेशन (मध्य प्रदेश) पर फलों के एक पार्सल में प्रतिरक्षा सम्बंधी नक्शों के पाए जाने के समाचार ।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 21 सितम्बर, 1964 को समाचार पत्रों में यह खबर छपी थी कि पिपरिया रेलवे स्टेशन पर एक फलों के पार्सल में प्रतिरक्षा विभाग के नक्शे पाए गये जिनमें लद्दाख और नेफा की नई सड़कें और पुल आदि दिखाये गये थे । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि रानीखेत से एक सिपाही ने पचमरही में जे० सी० ओ० को एक सेवों का पार्सल भेजा जो पिपरिया में 6 सितम्बर 1964 को प्राप्त हुआ । उस पार्सल में से लद्दाख और नेफा के खाके मिले । वह खाके रेलवे पुलिस ने जांच के लिये कब्जे में कर लिये । प्रत्यक्षतः उनमें सैनिक महत्व की कोई सूचना नहीं पाई गयी । फिर भी, इस मामले की अग्रेतर जांच हो रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या पार्सल भेजने वाले और प्राप्त करने वालों से पूछताछ की गयी और क्या उसका कुछ परिणाम निकला ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सेना अधिकारियों को इस मामले का ब्योरा प्राप्त करने के लिये कहा गया है जो ब्योरा इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : 7 दिन पहले इस प्रस्ताव की सूचना दी गयी थी । इसके बाबजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मालूम करूंगा कि कब सूचना प्राप्त हुई थी और कब इसकी सूचना मंत्री को दी गयी । परन्तु श्री बनर्जी की शिकायत उचित ही है कि प्रस्ताव की सूचना इतने दिन पहले मिल जाने पर भी मंत्री महोदय यह कहें कि उन्हें अभी अभी सूचना मिली है और जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह घटना रेलवे में हुई थी इसलिये हमने तुरन्त उनसे सूचना प्राप्त की । अब हम सेना अधिकारियों से इसका ब्योरा प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : पहले श्री वालकाट भारत आये और यहां से चले गये और फलों के पार्सल से प्रतिरक्षा विभाग के नक्शे पाये गये । यह बातें प्रशासनिक कमियों के कारण होती हैं । सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है और क्या इस घटना से संबंधित व्यक्तियों को पकड़ा गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम देखेंगे कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है और उसे दण्ड देंगे । सेना अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Is there no arrangement to censor the letters and parcels sent by the people from Military Department?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उस विभाग में जिन लोगों का सम्बंध महत्वपूर्ण दस्तावेजों से रहता है उन्हें सावधानी बर्तनी पड़ती है और यदि वह ऐसा नहीं करते तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : क्या सरकार को ज्ञात है कि जासूसी गतिविधियां हमारे देश में बढ़ रही हैं ? और क्या सरकार का विचार सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने का है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसे मामलों में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं । यह गतिविधियां बढ़ रही हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकता ।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर): प्रतिरक्षा नक्शों के तैयार करने और उन्हें विभिन्न स्थानों में भेजने के बारे में क्या एक उचित प्रक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस विषय में एक निर्धारित प्रक्रिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या पहले भी देश के अन्य भागों में इस प्रकार की घटनायें हुई हैं और क्या इस मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस मामले में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Bagri (Hissar): On a Point of Order, Sir, The hon. Minister, is not giving any information to us since he does not know the names of the sender and the addressee of the Parcel.

Mr. Speaker: He says he has directed to find out that.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister can tell us the names of the sender and the addressee of the Parcel.

Mr. Speaker: The names of the sender and the addressee must be there but the hon. Minister has no information about that. I will request the hon. Minister to give this information.

श्री जसवन्त मेहता (भावनगर) : क्या वह नक्शे प्रमाणिक सैनिक नक्शे हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सैनिक अधिकारी इनकी जांच पड़ताल करके ही बतायेंगे कि वह नक्शे किस प्रकार के हैं ?

पार्सल भेजने वाले और जिसको वह भेजा गया उनके नाम मैं मालूम करके बता दूंगा ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: CEASE-FIRE VIOLATIONS BY PAKISTAN

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): सभा को ज्ञात है कि युद्ध विराम रेखा पर घटनायें होती रहती हैं और पाकिस्तान जानबूझ कर तनाव पैदा करने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान ने कई बार हमारी सीमा का उल्लंघन किया है और गोली वर्षा की है। इस वर्ष 21 जून से इन घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। वह खाईयां आदि भी खोद रहे हैं। सितम्बर मास में अब तक 163 ऐसी घटनायें हो चुकी हैं। यह घटनायें मुख्यत: अखनूर, मेन्धर, नौशेरा आदि स्थानों पर हुई। हाल ही में हमने देखा है कि वह बड़ी संख्या में धावे करते हैं और धावे ऐसे स्थानों पर किये जाते हैं जहां कम से कम सैनिक उपस्थित हों ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही हो। तीसरी बात यह ध्यान में आई कि धावे योजना बना कर किये जा रहे हैं। इसके कारण हताहत व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। सितम्बर से 37 व्यक्ति हमारे मारे गये। हमें मालूम हुआ है कि 72 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं और दो घायल हो चुके हैं। अब पाकिस्तान द्वारा सशस्त्र असैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में हमले कराये जा रहे हैं और इस तथ्य को छिपाया नहीं जाता। ऐसे असैनिक गिरोह तनाव पैदा कर रहे हैं। मैं इस मास की मुख्य मुख्य घटनाओं की ही चर्चा करूंगा।

एक ध्यान दिलाने वाली सूचना 14 सितम्बर को मेन्धर क्षेत्र में हुई घटना के बारे में है जहां पाकिस्तानी दस्तों ने हज़ारों राऊंड चलाये परन्तु हमारा कोई व्यक्ति नहीं मारा गया। दूसरी सूचना उस मुठभेड़ के बारे में है जो पूंछ सीमा पर हुई जिसके परिणामस्वरूप 3 भारतीय सैनिक मारे गये और एक सेना अधिकारी।

22 तारीख को चार गम्भीर घटनायें हुई। पहली घटना तिथवाल के निकट हुई जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तानियों के 19 व्यक्ति मारे गये और दो घायल हुए। हमारा कोई व्यक्ति नहीं मारा गया। दूसरी मुठभेड़ गुरेज़ क्षेत्र में युद्ध विराम रेखा पर हमारे क्षेत्र में हुई जिसके परिणाम-स्वरूप 12 पाकिस्तानी मारे गये और हमारा एक अधिकारी और चार जवान लापता हैं। उसी दिन पाकिस्तानी दस्ते फिर हमारे क्षेत्र में आये और उन्होंने हमारी चौकी पर हमला किया। जो लड़ाई वहां हुई उसके परिणामस्वरूप 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गये। हमारे एक अधिकारी और 3 अन्य व्यक्ति मारे गये और 6 जवान लापता हैं।

22 तारीख की आखिरी घटना वह है जिसमें पाकिस्तानी दस्तों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की जीप पर हमला कर दिया था।

23 तारीख को पाकिस्तानी दस्ते उरी क्षेत्र में हमारी सीमा में घुस आये। वहां काफी लड़ाई हुई और अन्त में वह वापस चले गये। हमारा एक जे० सी० ओ० आठ सिपाही और एक कान्स्टेबुल मारे गये। छे सिपाही और एक कान्स्टेबुल घायल हुए और एक सिपाही लापता है। 9 पाकिस्तानी मारे गये।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस गम्भीर स्थिति के प्रति पूर्णत: जागरूक हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये, तनाव कम करने के लिये और पाकिस्तानियों को ऐसी कार्यवाहियां करने से रोकने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं। मुख्य सेना प्रेक्षक ने एक प्रस्ताव रखा था कि सीमा रेखा के दोनों ओर 500, 500 गज़ के क्षेत्र में कोई सशस्त्र असैनिक न आये जो हमने स्वीकार कर लिया है परन्तु पाकिस्तान सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया है।

पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के सुझाव को मान लिया है कि ऐसी घटनायें न होने दी जाय और तनाव कम किया जाय । वह इस विषय में कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त से बात करने पर भी सहमत हो गये हैं । चूंकि हमारे उच्चायुक्त छुट्टी पर हैं इसलिये हमने उनसे अनुरोध किया है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त नई दिल्ली में बातचीत करें । ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र मुख्य सेना प्रेक्षक से भी अनुरोध किया गया है कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करें ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : पाकिस्तान के राष्ट्रपति के हाल ही के इस कथन की दृष्टि से कि काश्मीर समस्या का हल भी उसी सिद्धांत पर हो जिस सिद्धांत के अनुसार देश का बटवारा हुआ था क्या सरकार को अभी आशा है कि इस समस्या को बातचीत द्वारा हल किया जा सकेगा ? प्रधान मंत्री इस बारे में प्रकाश डालें ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न उसी मंत्री से पूछे जा सकते हैं जो एक विषय के लिये उत्तरदायी हो ।

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सब लोग जानते हैं कि काश्मीर की समस्या के बारे में हमारा और पाकिस्तान के मत भिन्न भिन्न हैं । हम चाहते हैं कि इस समस्या का हल बातचीत द्वारा हो इसलिये बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know the number of Pakistanis whom we have captured and also, whether Government have strengthened our forces on the borders in view of the present situation?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं कैदियों की संख्या बताना उचित नहीं समझता । अपनी सेनाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये हम कदम उठा रहे हैं ।

Shri Bagri : Are not these happenings with Pakistan and China due to our defective foreign policy?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारी विदेश नीति त्रुटिपूर्ण नहीं है ।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : क्या इन सीमान्त अतिलंघनों और मुठभड़ों में पाकिस्तान द्वारा अमरीकी गोला बारूद का प्रयोग किया गया और यदि हां, तो क्या यह बात अमरीका के ध्यान में लाई गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें इस बात का सबूत नहीं मिला कि अमरीकी गोला बारूद का प्रयोग किया गया ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और क्या सीमाओं का उल्लंघन करने पर सम्बद्ध पक्ष से मुआवजा लेने की बात भी है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सीमा पार करने पर कार्यवाही करना हमारे बस की बात नही है । जहां तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने की बात है उस विषय में जो कार्यवाही की गयी है उसकी चर्चा मैंने अपने वक्तव्य में की है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

पंजाब के मुख्य मंत्री के टेलीफोन सुनने की कथित घटना

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Devas): I call the attention of the Minister of Communications and Parliamentary Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Alleged tapping of telephone of the Chief Minister of Punjab by some employees of Chandigarh Telephone Exchange".

The Minister of Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : Some complaints of tapping the calls of the Chief Minister of Punjab by some employees of the Telephone Branch of Chandigarh were made during the second week of this month, but on investigating the matter no proof has been found in that regard. The results of that investigation were made known to the Chief Minister also by the Post Master General of Punjab. However, special care is being taken now to avoid such possibilities in future.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that the spies of the ex-Chief Minister of Punjab indulge in such activities and are the telephone calls of the opposition members also being tapped?

Shri Satya Narayan Sinha: It is a fact the agents of the ex-Chief Minister were suspected of such activities. But the Chief Minister is satisfied with the investigation conducted there. Regarding the second part of the question a separate question should be tabled.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Is there any scheme to render such activities ineffective?

Shri Satya Narayan Sinha: There are such methods and they are applied. Another discouraging factor for people who want to indulge in such activities is that such things cannot be done single handed by.

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : मुख्य मंत्री ने तथ्यों को सुनिश्चित किये बिना राज्य विधान सभा म इस प्रकार की बात क्यों कही ?

श्री सत्य नारायण सिंह : उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा सन्देह है परन्तु वह इसका ठोस प्रमाण नहीं दे सके । उन्होंने यह बात क्यों कही इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 के अन्तर्गत एकाधिकार जांच आयोग को अधिकार सौंपने के बारे में दिनांक 28 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1228 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3251/64]

वालकाट के भाग जाने के बारे में प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार का निर्णय

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(2) एक सफदरजंग हवाई अड्डे से 26 सितम्बर, 1963 को पाइपर अपाचे विमान में मि० डेनियल एच० वालकाट के भाग जाने के बारे में संचार विभाग के सचिव श्री एल० सी० जैन की रिपोर्ट की एक प्रति।

उपरोक्त रिपोर्ट पर सरकार का निर्णय दर्शाने वाले ज्ञापन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3252/64]

शिशिक्षुता (तीसरा संशोधन) नियम भारतीय श्रम सम्मेलन के बाइसवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्ष

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रा० कि० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(3) शिशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 27 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1181 में प्रकाशित शिशिक्षुता (तीसरा संशोधन) नियम, 1964।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3253/64]

(4) जुलाई 1964, में बंगलौर में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के बाइसवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई / देखिये संख्या एल० टी० 3245/64]

सदस्य की दोष सिद्धि के बारे में सूचना

INTIMATION RE CONVICTION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे गोंडा के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट से दिनांक 25 सितम्बर, 1964 का एक तार प्राप्त हुआ था कि लोक सभा के सदस्य श्री रामसेवक यादव को 25 सितम्बर, 1960 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 380 के साथ परित भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अधीन एक आरोप पर गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 200 रुपये जुर्माना या उसे अदा न करने पर एक मास के साधारण कारावास का दंड दिया गया था। चूंकि सदस्य ने जुर्माना अदा नहीं किया इसलिये उन्हें गोंडा की डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज दिया गया।

करों की अस्थायी वसूली संशोधन विधेयक

PROVISIONAL COLLECTION OF TAXES (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि करों की अस्थायी वसूली अधिनियम, 1931 में अग्रेतर संशोधन करने वाल विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि करों की अस्थायी वसूली अधिनियम, 1931 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION RE: INTERNATIONAL SITUATION--*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 25 सितम्बर, 1964 को श्री स्वर्ण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाये।"

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ये स्थानापन्न प्रस्ताव भी सभा में विचार के लिये प्रस्तुत हैं। श्री हेडा अपना भाषण जारी रखें।

सभा के कार्य के बारे में

RE: BUSINESS OF THE HOUSE.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnaur): My submission is that if it is the opinion of the House and the Government, a discussion on Jammu and Kashmir situation should be held within this week. The House and the world at large are very anxious to know the reactions of the Government on the situation there. Dr. Singhvi has agreed to postpone discussion re: small cars for the time being provided the Parliamentary Affairs Minister gives an assurance to accommodate that item sometime later on. We were under the impression that some light on the situation in Kashmir would be thrown on Friday last at the end of the discussion on the Constitution (Amendment) Bill relating to omission of Article 370 of the Constitution. But discussion on that Bill was put off all of a sudden to accommodate another item.

Mr. Speaker: The hon. Member should not have gotten up all of a sudden. I do admit that the matter he wants to be discussed here is very important. He was under the impression that his Bill would be taken up immediately after the discussion on the other Bill.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : पिछले सप्ताह, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठक में मुझे भी बुलाया गया था । वहां पर यह धारणा स्पष्ट थी कि दूसरे विधेयक के निपटाये जाने के पश्चात् श्री शास्त्री के विधेयक को लिया जायेगा । ऐसा समझ कर ही मैंने श्री शास्त्री के विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । परन्तु मुझे मालूम नहीं कि बाद में क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ऐसे समय सावधान रहना चाहिये । उस विधेयक पर वाद-विवाद बन्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये था कि दूसरे विधेयक के निपटाये जाने पर उस विधेयक को पुनः लिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह हमारा दुर्भाग्य है कि नियमों में इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि क्या उसके लिये उस विधेयक को पुनः समय देना संभव होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): आचार्य कृपालानी ने यह सुझाव दिया था कि गांधी जी के जन्म-दिन अर्थात्, 2 अक्तूबर को सभा की बैठक हो या हम एक घण्टा अधिक बैठें और एक-दो महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर लें ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इसे भी ध्यान में रखेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION RE: INTERNATIONAL SITUATION—*Contd.*

श्री हेडा : (निजामाबाद) : मैं कह रहा था कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू के विभिन्न राज्याध्यक्षों को भेजे गये पत्र का बहुत प्रभाव पड़ा था और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र से अपनी सेना हटाये जाने का वह एक मुख्य कारण था । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि गुटों से अलग रहने की नीति अलाभदायक रही है ।

श्री रंगा का यह आरोप भी निराधार है कि नेपाल, भूटान को सरकार उचित महत्व नहीं दे रही है । विरोधी दल का नेता होने के नाते उन्हें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहियें जिससे देश के सम्मान को धक्का पहुंचे । उन्होंने यह भी कहा है कि हमें चीन को अपना कट्टर शत्रु समझ कर चलना चाहिये । परन्तु क्या पाकिस्तान हमारा शत्रु नहीं है जिसको प्रसन्न करने के लिये उनके वयोवृद्ध नेता ने काश्मीर को पाकिस्तान को दान करने के लिये कहा है ? परन्तु पाकिस्तान को इस प्रकार सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान की नींव ही साम्प्रदायिकता तथा घृणा पर रखी गई है । यह प्रसन्नता का विषय है कि राजाजी की इस नीति को स्वतत्र पार्टी का पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं है । हमें पाकिस्तान और चीन दोनों से ही अपने

देश की रक्षा करनी है : अतः यह तर्क बमानी है कि हमें अपने प्रतिरक्षा व्यय में कमी करनी चाहिये । अमरीका सैनिक सहायता का स्वागत है परन्तु वही हमारे लिये काफी नहीं है ।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिये । मैं यह मानता हूं कि काश्मीर के प्रश्न पर राष्ट्रमण्डल के कुछ प्रमुख देशों का रुख भारत के पक्ष में नहीं रहा है । परन्तु उसे छोड़ने से क्या उनके रुख में कोई परिवर्तन आ जायेगा ? नहीं । अतः इस तरह के समझौते में बंधे रहना ही हमारे लिये हितकर होगा ।

यह कहना भी दुरुस्त नहीं है कि हम ने मलयेशिया का समर्थन नहीं किया है । मलयेशिया को इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि समय आने पर भारत अवश्य ही उसकी मदद करेगा । एक मित्र राष्ट्र को कई प्रकार से अपना काम चलाना होता है । इसलिये खुले रूप में अपना समर्थन प्रकट करना संभव नहीं होता है । श्री रंगा जैसे उत्तरदायी व्यक्तियों को इस तरह की कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे दो मित्र देशों के बीच गलतफहमी फैले ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE.

आम खपत के विभिन्न किस्मों के कपड़े के उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण के बारे में विवरण

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाईशाह) : मैं आम खपत के विभिन्न किस्मों के कपड़े के उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3250/64**]

अध्यक्ष महोदयः माननीय मंत्री प्रेस सम्मेलन बुलाने वाले थे इसीलिये उन्होंने पहले इस सभा को यह जानकारी देना उचित समझा ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव--जारी

MOTION RE: INTERNATIONAL SITUATION—*Contd.*

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा): हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी विदेश नीति का पहला सिद्धान्त यह है कि हम प्रत्येक देश से मित्रता बनाये रखने की कोशिश करते रहेंगे चाहे उनकी विचारधारा हमसे भिन्न भी हो । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे सम्भव है । क्या हम चीन और पाकिस्तान, जिन्होंने हमारी भूमि अपने कब्जे में की हुई है, मित्रता बनाये रखेंगे चाहे उनकी विचारधारा भारत के प्रति आक्रामक ही क्यों न हो ? इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है ।

जब हमारा चीन तथा पाकिस्तान से शीत अथवा वास्तविक युद्ध हो रहा हो, तो हम कैसे गुटों से अलग रहने की बात कर सकते हैं । यदि चीन के आक्रमण के समय अमरीका हमारी मदद न करता तो चीन की सेनाओं को रोकना संभव नहीं था । गुटों से अलग रहने की नीति का आज के संसार में

कोई महत्व नहीं है। अतः हमें अपनी राजनीतिक भाषा के बारे में सावधान रहना चाहिये। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न राजनीतिक गुटों के हाथों में कठपुतली है क्या हम गुटों से अलग रहने की नीति से उसका हाथ बटा सकते हैं? यह चीज़ काश्मीर समस्या को वहां पर ले जाने से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।

विदेश नीति का सब से पहला सिद्धान्त यह होना चाहिये कि हम किसी भी अवस्था में हमें उचित हितों की रक्षा करेंगे। परन्य हम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और यही कारण है कि हमारे संसार में बहुत कम समर्थक रह गये हैं। जब तक हम अपने हितों की परवाह नहीं करते तब तक हम विश्व शांति को भी बढ़ावा नहीं दे सकते। अपने हितों की रक्षा करने के अतिरिक्त हमें दूसरे देशों से समझौते भी करने चाहियें। हम गुटों से अलग रहने की अपनी नीति के अनुसरण में अपने देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। लड़ाई के समय हम इस नीति का पालन नहीं कर सकते हैं।

"बिना किसी शर्त" शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है। क्या हम किसी के उपकार को भुला सकते हैं? बिना लगाव की नीति कोई नैतिक सिद्धान्त नहीं है जिसे हम त्याग ही नहीं सकते। किसी देश से सैनिक सहायता प्राप्त करने के पश्चात् हम अपने को तटस्थ नहीं कह सकते हैं। मुसीबत के समय केवल अमरीका तथा पश्चिमी देशों से ही हमें पर्याप्त रूप में सैनिक सहायता मिल सकती है। हमें इस तथ्य को समझने की कोशिश करनी चाहिये। यदि अमरीका न होता तो आज संसार में स्वतंत्र देश देख ने को न मिलते। मुसीबत के समय कोई भी देश अकेला सामना नहीं कर सकता है। अतः हमें स्पष्ट कर देना चाहिये कि संकट के समय हम किसी भी देश से सैनिक सहायता प्राप्त करने में संकोच नहीं करेंगे।

यह राजनीति, विदेश नीति तथा कूटनीति का सिद्धान्त है कि हमारे शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। परन्तु हम ने शत्रु के शत्रु को कभी मित्र बनाने का प्रयास नहीं किया। हम ने चीन के मुकाबले में फारमोसा को अपना मित्र नहीं बनाया। पाकिस्तान ने क्या किया भारत के शत्रु चीन से दोस्ती कर ली। हमारे साथ जो मित्रता करना चाहते हैं उन से भी हम मित्रता नहीं करते। इजरायल को ही ले लीजिए। अरब राष्ट्रों के डर से हम उस से मित्रता नहीं कर रहे। इस पर भी हम यह दावा करते हैं कि हमारी विदेशी नीति स्वतंत्र है और हम किसी से डरते नहीं।

उपध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr Deputy Speaker *in the Chair*

हम ने जब पश्चिम के राष्ट्रों से सहायता ले ली तो हमारी गुटों में शामिल न होने वाली नीति समाप्त हो गयी। मेरा निवेदन यह है कि हमें अपने हितों का ध्यान रख कर अपनी विदेश नीति का निर्माण करना चाहिये। अमरीका ने कहा है दक्षिण पूर्वी एशिया की रक्षा तो की ही जानी है और भारत के हित के लिए बड़ा जरूरी है। भारत के सहयोग के बिना वहां कुछ हो नहीं सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता---दक्षिण पश्चिम) : हमारे विदेश मंत्री ने प्रारम्भिक रूप में जो कुछ कहा वह सन्तोषजनक है। उन्होंने भारत की विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए इस बात को पुनः कहा कि इस नीति के सिद्धान्त पुराने ही रहेंगे। परन्तु वह बहुत सी बातें अस्पष्ट छोड़ गये हैं। हमें इस बात को सामने रखना चाहिये कि इस समय विदेशों में दो महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। अमरीका में भी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और पाकिस्तान भी अपने प्रधान को चुनने जा रहा है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इन दोनों चुनाव आन्दोलनों में शीत युद्ध को काफी प्रोत्साहन प्राप्त होगा । शायद यह प्रथम बार है कि राष्ट्रपति आयूब को एक गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । जो कुछ भी समाचार पाकिस्तान से प्राप्त हो रहे हैं उन से यह पता चलता है कि उन के विरुद्ध कुमारी जिन्ना को जनता का बहुत अधिक समर्थन प्राप्त हो रहा है । अत: यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि पाकिस्तान का तानाशाह आयूब चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कोई नये तरीके भी अपना ले । इन तरीकों में यह भी हो सकता है कि भारत पर सैनिक धावे कर दिये जायें । अथवा इसी तरह की कोई अन्य बात कर के भारत को क्षति पहुंचाने की कुचेष्टा की जाय ।

इस स्थिति में अपने अन्य पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधारने की दिशा में हमारे विदेश मंत्री ने जो पग उठाये हैं व सराहनीय हैं । परन्तु लंका के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि श्रीलंका की प्रधान मंत्री ने भारत, आने से पूर्व इस महत्वपूर्ण मामले पर अपने देश के सभी दलों से परामर्श किया । इसके विपरीत हमारी सरकार ने इस समस्या के बारे में किसी भी दल अथवा व्यक्ति का मत जानने का प्रयत्न नहीं किया । चाहिये यह था कि सरकार इस मामले पर विरोधी दलों से भी परामर्श कर लेती ।

चीन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट है, स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने यह पहल की थी कि यदि चीन कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र से उन सात चौकियों को खाली कर देता है, जिन पर कि उसने अवैध रूप से अधिकार कर रखा है, तो हम उसके साथ बातचीत करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे । मेरे विचार में कूटनीतिक अर्थों में चीन से पहल करने का अवसर छीनने का यह बुनियादी तरीका है । मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमारी सरकार को तटस्थता का इस प्रकार पालन नहीं करना चाहिये जिसके फलस्वरूप हम संसार भर में अकेले पड़ जायें ।

हाल ही में राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन की अन्तिम विज्ञप्ति में भारत-पाक विवाद का शामिल किया जाना बहुत ही खेदजनक घटना है । सरकार को हमें यह बताना चाहिये कि इस मामले को शामिल करने के लिए पाकिस्तान और ब्रिटेन के अतिरिक्त और किस किस देश ने आग्रह किया । मैं यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि इस बात से अफ्रीकी देशों को निराशा हुई है कि राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में जब उन देशों तथा अन्य पिछड़े देशों के आर्थिक विकास के मामलों पर चर्चा हुई तो भारत मौन रहा । दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रस के एक प्रतिनिधि और दक्षिण अफ्रीकी स्वतन्त्रता कांग्रेस के एक प्रतिनिधि--इन दोनों ने, जो कि भारत के अतिथि के रूप में भारत का दौरा कर रहे थे, उस समय अपने कई वक्तव्यों में स्पष्टत: कह दिया था कि दक्षिण अफ्रीका में श्वेत जाति शासन के कायम रहने का एक मात्र कारण ब्रिटेन और अमरीका है । संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्पों को कार्यान्वित करने में ये ही देश हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्होंने वहां करोड़ों रुपयों की पूंजी लगा रखी है । वे सब वहां व्यापार करते हैं और दक्षिण अफ्रीका को शास्त्रास्त्रों का सम्भरण करते हैं । अत: सारी स्थिति की गम्भीरता को समझने की आवश्यकता है ।

हम ने कह दिया है कि जब तक ब्रिटेन अपनी नीति नहीं बदलेगा दक्षिण अफ्रीका के बारे में प्रस्ताव पास करने का कोई लाभ नहीं है । हमें ब्रिटेन की सरकार को यह बता देना चाहिए कि उस को दक्षिण अफ्रीका के बारे में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करना चाहिये । समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार जर्मन लोकतंन्त्रात्मक गणराज्य को मान्यता क्यों नहीं देती ।

मलयेशिया-इण्डोनेशिया विवाद के बारे में हमें बड़े कूटनीतिक ढंग से तथा होशियारी से काम लेना चाहिये। यदि हम मलयेशया का समर्थन करते हैं तो हमें इस ढंग से करना चाहिये जिससे कि इण्डोनेशिया हम से नाराज न हो। हमें दोनों देशों के प्रति एक जसी नीति अपनानी चाहिये ।

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के गत सम्मेलन की यह कथित कार्यवाही बड़ी चिन्ताजनक है कि राष्ट्रमंडल को संस्थात्मक रूप दिया जा रहा है। यह समाचार और भी अधिक चिन्ताजनक है कि ब्रिटेन सरकार शान्ति के लिये संयुक्त राष्ट्रमंडलीय प्रतिरक्षा बल बनाने का समानान्तर प्रयत्न कर रही है, जिसकी युद्ध सम्बन्धी कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन होगी।

हमें इस बात के सम्बन्ध में सचेत रहना चाहिये कि संसार के इस भाग में शीत युद्ध न फल जाये। यदि गोल्डवाटर चुने गये तो शायद स्थिति में काफी परिवर्तन आये। हिन्द महा सागर के सैनिक अड्डों के बारे में भी हम विशेष रूप से चिन्तित नहीं दिखाई देते। अमरीका का सातवां बेड़ा भी अपने क्षेत्र को विस्तृत करता दिखाई दे रहा है। अन्त में मैं यह कामना करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन में भारत की परम्पराओं और गौरव के अनुरूप सफलता प्राप्त करें।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा): हमारी विदेश नीति के सिद्धान्त तो बुद्ध और अशोक के समय से निर्धारित हो चुके हैं। निकट अतीत में गांधीवादी तत्वज्ञान हमारा पथ प्रदर्शन करता रहा है और गत 17 वर्षों में इस नीति के निर्माण और निखार का उत्तरदायित्व मुख्यत: श्री नेहरू पर ही रहा है। भारत में व्यापक विश्व की चेतना निर्माण करने का श्रेय उन को ही है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के समय भी उन के समक्ष यही विचारधारा थी। समस्त भारत पर इस विचारधारा का व्यापक प्रभाव रहा है। नेहरू के नेतृत्व को संसार के बड़े बड़े महान् व्यक्ति भी मान्यता प्रदान करते रहे हैं। नेहरू जी के निधन से जो क्षति भारत को हुई है उसे पूरा किया जाना असम्भव है। मझे विश्वास है कि नये विदेश मंत्री उनकी नीतियों को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। पंडित नेहरू की नीति पर यह आरोप लगाना गलत है कि वह लचीली नहीं थी ।

हमारे नये विदेश मंत्री ने पड़ौसी देशों से अपने सम्बन्ध सुधारने का नया प्रयास किया है। चीन के सम्बन्ध में उन्होंने स्थिति को बहुत काफी हद तक स्पष्ट भी किया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यद्यपि हमें पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करने चाहियें। परन्तु अपने क्षेत्र का सौदा उससे नहीं करना चाहिये। इसके साथ ही भारत को राष्ट्र मंडल से अलग करने का सुझाव ठीक नहीं है, किन्तु यह दु:ख की बात है कि राष्ट्र मंडलीय प्रधान मंत्रियों के गत सम्मेलन में चीनी आक्रमणों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। परन्तु इसके लिये हमें श्री कृष्णमाचारी अथवा श्रीमती इन्दिरा गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिये। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि हमें राष्ट्र मंडल से निकल आना चाहिये। राष्ट्रमंडल के द्वारा राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने में काफी सहायता प्राप्त होती रही है।

विदेशों में हमारा ठीक ढंग से प्रचार नहीं हो रहा, यह बात कई बार कही जा चुकी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि विदेशों में हमारी प्रचार व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। लन्दन सम्मेलन में हमें इसकी असमर्थता का विशेष परिचय प्राप्त हुआ। जब पाकिस्तान हमारे

विरुद्ध जोरों से प्रचार करता था तो हम उसका तुरन्त खंडन नहीं कर पाते थे। इस दृष्टि से हमें अपनी विदेश नीति को उचित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इस दिशा में कुछ अवश्यमेव करना चाहिये। इसके लिए यह भी जरूरी है कि विदेशों में भेजने के लिये अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते समय सरकार विशेष रूप से सावधान रहे। सरकार को यह अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिये कि वहां केवल ऐसे ही व्यक्ति भेजे जायें जो भारत के दृष्टिकोण को और नीति को अच्छी प्रकार समझते हों। उनमें भारत के पक्ष को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता और क्षमता हो।

काहिरा में हो रहे तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन के बारे में मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री को इस सम्मेलन पर गहरा प्रभाव डालने का प्रयत्न करना चाहिये। जो राष्ट्र चीन के सम्बन्ध में भारत को खुल्लम खुल्ला समर्थन देने से हिचकिचाते हैं, उनको स्थिति समझानी चाहिये और उन का समर्थन प्राप्त करना चाहिये।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : यद्यपि यह सच है कि संसार की दो महान् शक्तियों, अर्थात् अमरीका और रूस के बीच तनाव कम हो रहा है किन्तु साइप्रस और लाओस तथा क्यूबा और कम्बोडिया जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रों में परस्पर तनाव बढ़ रहा है। इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के समय हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय का उत्तरदायित्व एक योग्य मंत्री को सौंपा गया है।

भारत के लिये शरणार्थियों की समस्या दीर्घकाल से चली आ रही है। बर्मा, लंका, जंजीबार जैसी पुर्तगाली बस्तियों तथा अन्य देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण समस्या ने एक नया मोड़ लिया है और समस्या अधिक गम्भीर हो गई है। बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति जब्त की जा रही है और उन्हें बर्मा से निकाला जा रहा है जिन लोगों ने अपने गहने तथा अन्य वस्तुएं भारतीय राजदूतावास में जमा करा दी थीं उन्हें भारत लाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लंका में भी कई लाख भारत मूलक लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लंका और बर्मा में भारत मूलक लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इन लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिये कोई प्रभावपूर्ण उपाय करने चाहियें। वैदेशिक कार्य मंत्री को बताना चाहिये कि उनकी बर्मा तथा लंका सरकार से इस समस्या पर बातचीत का क्या परिणाम रहा। सरकार के लिये यह चुप रहने का समय नहीं है। लंका को स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिये कि वहां रहने वाले लाखों तथाकथित राज्यहीन लोग उसी देश के वासी हैं। अतः उनकी समस्या लंका की अपनी समस्या है। इसमें भारत को न घसीटा जाये, यह समस्या लंका को स्वयं न्यायोचित ढंग से हल करनी चाहिये।

यह ठीक है कि सरकार अन्य देशों में भारतमूलक अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के लिये उन देशों के विरुद्ध किसी प्रकार बल प्रयोग नहीं कर सकती है किन्तु सरकार को चाहिये कि वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक सर्वोच्च न्यायाधिकरण बनाने के लिये प्रयत्न करे। यह न्यायाधिकरण एक स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के रूप में कार्य कर सकता है। यह न्यायाधिकरण कुछ नियम बना सकता है जिनका सभी सभ्य देश पालन करेंगे। अल्पसंख्यकों पर किसी देश द्वारा अत्याचार करने पर न्यायाधिकरण हस्तक्षेप कर सकता है जिससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो सकती है।

चीन की विस्तारवादी नीति से भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये खतरा बना हुआ है। चीन न तो कोलम्बो प्रस्तावों को मानता है और न ही किसी प्रकार का समझौता करना चाहता है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि कोलम्बो प्रस्ताव भारत के लिये अपमान के साधन बन गये हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार चीन को बराबर रियायतें क्यों देती जा रही है जब कि चीन किसी की बात को मानने के लिये तैयार नहीं है और अपनी शर्तों के अनुसार समझौता करना चाहता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिये यदि चीन लद्दाख से अपनी सात चौकियां हटा भी लेता है तो भी भारत की कई हजार वर्गमील भूमि पर उसका अवैध कब्जा बना ही रहेगा। जिस भूमि पर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उससे वह भूमि बातचीत द्वारा खाली करवाना कोरी कल्पना है। चीन केवल अपनी शर्तों पर ही समझौता कर सकता है जो भारत के लिये घातक हैं। अतः अब समय आ गया है जब कि सरकार को विश्व के सामने घोषित कर देना चाहिये कि अब कोलम्बो प्रस्ताव भारत के लिये निरर्थक हैं और हम उन्हें नहीं मानते हैं।

यह सुझाव देना कि चीन को अक्साई चिन की अधिक आवश्यकता है, इसलिये अक्साई चिन चीन को दे देना चाहिये, हमारी तुष्टीकरण नीति का द्योतक है। यदि चीन को अक्साई चिन देना है तो श्री फिजो की स्वतंत्र नागालैंड की मांग करना भी न्यायसंगत कहा जा सकता है। कुछ लोगों का यह कहना कि हमारी अर्थ व्यवस्था में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं अतः हमें अपने क्षेत्र का कुछ भाग चीन को दे देना चाहिये, अपनी कायरता का प्रदर्शन करना है। सरकार के लिये इस प्रकार की नीति का अनुसरण करना उचित नहीं है।

मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद का हल सैनिक शक्ति के प्रयोग के अतिरिक्त और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। हमारी सरकार की विदेश नीति बहुत कमजोर है। आज संसार में जब कि तीव्रता से परिवर्तन आ रहे हैं हम उसी निर्धारित पुरानी नीति पर चल रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि संसार में होने वाले परिवर्तनों के साथ हमें अपनी नीति में भी परिवर्तन करने चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हेम बरुआ : मैं पांच मिनट तक समाप्त करूंगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): हमारी ओर से केवल माननीय सदस्य ही एक वक्ता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करना चाहिये क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री हेम बरुआ : हमारी गुटों से अलग रहने की नीति वास्तविक रूप से तटस्थ होनी चाहिये और किसी देश के प्रति हमारा भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक झुकाव नहीं होना चाहिये। इस समय भारत को मध्य पूर्व एशिया में अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हैं। आशा है प्रधान मंत्री अब काहिरा में होने वाले तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में शामिल होने के लिये काहिरा जायेंगे तो वहां पर वह भारत की स्थिति दृढ़ करने का प्रयत्न करेंगे।

हमें अपनी विदेश नीति में कुछ दृढ़ता लानी होगी ताकि हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा तथा संवर्द्धन हो सके। यदि हमारी नीति दुर्बल ही रही तो हमें चीन को 14,500 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र देना पड़ेगा और काश्मीर की समस्या सदा के लिये हमारे लिये बनी रहेगी।

[श्री हेम बरुआ]

हमें चीन का सामना करने के लिये मध्य-पूर्व एशिया में भारत समर्थक वातावरण तैयार करना चाहिये क्योंकि युद्ध की दृष्टि से इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन के भारत विरोधी प्रचार के कारण भारत का महत्व प्रायः समाप्त हो गया है। सरकार को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करनी चाहिये।

यह हमारे लिये खेद की बात है कि मलयेशिया की परीक्षा की नाजुक घड़ी में हम ने बबसी का रवैया अपनाया है जबकि ब्रिटेन द्वारा स्वेज में सेनायें भेजते समय हम ने ब्रिटेन की इस कार्यवाही का स्पष्ट रूप से विरोध प्रकट किया था।

अभी चीन द्वारा प्रकाशित एक मानचित्र में 12 राष्ट्रों को चीन के पिट्ठू राष्ट्र दिखाया गया है जिनमें भारत भी एक है। सरकार को चीन की इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना चाहिये। हमारे लिये यह दुःख की बात है कि जिन राष्ट्रों का संसार में बड़ा महत्व है, उनके साथ अपने सम्बन्धों की परवाह न करके सरकार चीन और रूस के पारस्परिक विवादों में अनावश्यक रूप से रुचि दिखा रही है।

अन्त में सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी नीति में दृढ़ता के लिये एक ठोस नीति अपनाये।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : स्वर्गीय श्री नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुटों से अलग रहने वाली नीति अद्वितीय है। संसार में जब भी तटस्थता की नीति का इतिहास लिखा जायेगा श्री नेहरू का नाम सर्वप्रथम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

हम नये विदेश मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह, का स्वागत करते हैं, विशेषतः इसलिये कि उन पर किसी अन्य मंत्रालय का भार नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि वह प्रभावशाली तथा स्वाध्यायी व्यक्ति हैं। आशा है अनेक समस्यायें जो अब तक हल नहीं हो पाई हैं वे हल हो जायेंगी।

हम प्रधान मंत्री की इस घोषणा का स्वागत करते हैं कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है। हमें स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुटों से अलग रहने वाली नीति पर सही तरीके से अमल करना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों का यह सुझाव देना कि हमें अमरीकी गुट में शामिल हो जाना चाहिये देश के लिये खतरनाक है। यद्यपि हम उन सभी देशों से सहायता ले सकते हैं जो हमें बिना किसी राजनीति शर्तों के सहायता देना चाहते हैं, किन्तु हमें अपने स्वतंत्र रुख को नहीं छोड़ना चाहिये और पश्चिम तथा पूर्व के इशारों पर नहीं चलना चाहिये।

हम रूस के साथ किसी भी मूल्य पर झगड़ा मोल नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह भारत के लिये वर्तमान तथा भविष्य दोनों में घातक सिद्ध होगा। हमें उन देशों की अपेक्षा, जो भारत से 5,000 या 10,000 मील दूर हैं, अपने पड़ौसी शक्तिशाली देश पर अधिक विश्वास रखना चाहिए। यह सही है कि अमरीका एक विशाल प्रजातंत्र देश है। वहां पर सारे कार्य प्रजातंत्रीय ढंग से होते हैं किन्तु हमें अपने मूल सिद्धान्तों तथा आदर्शों को छोड़ कर उसका अनुसरण नहीं करना चाहिये। हमें अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रह कर आत्मविश्वास से अपनी शक्ति बढ़ानी

चाहिए। यदि हम निश्चय कर लें कि हम स्वयं अपनी शक्ति से चीनियों को अपनी भूमि से खदेड़ देंगे तो यह कोई मुश्किल कार्य नहीं होगा। हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे।

मेरा सुझाव है कि वैदेशिक-कार्य (एक्सटर्नल एफयर्स) मंत्रालय का नाम बदल कर विदेश मंत्रालय (फारेन मिनिस्ट्री) किया जाये।

यह प्रसन्नता की बात है कि विदेश मंत्रालय में महा सचिव के पद को समाप्त किया जा रहा है।

ब्रिटेन के मजदूर दल के नेता श्री विल्सन ने घोषणा की है कि यदि आगामी चुनावों में उनके दल को सफलता मिली तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ब्रिटेन का मंत्रिमंडल के स्तर का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व भी कम से कम मंत्रिमंडल के स्तर के व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिये।

किसी विदेशी सरकार द्वारा हमारे राष्ट्रपति के राजकीय दौरे में दिये गये भाषण की, विशेषत: जब कि उन्होंने अपना भाषण सही ढंग से हमारी नीतियों के अनुसार दिया है, प्रतिलिपि मांगना उचित नहीं है।

हमारे राष्ट्रपति जब अमेरिका के दौरे पर गये थे तो वहां की 'लाइफ' तथा 'टाइम्स' जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में उनकी यात्रा का उल्लेख करना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। यह वहां के प्रजातंत्र का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। अनेक भारतीय दीर्घकाल से अफ्रीकी देशों में रह रहे हैं किन्तु वहां पर उनका कोई प्रभाव नहीं है जब कि आज चीन इन अफ्रीकी देशों में अपना इतना प्रभुत्व जमा चुका है जितना कि रूस, अमरीका अथवा ब्रिटेन भी वहां नहीं जमा पाये हैं। चीन इन देशों में हमारे विरुद्ध जहर उगल कर घातक शत्रु सिद्ध हुआ है।

चीनी आक्रमण के समय 2,300 सैनिक मारे गये और 3,942 सैनिकों को बन्दी बनाया गया। किन्तु अभी तक 770 भारतीय सैनिकों का कोई पता नहीं है। सरकार को इन सैनिकों के बारे में बताना चाहिये।

चीन ने जेनेवा "कनवेन्सन" पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी इसका उल्लंघन किया है। उसने बन्दी सैनिकों को गोलियां मार दीं किन्तु हम चुप रहे। हमारी प्रचार व्यवस्था निकम्मी है। हमें चीन के कारनामों का पर्दा फाश करने के लिये अपनी प्रचार व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिये।

अफ्रीका के लोग अपेक्षित हैं। हमें उनके बारे में विश्व संगठनों के सामने मामला पेश करना चाहिये। हमें कुछ देशों के दबाव में आकर अपने आदर्शों का त्याग नहीं करना चाहिये। यदि हम ने दलितों, शोषितों तथा काले वर्ण के लोगों के हितों की रक्षा करने का आदर्श छोड़ दिया तो हम संसार में अपना स्थान गवां बैठेंगे और पाकिस्तान जैसा छोटा देश भी उस स्थान को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की विदेश नीति पर सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। स्वतंत्र पार्टी के सदस्य चाहते हैं कि हम अमरीकी गुट में शामिल होकर ही सुरक्षित रह सकते ह। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी तटस्थता की नीति पूर्ण सफल रही है क्योंकि इस नीति के कारण हमें रूस और अमरीका,

[श्री उमानाथ]

दोनों देशों से सहायता मिल रही है। किन्तु मेरे विचार से दोनों देशों से सहायता प्राप्त करना तटस्थता की नीति की सफलता की कसौटी नहीं है। क्योंकि जो देश किसी गुट में शामिल है उन्हें भी दूसरे गुट वाले देश सहायता दे रहे हैं। तटस्थता की नीति की वास्तविक कसौटी यह है कि अफ्रीकी–एशियाई देशों पर हमारी नीति का क्या प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव अच्छा नहीं है। अमरीका द्वारा तेनकिन की खाड़ी में को गई कार्रवाइयों के प्रति हम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं जब कि हमने ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाओं का स्वेज के मामले में हस्तक्षेप करने का विरोध किया था। ब्रिटेन और अमरीका हिन्द महासागर में अपने अड्डे बनाना चाहते हैं किन्तु हम इस मामले में भी चुप बैठे हैं। इस से स्पष्ट हो जाता है कि अब हमारी नीति गुटों से अलग रहने वाली नहीं रह गई है। इस पर अमरीकी गुट का प्रभाव है।

हम अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिये क्या कर रहे हैं। हमारे देश से गैर-सरकारी उद्योगपति उन देशों में जाते रहे हैं परन्तु इस का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला चूंकि वह वहां पर मुनाफाखोरी को लक्ष्य बना कर जाते रहे हैं और उन का उद्देश्य उन का शोषण करना रहा है। इस प्रकार की नीति का अनुसरण करने से हमारे उन देशों से सम्बन्ध सुधर नहीं सकते।

हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री द्वारा पड़ौसी देशों का दौरा करना एक सराहणीय बात है। श्री लंका और बर्मा में भारतीयों की समस्या का हल होना ही चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इन समस्याओं के समाधान के लिये निरन्तर प्रयास करते रहेंगे।

चीन के साथ जो सीमा सम्बन्धी विवाद है उसका सैनिक हल नहीं हो सकता इसलिये उसे राजनीतिक स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए। पहले हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि लद्दाख में उन की सात चौकियों के बारे में यदि चीन कोई कार्यवाही करने में पहल करता है तो भारत उस पर विचार करेगा। चीन ने इस विषय में पहल नहीं की और उसके पश्चात स्वर्गीय प्रधान मंत्री के उत्तराधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि चीन उन सात चौकियों को हटा लेता है तो भारत अग्रेतर बातचीत करने के लिये तैयार हो जायेगा। इस मामले में हम ने पहल की जो एक प्रशंसनीय बात है चूंकि न चीन और न ही हित यह चाहते हैं कि इस बारे में कोई अग्रेतर कार्यवाही हो। चीन का जो उद्देश्य था वह उसे पूरा कर चुका है। इसलिये मैं समझता हूं कि भारत को इस स्थिति के समाधान के लिये कूटनीतिक सूत्रों के जरिये प्रयत्न बराबर करते रहना चाहिए। आज हमारे देश में भी सामान्यतः यही विचारधारा बन गयी है कि भारत को किसी तरह इस समस्या के समाधान के लिये पहल करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस मामले में वर्तमान तरीके से पहल करना देश के लिये अहानिकर और अहितकर बात नहीं होगी।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : चीन पाकिस्तान संधि के समुचित मूल्यांकन से ही हम इस निश्चय पर पहुंच सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान से हम समझौता करें या न करें। चीन और पाकिस्तान इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, तुर्की और ईरान से मिले हुए हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी का उद्देश्य अमरीका को पश्चिम यूरोप से खदेड़ना है परन्तु यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक रूस को दक्षिण पूर्वी यूरोप से नहीं निकाल दिया जाता और

रूस को वहां से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसे हार्टलैंड से न निकाला जाय जो बात इन पश्चिमी देशों के बस की नहीं है । तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का महासंघ बन जाने से मध्य एशिया में रूस के सीमा क्षेत्र के लिये खतरा पैदा हो जायेगा। भारत और चीन एवं पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा चल रहा है उस का समाधान तभी हो सकता है यदि रूसी सेनायें अक्साई चिन में आ जायें। जो लोग यह कहते हैं कि अक्साई चिन को चीन के हवाले कर दिया जाय उन की यह धारणा है कि रूस भारत और चीन दोनों का समान रूप से शत्रु है और इस कारण भारत सरकार द्वारा रूस और चीन की सीमाओं पर चीनी फौजों के जमाव के लिए अनुमति दी जानी चाहिए।

अक्साई चिन में चीन ने जो कार्यवाही की उस को कई देशों ने इसलिये आक्रमण का नाम नहीं दिया चूंकि अराजकता के संसार में सारे देश शक्ति पर आधारित नीतियों के होने वाले परिणामों के कारण एक दूसरे के शत्रु हैं। चूंकि चीन और रूस में मतभेद हो रहे हैं इसलिये चीन और अमरीका में मैत्री हो जाने की संभावना पैदा हो गयी है। कुछ देश तो अक्साई चिन के मामले में हमारा समर्थन इसलिये नहीं करते चूंकि हम अमरीकी गुट में शामिल नहीं हैं और कुछ इसलिये कि वह चीन से डरते हैं। अन्य देशों को यह अधिकार नहीं है कि वह हमारी सीमाओं के विषय में निर्णय दें

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपूर) : हमारी विदेश नीतियों के निर्माता हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे और मैं माननीय सदस्यों को स्मरण कराता हूं कि उन की विचार प्रणाली अपरिवर्तनशील नहीं थी । स्वयं गुटों से अलग रहने के सिद्धान्त का पालन करते हुए भी उन का इस विषय म जो दृष्टिकोण था वह जड़ता से बहुत दूर था और वह व्यवहारिकता की दृष्टि से अपने सिद्धान्तों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिये तैयार रहते थे।

{श्री खाडिलकर पीठासीन
Shri Khadilkar in the chair}

इसलिये मैं चाहता हूं कि हमें गुटों से अलग रहने की नीति को एक स्थायी सिद्धान्त नहीं मान लेना चाहिए। गुटों से अलग रहने की नीति भय के कारण नहीं अपनाई जानी चाहिए। परन्तु जिस तरह हम इस नीति का अनुसरण कर २ हैं भस से कमजोरी नजर आती है । यदि इसी तरह इस नीति का अनुसरण किया जाता रहा तो यह गुटों से अलग रहने के सिद्धान्त पर चोट लगेगी और यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों में एक सक्रिय शक्ति के रूप में नहीं रह जायेगा। अब समय आ गया है जब हमें इस नीति का यथार्थ की दृष्टि से पुनर्विलोकन करना होगा।

मुझे ऐसा लगता है कि गुटों से अलग रहने की नीति सम्बन्धी सिद्धान्त में आजकल कोई शक्ति नहीं रही। यह बात मिस्र में होने वाले सम्मेलन से स्पष्ट हो जाती है जिन में भिन्न भिन्न मतों के राष्ट्र भाग लेंगे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि गुटों से अलग रहने के या तटस्थता के सिद्धान्त के प्रति हम एक नवीन रुख अपनायें। यह एक ऐसी शक्ति समझी जानी चाहिए जिस से गरीबी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाय, अल्प विकसित देशों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय । अन्यथा हम उस नेतागीरी का दावा नहीं कर सकते जो हम अब तक इस विशेष मामले में करते रहे हैं।

[श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

राष्ट्रमंडल सम्मेलन की विज्ञप्ति में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण का उल्लेख न किया जाना एक आपत्तिजनक बात थी । चीन द्वारा जो भारत के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है उस के बारे में जवाबी कार्यवाही नहीं की जा रही है । भारत को चाहिए कि वह चीन के प्रचार के प्रति सही तौर पर प्रतिक्रिया दिखाये अन्यथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की स्थिति को ठीक तौर पर नहीं समझा जायेगा।

चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिये भारत का जो दृष्टिकोण रहा वह अनुचित एवं अवैध है। इसलिये उस में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

विदेशों में भारतमूलक लोगों के हितों का ध्यान भारत सरकार ने अब तक नहीं रखा है। उन की दयनीय दशा को देखते हुए भारतीय कूटनीतिक साधनों को पूर्णतया प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने चाहिएं।

श्री उस्मान अली खां (अनन्तपुर) : श्री रंगा ने तटस्थता की नीति की आलोचना की परन्तु मैं उन से सहमत नहीं हूं । तटस्थता ही वर्तमान परिस्थितियों में एकमात्र रास्ता है जिसे हम अपना सकते हैं। हमारी नीति का दूसरा सिद्धान्त शान्ति की स्थापना के लिये प्रयत्न करना है। आज संसार भर में लोग महसूस करते हैं कि युद्ध से सारी मानवता का नाश हो जायेगा और युद्ध से संसार को बचाना ही चाहिए। इसलिये हमारी शान्ति की नीति सही है और परिस्थितियों के अनुकूल है। परन्तु शांति तभी स्थापित हो सकती है यदि तटस्थता की नीति को अपनाया जाय।

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन
Mr. Speaker in the chair }

हमारी तटस्थता की नीति के कारण संसार में विभिन्न स्थानों में तनाव कम हुआ है। इसी नीति पर चलने के कारण हम संसार के दो भिन्न गुटों के देशों से मैत्री भाव स्थापित किये हुए हैं और दोनों गुटों के देशों से आर्थिक एवं सैनिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। रूस और अमरीका दोनों ही हमें सहायता देने के लिये तत्पर हैं।

श्री रंगा ने कहा कि गुटों से अलग रहने की नीति एक सक्रिय नीति नहीं है। परन्तु गुटों से अलग रहने की नीति तटस्थता की नीति से भिन्न है। गुटों से अलग रहने की नीति पर चलते हुए हम समस्याओं को गुणावगुणों के आधार देखते हैं और अपना स्वतंत्र निर्णय करते हैं। हमारी यह नीति किसी देश के विरुद्ध न हो कर विभिन्न राष्ट्रों में मित्रता और सद्भावना को बढ़ाने के लिये है।

रूस और अमरीका में तनाव पूरे तौर पर समाप्त नहीं हुआ है। निःशस्त्रीकरण के सिलसिले में भी प्रगति अधिक नहीं हुई है । इसलिये हमें अपनी नीति का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि यह देश एक दूसरे के अधिक निकट आ भी जाते हैं तब भी हमें अपनी गटों से अलग रहने की नीति का अनुसरण करते रहना चाहिए।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन की विज्ञप्ति में भारत–पाकिस्तान की समस्याओं सम्बन्धी जो निर्देश किया गया है उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। वह निर्देश अनावश्यक चाहे हो परन्तु आपत्तिजनक नहीं हो सकता। यह बात हमारे वित्त मंत्री ने भी कही है। पाकिस्तान द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है कि उन्हें उस सम्मेलन में सफलता मिली बिलकुल गलत है। वास्तव में वह विज्ञप्ति में काश्मीर संबंधी निर्देश के सम्मिलित कराने में असफल रहे और अब अपनी झेंप को छिपाने के लिये वह गलत बातें कर रहे हैं। अब यदि हम उस विज्ञप्ति पर आपत्ति करते हैं तो यह बात पाकिस्तान के हित में होगी। परन्तु कुछ लोगों का इस बारे में भय करना ठीक ही है कि अगले वर्ष उस विज्ञप्ति में हमारी समस्याओं का और अधिक निर्देश सम्मिलित न किया जाय। सरकार को ऐसे प्रयास का विरोध करना चाहिए।

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : श्री जवाहरलाल नेहरू के देहान्त की घटना हमारे लिये इसलिये विशेष तौर पर अशुभ थी कि उन की नीतियों के कारण संसार भर में हमारे देश को एक विशेष सम्मान प्राप्त हुआ था और उन के देहान्त से हमारे देश के भविष्य के बारे में उत्सुकता पाई जाती है। और राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में जो स्थिति रही उस से सब लोग यह सोचने लगे हैं कि क्या हम अपने उस सम्मान को बनाये रखने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है कि मिस्र में होने वाले सम्मेलन में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री क्या पार्ट अदा करते हैं। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का भार एक भिन्न मंत्री के हाथ में होने से जो कमियां पहले थीं वह अब दूर होनी चाहिएं। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि नागालैंड शांति वार्ता असफल रहती है जैसी कि शंका पैदा हो गयी है तो चीनी सेना या उन के स्वयंसेवक वहां अपनी गतिविधियां जारी करेंगे।

छटे यह कि पाकिस्तान और चीन के साथ जो हमारा झगड़ा है उसकी वही स्थिति है जोकि पहले थी।

वैदेशिक-कार्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम भूतपूर्व प्रधान मंत्री की नीति पर ही चलेंगे। उन्होंने उस नीति के दो मूल सिद्धान्तों, अर्थात्, तटस्थता और शांतिपूर्ण ढंग से रहने को भी दोहराया है। बहुत कम व्यक्ति हैं इस देश में जो इस नीति का विरोध करते हैं। परन्तु उस नीति को क्रियान्वित करने में आपस में मतभेद है। मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री की इस बात से भी सहमत हूं कि इस नीति में हमें बड़ा लाभ पहुंचा है। मैं उनको इस बात के लिये बधाई भी देता हूं कि कार्यभार संभालने के शीघ्र पश्चात् उन्होंने पड़ौसी देशों का दौरा किया। हमें पड़ौसी देशों के साथ अपनी समस्याओं को मित्रतापूर्वक सुलझाना है।

हमारा पड़ौसी देश चीन आज हमारा सब से बड़ा शत्रु है। हमने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार किया है। हमने यह भी कहा है कि यदि चीन लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र से अपनी 7 चौकियां हटा ले फिर भी हम उसके साथ बात चीत करने को तैयार हैं। चीन ने इन सब बातों को ठुकरा दिया है। परन्तु हमें हताश नहीं होना चाहिए। इस में संदेह नहीं कि हमें अपनी अखण्डता की रक्षा करनी है। परन्तु हमें इसके लिये समस्त विश्व की बातों को ध्यान में रखना है। और यह समस्या केवल राजनीतिक तरीके से ही सुलझाई जा सकती है सैनिक तरीके से नहीं।

[श्री स्वैल]

यह समझना गलत होगा कि चीन जैसा अहंकारी देश आसानी से हमारी शर्तों को मान लेगा। चीन के सामने भी कुछ मुशकिलें खड़ी हो गई हैं। चीन यह चाहता है कि एक बड़ा राष्ट्र होने के नाते उसे भी संयुक्त राष्ट्र में स्थान मिलना चाहिये जो उसे नहीं मिला है। कुछ अन्य भी बातें हैं जिनके कारण चीन विश्व की समस्याओं पर अपनी नीति पर पुनः विचार करने के लिये मजबूर हो गया है। हाल ही में टोंकिगं खाड़ी की घटना में चीन को नीचा देखना पड़ा था। फिर रूस के साथ भी उसके मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। चीन और रूस के राज्यक्षेत्रीय झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। चीन को भी अब इस बात का अहसास हो रहा है कि वह अधिक समय तक विश्व में शरारत नहीं कर सकता और अपने पड़ोसियों पर आक्रमण जारी नहीं रख सकता। हमें इस स्थिति से लाभ उठाना चाहिए। अब समय आ गया है जब हमें एशिया की एकता के लिये किसी संगठन का निर्माण करना चाहिये और उसमें चीन को भी शामिल करना चाहिये। दोनों देशों के बीच समस्या की बारीकियों पर इसी प्रकार के संगठन में विस्तारपूर्वक चर्चा की जा सकती है।

Shri Bade (Khargon) : At the outset I would like to congratulate the Minister of External Affairs for his trip to the neighbouring countries. Although conflicting opinions are held regarding this tour, but none-the-less that was a step in the right direction.

It appears that the foreign policy of late Shri Nehru was based on foresightedness. At that time it was decided to follow the policy of non-alignment in respect of the two blocks. But now we see that great differences have emerged in the Communist block between China and Russia and it is high time to exploit this situation for our benefit. On the other hand Britain, Australia, Canada and West Germany have undertaken to give aid to China to which France is opposed. This shows that even in the Western Block differences are coming up.

Previously the Western block wanted to segregate China and opposed to this. We pleaded for china's membership of the Security Council. Notwithstanding this China committed aggression our country. At that time our former Prime Minister had said that non-alignment means that we will not align with other countries, but for our defence we will procure arms from any country prepared to give that. I want to ask my Communist friends if it was not a deviation at that time. The present Prime Minister has also said that we will follow the policy of late Shri Nehru but at the same time we will effect changes in our policy according to the changing conditions of the time. The need for elasticity in politics can never be overemphasised.

At present there is the conflict between China and Russia. Today China is encroaching in South East Asia. We have to be vigilant about it and check these activities. For this we should call in Delhi the representatives of all those countries which are opposed to China and then formulate a combined policy.

But we have also got to be alert about the new friendship between China and Pakistan. We must not ignore the fact that for this friendship if America has not given explicit consent to Pakistan the former must have at least acquiesced for this.

Pakistan says that the people of Kashmir should be given the right of self determination. In reply to this we should raise the question of Pakhtunistan and ask Pakistan why she is not reluctant to give this right of self determination to the people of Pakhtunistan.

As regards the question of Nagaland, about 500 Nagas are being imparted military training in Pakistan. Both Pakistan and China are backing Nagas and therefore both are our enemies. What our External Affairs Minister should do is to make friends with the enemy countries of China and seek their help and co-operation.

Our Defence Policy should be in harmony with our Foreign Policy. We should make our country strong enough and then adopt such a foreign policy as would overpower China and for this purpose we should even go to the extent of making friends with Pakistan, but not at the cost of Kashmir.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : There are two groups in the world politics. Sometimes we worry which group we should join. There is a possibility that both the groups may come closer. But their relations can become bitter also. I am of the opinion that Government of India should do the earnest efforts to bring United States of America and the Soviet Russia closer to each other. Government should make a move in the direction of convening a summit conference of the two countries in order that like this the biggest problem facing us may be solved. The biggest problem is the removal of poverty from the world. I would like to urge that they should form an important aspect of our foreign policy.

American is also trying to remove poverty wherever it exists in America. What we find today is that questions which ha dthe backing of power ful nations are being effecting brought before the world. The cases like Tibet did not come before the world, as there was no big or powerful country to take up their matter. The United States and U.S.S.R. should take up such cases. China is gradually consolidating her position in small countries.

I want also to refer to Nepal. After the dismissal of the responsible Government the situation is developing in such a way which might any day take a serious turn. I might say that if we really like that people in the world should respect us, we should adopt certain responsible and revolutionary policy. There was a question of bringing about some equality between the officers and other ranks in our defence forces. We did not pay much attention to it while it is an important matter for consideration.

In Kashmir also the situation is very grave. The Government had raked up certain matters without giving proper thought to the solution of various problems that might arise. I am of the opinion that it is not a proper policy.

I also like to state that U.S.A. and U.S.S.R. should not try to interfere in the internal affairs of any country. They should try to conduct their foreign policy in such a way that no country should have the complaint of interference. We find that Russian money goes to some political elements in this country. I urge upon the minister for external affairs and the Prime Minister to be on the guard lest the situation may become grave.

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई—उत्तर) : मैं श्री स्वर्ण सिंह जी को वैदेशिक कार्य-मंत्री बनने पर बधाई देता हूं । वह और प्रधान मंत्री में तटस्थ देशों के सम्मेलन में भी जाने वाले हैं । विश्व की

[श्री कृष्ण मेनन]

समस्त स्थिति के बारे में इस अल्प समय में तो सारी बातें नहीं कही जा सकतीं । परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि हम किसी भी गुट में सम्मिलित न होने वाली नीति पर कायम हैं । मैं ने तो कई बार कहा है कि हमारे जैसे लोकतंत्रीय देश में यह सब से अच्छी नीति है । हम चाहते हैं कि संसार में शांति हो और उसके रास्ते की कठिनाइयों को हटाया जाय । आजकल हमारे पड़ौसियों के साथ सम्बन्धों की बातचीत चल रही है । चीन और पाकिस्तान की बात है । मेरा निवेदन यह है कि पाकिस्तान के साथ निपटने का केवल एक ही अंग है कि उसके भारत पर किये हुए हमलों को समाप्त करवाया जाय । उसे वह ढंग बताये जायें जिससे कोई राष्ट्र सभ्य बन कर रह सकता है । मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि काश्मीर का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और हमें इस मामल में बहुत सतर्क रहना चाहिए । यदि इस दिशा में हम तनिक भी शिथिल हुए तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जायेगी । पाकिस्तान सम्भव है कि 1947 वाली स्थिति को पुनः पैदा करने का प्रयत्न करे और कहे कि वह काश्मीर में भारतीय अत्याचार से अपने धर्मबन्धुओं को मुक्त करने आया है । इस तरह हमारे ऊपर एक और आक्रमण हो जायेगा । परन्तु संसार को यह बात मानने नहीं दी जायेगी कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया है । उल्टा सयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे पर यह आरोप लगाया जायेगा कि हमने उन पर आक्रमण किया है । वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान ने हमारी 40,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर रखा है । गत 12 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब दोनों देशों के बीच शांति हुई हो ।

दूसरी समस्या हिन्द चीनी की है । मैं इस सारी समस्या के विस्तार में नहीं जाना चाहता । माननीय विदेश मंत्री ने ठीक कहा है कि इस को सुलझाने के लिए जनेवा के 14 राष्ट्रों का सम्मेलन बुला लिया जाय । मेरा निवेदन है कि हम इस दिशा में काफी उत्तरदायित्वपूर्ण काय कर रहे हैं । हमने हिन्द चीनी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, वैसे मामलों को सुलझाने के लिए 1954 से कुछ न कुछ होता ही रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के सभापिति होने की स्थिति में न्यायिक दृष्टि से यह देखना है कि इस क्षेत्र में आक्रमणकारी कौन है । आयोग को यह देखना है कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई बात न हो जिससे विश्व शांति को खतरा महसूस किया जा रहा है ।

आज के समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि अमरीका के दूतावास ने राष्ट्रपति के उस भाषण की प्रति मांगी है जोकि उन्होंने रूस में दिया है । और वे इस भाषण से बहुत नाराज हैं । मेरे विचार में यह बात हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमान की बात है; यह उचित समय है कि हमें इस प्रकार की बातों का डट कर मुकाबला करना चाहिए । वैसे यह अच्छी बात है कि हमारे राष्ट्रपति ने हमारी सामाजिक न्याय की नीति को स्पष्ट किया और यह भी बताया कि हम साम्राज्यवाद के विरोधी हैं । मेरा निवेदन है कि यह ठीक है कि हम गांधीवादी राष्ट्र हैं परन्तु इसका यह मतलब कभी भी नहीं है कि हम हर हालत में शान्तिप्रिय हैं । दूसरा हमें यह भी ध्यान रखना है कि साम्राज्यवाद आज भी एक न एक रूप में उभरने का प्रयत्न कर रहा है । मेरा मत यह है कि जब तक संसार में दो गुट बने रहेंगे, और प्रत्येक की संसार को नष्ट करने की क्षमता बनी रहेगी, तो खिचाव और तनाव रहेगा । हमारे लिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम दोनों गुटों से अलग रहें । हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस प्रकार के विश्व में रह रहे हैं जिसमें बड़े ही विनाशकारी तत्व विद्यमान हैं और इस तरह की परिस्थिति में प्रत्येक देश का यह कर्तव्य है कि वह तनाव को कम करने की दिशा में यथाशक्ति सहयोग प्रदान करे ।

हिन्द महासागर में संचार चौकियां बनाने की बात की ओर विदेश मंत्री ने इशारा किया है। इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें वह कुछ नहीं बना सकते। वैसे यह सब पुराने अंग्रेजी राज की याद है। ये हिन्द महासागर में छोटे छोटे द्वीप हैं। यदि हमें यह बताया जाता है कि वे सब संचार केन्द्र हैं और उनके बारे में हमें चिन्ता नहीं करनी चाहिए तो मेरा निवेदन है इस तरह के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। उत्तरी अट-लांटिक समझौता संगठन एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में चालू किया गया था परन्तु आज उसकी क्या स्थिति है यह संसार को पता है। मिस्र पर जो हमला हुआ था उसकी भी इसी प्रकार की पृष्ठभूमि है। अतः मेरा निवेदन है कि आज के 1964 के युग में यह कहना कि वहां कुछ रेडियो और संचार केन्द्र बन रहे हैं विश्वास के योग्य नहीं है,। यह सब साम्राज्यवाद को पुनः जीवित करने के प्रयास हैं।

हमारी विदेश नीति के बारे में समाचारपत्रों में और इस सदन में यह विवाद रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं। जब तक कोई चीज़ बनी रहेगी उसमें परिवर्तन तो होंगे ही, परन्तु आधारभूत परिवर्तन नहीं होने चाहिये। सम्बन्धों के समायोजन के लिये परिवर्तन किये जाते हैं। हमारे देश की नीति अन्य देशों के साथ मित्रता की नीति है जिसे मोटे तौर पर गुटों से अलग रहने की नीति कहा जाता है। यह अच्छा होता यदि प्रारम्भ से हम ने अपनी नीति को यह नाम दिया होता, परन्तु यह बाद में किया गया। जब हम पर अन्य लोगों ने यह तानाकशी की कि हम अभी तक "तटस्थ" हैं जब तक कि कोई मुसीबत हमारे गले नहीं पड़ती तो फिर हम ने यह कहना प्रारम्भ किया कि हम "तटस्थ" नहीं हैं, क्योंकि तटस्थता तो दो देशों के बीच वास्तविक युद्ध की स्थिति में होती है, हम तो दो सशस्त्र गुटों से अलग हैं। जब तक संसार में दो ऐसे गुट हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता संसार को नष्ट करने की है तो इसके लिये सन्तुलन की स्थिति भी चाहिये। हमारे लिये इस स्थिति में यह आवश्यक है कि हम गुटों से अलग रहें क्योंकि इसका अर्थ होगा कि हमारा देश शान्तिप्रिय है।

गत कुछ वर्षों से एक ओर तो चीन और दूसरी ओर फ्रांस अपने को आणविक शक्ति से सम्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील हैं। गुटों से अलग रहने की अपनी नीति को अपना कर हम हथियारों की होड़ के पक्ष में अपना प्रभाव नहीं डालते। आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जिसमें देशों में विनाश की भारी क्षमता है। आज के औसत बम की विनाशकारी क्षमता की तुलना में हिरोशिमा पर डाले गये बम की क्षमता केवल 1/1000 है। एक प्रमुख अमेरिकन वैज्ञानिक के कथनानुसार आणविक युद्ध के प्रथम कुछ घंटों में ही विपक्ष के लगभग आठ करोड़ पचास लाख व्यक्तियों का विनाश किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक देश का कर्तव्य यह हो जाता है कि वह संसार के देशों के बीच तनाव की स्थिति को कम करने के लिये अपना पूर्ण सहयोग दे, चाहे अपनी उसकी राष्ट्रीय नीति कुछ भी क्यों न हो।

गुटबन्दी से दूर रहने की हमारी नीति का दूसरा पहलू यह है कि गत दस वर्षों में हमारा देश उन देशों में से रहा है जिन्हें अमेरिका और रूस दोनों ने अपने अपने विश्वास में लिया है और हमारे साथ चर्चा की है, दोनों पक्ष हमें अपना मत इस विश्वास पर बताते रहे हैं कि हम उसे दूसरे पक्ष को नहीं बतायेंगे। इसी से हमने कोरिया और हिन्दचीन में अच्छा कार्य कर दिखाया है और संयुक्त राष्ट्र की बहसों में निरस्त्रीकरण के लिये अपना सहयोग दिया है। इसके परिणामस्वरूप ही जेनेवा की अठारह राष्ट्रों की समिति बनी। आणविक अस्त्रों के परित्याग

[श्री कृष्ण मेनन]

पर जोर देने के लिये संसार के शक्तिसम्पन्न देशों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव वहां पर है ।

आर्थिक क्षेत्र हमारी सरकार ने आर्थिक संगठन के साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभाव से अपने को दूर रखा है जोकि गाट करारों के रूप में हैं, परन्तु खेद है कि इस मामले में हम अन्य देशों से पीछे थे । वे देश सदा से अपने को इस प्रकार संगठित करने का प्रयत्न करते रहे हैं—जैसे कि अब साझा बाज़ार के रूप में—कि निर्धन देश और निर्धन हो जायें । बड़ी पश्चिमी शक्तियों के विरोध के बावजूद भी अन्त में संयुक्तराष्ट्र विश्व सम्मेलन की बात से सहमत हो गया क्योंकि गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों की संख्या अधिक थी । साम्राज्यवादी शक्तियों से इस प्रकार अपने सम्बन्ध को तोड़ने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये ।

मिस्र में होने वाले तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन में 56 राष्ट्र भाग लेंगे और एक नई बात वहां पर यह होगी कि 10 लेटिन अमरीका के राष्ट्र भी उसमें भाग लेंगे और हमें नहीं भूलना चाहिये कि वे 'मनरो सिद्धान्त' पद्धति का अनुसरण करते हैं और इसके बावजूद भी वह सम्मेलन में भाग लेंगे ।

गुटों से अलग रहने की नीति अब एक ऐसी नीति नहीं है जिसका सम्बन्ध मुख्यतया भारत से ही हो । अब इस नीति को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक महत्वपूर्ण देन के रूप में देखा जाता है । शस्त्रास्त्रों के निर्माण के क्षेत्र में प्रत्येक देश अन्य देशों से अधिक सम्पन्न होने का प्रयत्न कर रहा है । अब स्थिति यह है कि विध्वंसकारी शक्ति का बड़े पैमाने पर निर्माण हो चुका है । विभिन्न स्थानों पर छोटी मोटी घटनायें होती रहती हैं जैसे क्यूबा में या वियतनाम में हुईं । और यह भी हो सकता है कि संयोग से किसी बम का विस्फोट हो जाये । उस स्थिति में दूसरा पक्ष चुपचाप नहीं बैठ सकेगा, उसे भी बम का प्रयोग करना पड़ जायेगा और युद्ध छिड़ जायेगा ।

इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा देश अन्य देशों के साथ मिल कर यह प्रयत्न करता रहा है कि देशों के बीच हथियारों की होड़ समाप्त हो जाये । आज स्थिति यह है कि एक ओर चीन और दूसरी ओर फ्रांस और जर्मनी ने आणविक शक्ति सम्पन्न देश होने की धमकी दी है । जर्मनी को पश्चिमी आणविक क्लब में सम्मिलित करने का विचार किया जा रहा है अर्थात् समस्त नेटो राष्ट्रों को आणविक अस्त्रों का वितरण इस प्रकार किया जायेगा । सोवियत संघ इसका घोर विरोध करेगा क्योंकि 20 वर्ष पहिले जर्मनी ने उनका बहुत विनाश किया था । जर्मनी के आणविक अस्त्रों से सज्जित होने के सम्बन्ध में अमेरिका और रूस के बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता । यही कारण है कि चीन भी आज निडरतापूर्वक कह रहा है कि वह अणु बम बना सकता है तथा उसके लिये प्रयत्नशील है । इस समस्या का हल दो प्रकार से किया जा सकता है । एक तो यह कि दो बड़ी शक्तियों रूस और अमेरिका में से एक अथवा दोनों ही मिलकर चीन के विरुद्ध आणविक अस्त्रों का प्रयोग करें । परन्तु यह उपचार तो रोग से भी अधिक बुरा सिद्ध होगा क्योंकि चीन के विरुद्ध इसके प्रयोग द्वारा समस्त संसार का विनाश नहीं किया जा सकता । दूसरा उपाय यह है कि तुरन्त ही एक आणविक समझौता किया जाये । हम 1947 से इसके लिये प्रयत्नशील हैं और 1960 में लोगों ने इस बात के महत्व को पहचाना कि यदि हम पांच वर्षों के अन्दर ही निरस्त्रीकरण नहीं करते तो फिर निरस्त्रीकरण करना बहुत कठिन हो जायेगा । इसलिये, इससे पहिले कि चीन वास्तव में अणु बम का निर्माण कर पाये, संसार

के समस्त राष्ट्र, जिनमें गुटों से अलग रहने वाले राष्ट्रों का भाग अधिक महत्वपूर्ण होगा, मिलकर आणविक निरस्त्रीकरण के लिये प्रयत्न करें। हमारे विचार में इस समस्या का हल यही है कि आणविक अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये।

अब जब इस प्रकार की बातचीत होने वाली है तो हमें अपने सरकारी प्रतिनिधिमण्डल को सहयोग देना चाहिए जिससे कि संसार के लोग जान पायें कि हमारी नीति इन सिद्धान्तों पर आधारित है। राज्य के प्रमुख के रूप में हमारे राष्ट्रपति को यह बताने का अधिकार है कि हमारी विद्यमान नीति क्या है, यद्यपि वह हमारी संवैधानिक पद्धति के अन्तर्गत स्वयं कोई नीति नहीं बना सकता, अर्थात् यह है कि हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध हैं, युद्ध के विरुद्ध हैं और सोवियत संघ से हमारी मित्रता है। सोवियत संघ में हमारे राष्ट्रपति के जाने के पश्चात् जब एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा तो उन्होंने उससे दृढ़तापूर्वक कह दिया कि भारत के साथ उनकी मित्रता स्थायी है और इस सम्बन्ध में उनके मत को बदलने का प्रयत्न करना निरर्थक है।

पाकिस्तान के साथ बातचीत होने से पहिले उसने इस बात का खंडन किया है कि उसने हमारा राज्य-क्षेत्र चीन को दे दिया है और अपने समझौते की शर्तें भी बताई हैं। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र, पाकिस्तान, के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसका पक्ष में एक ओर पश्चिमी राष्ट्र हैं और दूसरी ओर चीन। पाकिस्तान और चीन के इस प्रकार मिलकर हमारे शत्रु होने के अतिरिक्त हमारा एक तीसरा शत्रु भी है और वह है रूस-चीन विवाद। उसे केवल विवाद मात्र ही नहीं कहा जा सकता जब कि एक देश दूसरे के पांच लाख एकड़ क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है; काहिरा सम्मेलन में हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री के एक अन्य प्रस्ताव की बात भी उठाई जायेगी अर्थात् यह कि देशों के बीच युद्ध न होने का समझौता होना चाहिये इसके मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि गत कुछ महीनों में रूसियों और चीनियों के बीच सीमा पर लगभग सात हजार छोटे मोटे झगड़े हुए हैं।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री की नीति कहां तक सफल रही यह तो इससे स्पष्ट हो जायेगा कि विश्व भर के लोग उनको किस भावना से देखते थे और उनके प्रति हमारे देशवासियों का कितना स्नेह था। यह कहना शोभा नहीं देता कि उन्होंने हमारी विदेश नीति में अनवधानता बरती जिसके परिणामस्वरूप एक भयानक बात हो गई। संसदीय सरकार की पद्धति में, जैसी कि हमारी है, प्रधान मंत्री का विदेश नीति के साथ एक विशेष सम्बन्ध होता है और यही बात प्रत्येक ऐसे देश में है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मुझे विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों की महत्वपूर्ण आलोचना तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के मूल्यांकन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिससे मुझे बहुत शिक्षा मिली है तथा प्रोत्साहन मिला है। अपने देश के वैदेशिक कार्यों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व मुझे लगभग दस सप्ताह पहिले ही मिला है और तभी से मैं अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के विभिन्न पहलुओं तथा पड़ौसी देशों सम्बन्धी समस्याओं का निकट से अध्ययन कर रहा हूं। इससे पहिले इस क्षेत्र में नीतियों के निर्माण के मामले में मेरा इतना निकट सम्पर्क नहीं रहा है। अतः यह वाद-विवाद मेरे लिये बहुत ही उपयोगी रहा है। इसका महत्व इसलिये भी है कि हाल ही में मैंने अपने पड़ौसी देशों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के प्रयत्न किये हैं और दूसरे यह कि यह वाद-विवाद 5 अक्टूबर से काहिरा में होने वाले गुटों से अलग रहने वाले देशों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन से पहिले हुआ है। यह बड़े संतोष की बात है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित

[श्री स्वर्ण सिंह]

करने के लिये हमने जो कदम उटाये हैं उससे सभी एकमत से सहमत हैं। काहिरा में होने वाले सम्मेलन के सम्बन्ध में जो राय प्रकट की गई हैं वह भी मेरे लिये बहुत उपयोगी हैं।

अब तक गुटों से अलग रहने की जो नीति भारत ने अपनाई है उसका निर्माण ऐतिहासिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हुआ है और यह प्रतीत होता है कि लगभग सभी लोगों ने एकमत से इसके औचित्य को स्वीकार किया है। विभिन्न शक्तिशाली गुटों के देशों से हमें अपनी अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिये और आर्थिक क्षेत्र में सहायता मिली है। अपनी इस नीति के कारण विशेषतः सोवियत रूस से तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से हमें आर्थिक क्षेत्र में सहायता f लती रही है। सोवियत रूस ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा उपकरण देकर तथा सुरक्षा परिषद् में काश्मीर के मामले में ह ारी बहुत सहायता की है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह तर्क उपस्थित किया है कि गुटों के अलग रहने की हमारी नीति की सफलता का आधार यह नहीं माना जाना चाहिये कि हमें दो शक्तिशाली गुटों के विभिन्न देशों, एक ओर अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी आदि तथा दूसरी ओर रूस आदि, से सहायता मिली हैं। यह ठीक है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिये कि हमारी गुटों से अलग रहने की नीति को अपनाने का मुख्य कारण यही है। परन्तु यदि इस नीति को अपनाने के परिणामस्वरूप हमें विरोधी विचारधाराओं वाले विभिन्न देशों और उनके लोगों की सहानुभूति मिलती है तो हमें इससे संतोष होना चाहिये तथा उसे सही समझकर हमें उसका त्याग नहीं करना चाहिये। जिस नीति का अनुसरण हम करते हैं उसके सही या गलत होने का कसौटी यह है कि संसार के अन्य लोग उसे कैसा समझते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के मापदण्ड पर यह नीति सही उतरी है क्योंकि इस हम किसी शक्तिशाल गुट के साथ बंधे नहीं हैं, क्योंकि इससे हमें कार्य स्वातंत्र्य रहा है और क्योंकि इससे हम निडरतापूर्वक सही रुख अपनाते रहे हैं। इसी के कारण हमें दोनों गुटों के देशों के लोगों को समर्थन, सहानुभूति तथा वास्तविक सहायता प्राप्त हुई है।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : क्या यह सहायता हमें इस नीति के अनुसरण के फलस्वरूप मिली है अथवा इस कारण कि वे देश इस बात से आशंकित थे कि कहीं चीन भी एक बड़ा शक्तिशाली देश न बन जाये ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुख्यतया इस नीति के अनुसरण के फलस्वरूप ही हमें दोनों गुटों के देशों से सहायता प्राप्त हुई है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : इसी के अनुसरण के फलस्वरूप हम ने अपना 14,000 वर्ग मील राज्य-क्षेत्र भी अपने हाथों से खोया है।

श्री स्वर्ण सिंह : काहिरा में होने वाले सम्मेलन को सरकार बहुत महत्व देती है और हमारा यह विश्वास है कि यह सम्मेलन विश्वशांति और समझौते की भावना को बढ़ाने में बहुत योगदान देगा। इस सम्मेलन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के 57 देश भाग लेंगे। गुटों से अलग रहने की नीति पहले पहल भारत ने अपनाई थी और फिर बाद में उसे अपनाने वाले देशों की संख्या बढ़ कर 57 हो गई है। बेलग्रेड में 1961 में हुए सम्मेलन में केवल 25 देशों ने भाग लिया था जब कि इसमें 57 देश भाग ले रहे हैं; यह संख्या संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या के आधे से भी अधिक है। काहिरा सम्मेलन में हमारा प्रतिनिधिमण्डल संसार की बदलती हुई स्थिति में गुटों से अलग रहने की नीति के औचित्य का जोरदार समर्थन करेगा।

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्तों को संहिताबद्धकरने और विश्वशांति के संवर्धन के लिये विभिन्न उपायों को खोजने, जिनमें निरस्त्रीकरण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को मज़बूत बनाने की बात भी सम्मिलित हैं, में हम सहायता करेंगे। आशा है कि सम्मेलन में उपनिवेशवाद तथा जातीय भेदभाव की बुराइयों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई जायेगी। उसमें आर्थिक विकास तथा विकासशील देशों और आर्थिक रूप से उन्नत देशों के बीच आर्थिक सहयोग की बात पर भी विचार किया जायेगा। काहिरा सम्मेलन के परिणामस्वरूप गुटों से अलग रहने की नीति को एक नई गतिशीलता मिलेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने गत राष्ट्रमण्डल सम्मेलन के पश्चात् जारी की गई विज्ञप्ति का उल्लेख किया है और इस बात की ओर संकेत किया है कि हमें इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य बने रहें अथवा नहीं।

श्री नाथ पाई : जी नहीं, सुझाव यह था कि क्या हमें ब्रिटेन को राष्ट्रमण्डल से पृथक् नहीं कर देना चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि आप यह चाहते हैं कि राष्ट्रमण्डल तो बना रहे परन्तु कोई देश विशेष, ब्रिटेन या अन्य कोई देश, इसमें रहे अथवा नहीं। दक्षिण अफ्रीका के मामले में पहिले यह बात हो चुकी है कि उसे अपनी विशेष ढंग की कार्यवाहियों के कारण इससे पृथक होना पड़ा था। अब यदि अन्य कोई देश भी इसी प्रकार करता है तो उसका भी राष्ट्रमण्डल में बना रहना कठिन हो जायेगा। राष्ट्रमण्डल का आज विकास हो रहा है। उसकी सदस्यता पहिले चन्द देशों की सदस्यता से बढ़ कर अब 19 हो गई है और 24 अक्तूबर को स्वतंत्रता प्राप्ति पर जम्बिया भी उसका एक और सदस्य हो जायेगा। काफी सोच विचार के पश्चात् हम 1949 में राष्ट्रमण्डल के सदस्य बने थे और एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों से सम्पर्क बनाये रखने की दृष्टि से हमारी इसकी सदस्यता बहुत ही महत्व पूर्ण है। इससे एक सरे की भावनाओं को समझने में बहुत सहायता मिलती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह राज्यों का कोई गुट नहीं है और न ही सदस्य देशों पर कोई बात लादा जाती है; सदस्य देश अपनी नीति तथा कार्य के मामले में स्वतंत्र रहते हैं तथा उनका पृथक अस्तित्व पूर्णतः बना रहता है। हमारा विचार है कि राष्ट्रमण्डल की यह विशेषता सर्वदा ही बनाये रखी जायेगी। चीनी आक्रमण के समय राष्ट्रमण्डलीय देशों से, विशेषतः आस्ट्रेलिया, कनाडा, मलयेशिया, न्यूज़ीलैंड तथ इंगलैंड से, जो हमें नैतिक तथा अन्य प्रकार की सहायता मिली थी वह हमें याद है तथा उसके लिये हम उन देशों के आभारी हैं। राष्ट्रमण्डल की एक मुख्य बात यह है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों के प्रधान मंत्रियों की सामयिक बैठकें होती हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा सामान्य हित के महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया जाता है। गत समय में ये बैठकें बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। आपको याद होगा कि तीन वर्ष पूर्व प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात् निरस्त्रीकरण पर एक घोषणा जारी की गई थी और यह माना गया था कि संयुक्त राष्ट्र में इस प्रश्न पर विचार के मामले में उससे बहुत सहायता मिली।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : क्या वह यह सुझाव देंगे कि भविष्य में राष्ट्रमण्डल की बैठकें भारत में हों क्योंकि हमारा देश राष्ट्रमण्डल के सदस्य देशों में सब से बड़ा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक अच्छा सुझाव है और यदि राष्ट्रमण्डल के देश इसके लिये सहमत हो गये तो हम तदनुसार कार्यवाही करेंगे।

[श्री स्वर्ण सिंह]

राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात् जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके एक वाक्य पर आपत्ति उठाई गई है। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने अपना एक वक्तव्य दिया था तथा वित्त मंत्री ने सम्मेलन से लौटने के पश्चात् संवाददाता सम्मेलन में स्थिति स्पष्ट कर दी थी । अनावश्यक ही इस वाक्य का हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि सम्मेलन में काश्मीर के बारे में कोई चर्चा की गई थी। वास्तव में हमने यह स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी है कि राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में किन्हीं दो सदस्य देशों के विवाद पर विचार नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति अय्यूब तथा प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो वक्तव्य दिये हैं उनसे यह नहीं समझना चाहिये कि उस सिद्धान्त का त्याग कर दिया गया है । हम इस मत पर अब भी दृढ़ हैं कि वहां द्विपक्षीय विवाद पर चर्चा नहीं की जा सकती तथा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वास्तव में चर्चा की भी नहीं गई थी। अब इस स्पष्टीकरण के पश्चात् यह प्रश्न बार बार नहीं उठाया जाना चाहिये क्योंकि इस प्रकार के रवैये से राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में चर्चा के बुनियादी क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारा पक्ष कमजोर होता है। जब हम ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है और अन्य किसी सदस्य देश से उसका विरोध नहीं किया है तो फिर हमें इस प्रश्न को बार बार नहीं उठाना चाहिये।

कई माननीय सदस्यों ने बर्मा तथा लंका में भारतीय उद्भव के लोगों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया। इन देशों के मेरे दौरों के परिणामस्वरूप ये समस्यायें हल नहीं हुई हैं परन्तु इसका परिणाम यह अवश्य हुआ है कि दोनों देशों की सरकारें तथा प्रभावित व्यक्ति विभिन्न कठिनाइयों तथा स्थिति की जटिलताओं को दृष्टिगत रख कर इस समस्या पर विचार करने के लिये तैयार हैं। भारत सरकार और बर्मा सरकार के बीच तथा भारत सरकार और लंका सरकार के बीच यह तय हुआ है कि इन मामलों पर आगे विचार किया जायेगा, विशिष्ठ बातों पर चर्चा की जायेगी तथा ऐसा हल निकाला जायेगा जो कि दोनों पक्षों को तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को स्वीकार्य हो।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : वे अनेकों बार ऐसा कह चुके हैं कि इन मामलों पर चर्चा की जानी चाहिये और हम भी ऐसा कहते रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री बरुआ केवल आलोचना ही करते रहते हैं परन्तु स्वयं कभी कोई ठोस उपाय नहीं बताते। इन मामलों को सम्बन्धित सरकारों से चर्चा करने के अतिरिक्त और किस प्रकार हल किया जा सकता है ? यह ठीक है कि पहिले अनेकों वर्षों से हम इस मामले पर चर्चा करते रहे हैं परन्तु कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल पाये, फिर भी इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम आशा ही त्याग दें। इस समस्या को हल करने का बातचीत के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।

श्री इंद्रजीत गुप्त (कलकत्ता) : श्रीमती बन्दर नायक ने अपने देश में विरोधी दलों के नेताओं के साथ एक सम्मेलन में इस समस्या पर चर्चा की थी। क्या सम्मेलन में भाग लेने से पहिले हमारी सरकार भी ऐसा ही करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह: यदि श्री गुप्ता अथवा अन्य कोई माननीय सदस्य इस विषय पर अपनी राय मझे भेजते हैं तो उसे प्राप्त कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, चाहे इस प्रकार का कोई सम्मेलन अथवा

बातचीत हो अथवा न हो। इस प्रश्न को किसी दल विशेष के दृष्टिकोण से नहीं लिया जाना चाहिये।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। क्या श्रीमती बन्दरनायक के सम्मुख अपने सुझाव रखने से पहिले सरकार इस मामले पर विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : वहां पर भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नेता, जो कि श्रमिकों, वाणिज्य-मण्डल तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि थे, मुझ से मिले थे और उन्होंने अपना दृष्टिकोण मुझे बताया था। हम उनसे सम्पर्क बनाये रखने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रश्न ऐसा है जिस पर विभिन्न दलों के राजनीतिक मतभेदों के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिये, इस मामले में समान रूप से रुचि लेकर कोई संतोषजनक हल निकालना चाहिये। मैं सदस्यों के सुझावों तथा सलाह का स्वागत करूंगा।

बर्मा के अपने दौरे से मुझे यह विश्वास हुआ है कि उन्होंने जो कार्यवाही की है वह भेदभाव-पूर्ण नहीं है तथा जातिभेद पर आधारित नहीं है और न ही इस बात पर आधारित है कि कोई व्यक्ति भारतीय उद्भव का है अथवा चीनी या बर्मी का। वस्तुओं के वितरण व्यापार को अपने हाथ में लेने तथा उसके राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में बर्मा सरकार ने जो कार्यवाही की है वह सभी व्यापारियों पर समान रूप से लागू है चाहे वह किसी भी राष्ट्र के क्यों न हों। सदस्यों के सम्मुख सही स्थिति का चित्रण करना मेरा कर्त्तव्य है और वही मैंने पूरा किया है। अब यदि किसी सरकार की कार्यवाही किन्हीं व्यक्तियों की भावनाओं के विरुद्ध है तो उन्हें उस पर नाराज न होकर गम्भीरतापूर्वक पक्षपातरहित होकर विचार करना चाहिये। वहां पर लोगों के सामने कठिनाइयां हैं इसीलिये तो हम बातचीत चला रहे हैं।

श्री जी० भ० कृपालानी : हमें बर्मा से निष्क्रमण करने वाले चीनियों अथवा भारतीयों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : राष्ट्रीयकरण से जिन चीनी व्यापारिक उपक्रमों पर प्रभाव पड़ा है उनकी संख्या बर्मी उपक्रमों से थोड़ी ही कम है। यह बात जानने लायक है कि वे चीनी फारमूसा जाना चाहते हैं। बर्मा सरकार के फारमूसा के साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं और वे उन्हें वापस वहां नहीं भेज रहे हैं। उनमें से कुछ बाहर चले गये हैं, कुछ वहीं पर हैं। मैं श्री कृपालानी को यह आश्वासन दिलाता हूं कि बर्मा सरकार का व्यवहार बर्मी व्यापारियों तथा भारतीय अथवा चीनी व्यापारियों के साथ समान ही है। यदि मैं अधिक स्पष्ट कहूं तो स्थिति यह है कि भारतीय व्यापारी यहां पर इसलिये आ रहे हैं कि हम उन्हें वापस बुलाने के लिये तैयार हैं। चीनी इसलिये वासप नहीं जा रहे हैं कि वे मुख्य चीन में जाना नहीं चाहते और फारमूसा वाले उन्हें आने नहीं देते। यह एक तथ्य है और उसमें भेदभाव की झलक नहीं देखी जानी चाहिये।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या हम ने उनसे कहा है कि वे उन लोगों के साथ मानवीय ढंग से व्यवहार करें ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि माननीय सदस्य ने मेरी बात को ध्यान से सुना होता तो मैंने अपने भाषण में यही बात बताई थी कि इस मामले में मानवोचित व्यवहार की बात निहित है और उसे हमें मामले को हल करते समय ध्यान में रखना है और हम ने यह बात उनको बता दी है।

चीन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने जो दृष्टिकोण प्रकट किये हैं वे हमारी कार्यवाही के लगभग अनुरूप ही हैं अर्थात् यह कि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करके हम ने पहले अपनी ओर से ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है जिसमें कोलम्बो प्रस्तावों की आगे की बातों को पूरा किया जा सके। श्री उमानाथ ने श्री फेलिक्स बन्दरनायक के वक्तव्य का उल्लेख किया था। जब मैं लंका में था तो मैंने वहां की प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव श्री फेलिक्स बन्दरनायक से बातचीत की थी जिसमें मुझे यह पता लगा कि वे यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि चीनियों ने उनसे कोई ऐसी बात कही है कि चीनी लद्दाख प्रदेश की सात चौकियों से वापस हटने के लिये तैयार हैं। बातचीत का वातावरण पैदा करने के लिये हमने प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया है परन्तु चीन की उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

पाकिस्तान के बारे में कुछ माननीय सदस्यों का मत है कि हमें किसी प्रकार पाकिस्तान से समझौता करना चाहिये और अन्य कुछ का मत यह है कि गत कुछ समय की पाकिस्तान की कार्यवाहियों को देखते हुए समझौता सम्भव नहीं है और हमें अन्य कोई नीति अपनानी चाहिये। परन्तु मैं समझता हूं कि सभा के सभी पक्ष यह चाहते हैं कि दोनों पड़ौसी देशों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जायें। इसके लिए हम भरसक अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। यह भी सच है कि हाल ही में पाकिस्तान के समाचारपत्रों और नेताओं ने ऐसा प्रतिकूल रवैया अपनाया है जिसमें समझ तथा सहनशीलता की बात तनिक भी नहीं है। परन्तु इन सब जटिलताओं को देखते हुए भी हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि दोनों देशों के हित तथा शांति के लिए हमें आपसी मतभेदों को परस्पर सद्भावना से हल करने तथा समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए परपस्पर बातचीत आदि के द्वारा प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सरकार का इरादा इसी नीति का अनुसरण करने का है।

कुछ सदस्यों ने नागालैंड की वर्तमान स्थिति के बारे में कहा है। इस मामले पर समय समय पर समाचार मिलते रहे हैं तथा कुछ समय पूर्व एक वक्तव्य दिया गया था। नागालैंड से प्राप्त नवीनतम समाचार अधिक आशाजनक नहीं है। यह खेद की बात है कि विद्रोही नागा अपने समझौते को भंग कर रहे हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद): श्रीमन्, औचित्य का एक प्रश्न है। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं तो नागालैंड के बारे में कुछ कहने से ऐसा मालूम होता है कि वह भी कोई बाहरी मामला है और हम उसे ऐसा मानते हैं।

श्री जी० भ० कृपालानी: श्रीमन्, मेरा औचित्य का एक प्रश्न है। हम इस समय विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं और नागालैंड इसके अन्तर्गत नहीं आता। **(अन्तर्बाधा)**

श्री स्वर्ण सिंह: हम को इतना भावुक नहीं होना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि यह एक आन्तरिक मामला है और नागालैंड भारत का एक अंग है, परन्तु क्योंकि दो तीन माननीय सदस्यों ने इसके बारे में कुछ कहा था अतः मैं नवीनतम स्थिति सदन को बताना चाहता हूं। सरकार इस बात पर दृढ़ बनी रहना चाहती है कि इसका निर्णय वह स्वयं ही करेगी कि भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन होगा।

इंडोचीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में जो कहा जा चुका है उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। पेरिस में लाओस के राजकुमारों का सम्मेलन सफल नहीं रहा परन्तु आशा है कि

वे पेरिस में अथवा अन्यत्र फिर बातचीत करेंगे। हमें आशा है कि काहिरा सम्मेलन में प्रधान मंत्री फूमा के भाग लेने के पश्चात् उनमें समझौता हो जायेगा तथा चौदह राष्ट्रों के सम्मेलन के मार्ग में आ रही बाधायें दूर हो जायेंगी। भारत इस सम्मेलन के पक्ष में है क्योंकि हमारा यह विचार है कि राजनीतिक प्रयत्नों के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

दक्षिण वियतनाम तथा उत्तर वियतनाम की स्थिति बहुत कठिन तथा नाजुक है। हम अब भी यही आशा करते हैं कि इस समस्या का हल करने का कोई ऐसा उपाय खोज निकाला जायेगा जिससे कि इस मामले में बाहरी देशों का किसी प्रकार का कोई प्रभाव न रहे।

अन्त में मैं यह कहकर समाप्त करता हूं कि मैं श्री वी० बी० गांधी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन के अतिरिक्त अन्य सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हम यह जानना चाहते हैं कि (क) पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद् में यह जो शिकायत की है कि गोआ की वर्तमान स्थिति इतनी निराशास्पद अवस्था में पहुंच चुकी है कि वहां कभी भी क्रान्ति हो सकती है, इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और (ख) यह बात कहां तक सच है कि अफ्रीकी-एशियाई लोगों ने सुरक्षा परिषद् से यह शिकायत की है कि न्यूयाक में उनके साथ जातीय भेदभाव तथा दुर्व्यवहार किया जाता है और क्या कोई भारतीय राजनयिक भी इस जातीय भेदभाव का शिकार हुआ है ?

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैंने अपने भाषण में इजराइल के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजे गये संवेदना संदेश का उल्लेख किया था। ट्रीब्यूट्स औफ होमेज नामक पुस्तिका में वह नहीं दिया हुआ है। क्या हमारे राष्ट्रपति के इजराइल के राष्ट्रपति से संदेश प्राप्त हुआ था और क्या उसे जानबूझ कर पुस्तक में नहीं लिया गया है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : क्या सरकार को मलयेशियाई प्रधान मंत्री से ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ है कि आगामी काहिरा सम्मेलन में वह अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं और क्या सरकार यह मामले में कुछ कर रही है ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : The biggest issue to be raised in Cairo Conference may be the racial discrimination in South Africa. Will our Prime Minister and the Minister of External Affairs try to get a forceful resolution and programme against this racial discrimination in South Africa adopted in the forthcoming Cairo Conference of non-aligned nations ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : पाकिस्तान के साथ युद्ध-विराम रेखा पर बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए क्या सरकार का इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने का विचार है अथवा वह दोनों देशों के विदेश मंत्रियों अथवा भारतीय प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच एक बैठक में इस मामले पर विचार किये जाने के समय तक प्रतीक्षा करेगी ? क्या उस बैठक के होने तक सरकार कोई अन्तरिम कार्यवाही करेगी ?

श्री पें० वेंकटा सुब्बया (अडोनी) : जबकि स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने दृढ़तापूर्वक यह कहा था कि चीन के साथ आगे कोई बातचीत तभी की जायेगी जब कि वह कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर ले तो फिर श्री फेलिक्स बन्दरनायक के इस कथन पर कि चीन सरकार सात चौकियों को खाली

[श्री पें० वेंकटा सुब्बया]

करने के लिये सहमत है हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री की प्रतिक्रिया क्यों हो रही है ? क्या अब वह शर्त हटा ली गई है और भारत बिना किसी शर्त के बातचीत करने के लिये तैयार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं आखिरी प्रश्न का उत्तर पहिले दूंग । श्री नेहरू ने हमारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी । लंका के श्री फेलिक्स ने एक विशेष सुझाव दिया था कि कुछ बातें पूरी की जायें । अतः अपनी स्थिति को पुनः बताना आवश्यक था । जो नीति हम प्रारम्भ से अपनाते रहे हैं वही बताई गई थी, कोई नई बात नहीं थी ।

युद्ध विराम रेखा के उ लंघनों के बारे में दोनों सरकारों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत प्रारम्भ कर दी गई थी और क्योंकि कराची स्थित भारतीय राजदूत पारिवारिक अस्वस्थता के कारण लन्दन चले गये थे अतः हमने यह सुझाव दिया है इस मामले पर आगे बातचीत दिल्ली में की जाये ।

मैं डा० लोहिया से इस बात पर सहमत हूं कि वर्णभेद का प्रश्न बहुत महत्वपूण है । भ रत इस बात को सबसे अधिक महत्व देता है कि दक्षिण अफ्रीका में काले वर्ण के लोगों के साथ हो रहे अमानवीय बर्ताव को समाप्त करने के लिये प्रयत्न किये जायें । काहिरा सम्मेलन में हम इस बात पर केवल प्रकाश ही नहीं डालेंगे अपितु कुछ परिणामजनक उपाय निकालने के यथासम्भव प्रयत्न करेंगे ।

मलयेशिया के प्रधान मंत्री से हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ । हम उस पर विचार कर रहे हैं तथा उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी । मैं माननीय सदस्यों को यह याद दिला दूं कि जकार्ता के अफ्रीका एशियाई मंत्रियों के सम्मेलन में मलयेशिया का मामला प्रस्तुत करने में भारत ने प्रमुख तथा महत्वपूर्ण भाग लिया था । हमने यहां तक किया कि हम मलयेशिया समस्या के बारे में जारी की गई अन्तिम विज्ञप्ति पर हमने अपनी असहमति प्रकट की थी ।

ऐसा सुना गया था कि पुर्तगाली भारत के विरुद्ध कोई शिकायत कर रहे हैं । जांच करने पर मुझे कुछ दिन पूर्व यह पता चला था कि शिकायत अभी तक वास्तव में नहीं की गई थी । यदि इस बीच उन्होंने शिकायत कर दी है अथवा आगे करते हैं तो हम इसका घोर विरोध करेंगे क्योंकि यह हमारा आन्तरिक मामला है और इसे संयुक्त राष्ट्र में नहीं उठाया जा सकता । मुझे विश्वास है कि वहां इसे कोई महत्व नहीं दिया जायेगा । ऐसी शिकायतें परिचालित कर दी जाती हैं । यदि वे कुछ शरारत करते हैं तो हम जो कहेंगे वह भी परिचालित कर दिया जायेगा और हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में भारत के विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रचार नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि न्यूयार्क में रंग भेदभाव के मामले में हम उत्साहहीन रहेंगे तो उनका ऐसा समझना गलत है । अफ्रीकी एशियाई ग्रुप ने, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री थांट से कोई शिकायत की है इसकी जानकारी मुझे नहीं है । यदि माननीय सदस्य के कथनानुसार हम शिकायत में सम्मिलित हैं तो हम ठीक रास्ते पर ही चल रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ ने जो संवेदना संदेश के बारे में कहा है उसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 और 4 मतदान के लिये रखें गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The substitute motions Nos. 2 and 4 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ :

पक्ष में : 8; विपक्ष में : 120 ;

The Lok Sabha divided :

Ayes : 8; Noes : 120.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The Substitute motion No. 6 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री वी० बी० गांधी के स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिये रखता हूं :

प्रश्न यह है :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव रखा जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात्, भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा जो आज होनी थी कल होगी ।

इस के पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 सितम्बर, 1964/7 आश्विन, 1886 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 29th September, 1964/Asvina 7, 1886 (Saka)

———

GMGIPND—LS III—1384 (ai) LSD——3-12-64—600.